खण्ड-273, अंक-5
शुक्रवार, 16 आषाढ़, शक संवत् 1889
(7 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 273 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७९

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्त राम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री.
अर्जुन, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्र ालसिंह, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम् प्रकाशसिंह, श्री

कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणसिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनल ल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
कृष्ण बह दुर, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
केशवदेव, श्री
कुबरसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री

गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरिराजसिंह, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्र कुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जगोदानन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रैपनसिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दुगराजसिंह, श्री
देव राम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मराजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
ध्रुव कुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवल किशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पेमपालसिंह, श्री
पौनिहाल सिंह, श्री
पब्बर राम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री

प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली ब्रह्मचारी, श्री
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृज मोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (बिजापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनी बाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भगूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमप्रसाद, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्र प्रतापसिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुंशीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
फैजमुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री

राजनारायण सिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेन्गर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
राम करन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
राम दुलार पटेल, श्री
राम दुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामसहारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप,श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
बीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री

शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सत्यवीर कुंवर
सन्तू, श्री
सरजूप्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बक्ससिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—परिवहन मंत्री श्री मानसिंह वर्मा भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ जुलाई, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया]

मेरठ जिले में शिक्षा संस्थाओं को अतिरिक्त भत्ते

*२—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में अतिरिक्त भत्ता गैर सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को अनुदान के रूप में मेरठ जिले में किन-किन संस्थाओं को दिया गया और कितना ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री अनन्त राम जायसवाल)—

†सूची संलग्न है।

*३—श्री मोहनलाल कपूर तथा श्री मलिखान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मेरठ जिले के हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों के साथ लगी प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को भी अतिरिक्त भत्ता वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

केवल उन्हीं प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को दिया गया जो सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध हैं और अनुपालन अनुदान हेतु मान्य हैं ।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि संलग्न सूची में वे स्कूल भी सम्मिलित हैं जिनके साथ प्राइमरी कक्षायें लगी हुई हैं ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, यह तो सूची देखने से पता लग जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो संलग्न सूची है उससे पता नहीं लगेगा कि इसमें छठे दर्जे से ऊपर के विद्यालय हैं या प्राइमरी कक्षायें भी लगी हुई हैं तो उनका प्रश्न है कि क्या इसमें ऐसे स्कूल भी शामिल हैं जिनमें प्राइमरी शिक्षा चलती हो ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मेरठ जिले के उन मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची है जिनमें प्राइमरी कक्षायें शामिल हैं ।

श्री मोहनलाल कपूर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सनातन धर्म हाई स्कूल, कंकरखेड़ा, सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कालेज, सदर, सेठ छज्जूराम इंटर कालेज तथा अन्य कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्राइमरी अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास जो सूची है उसमें उन विद्यालयों को अनुदान नहीं मिलता है ?

श्री मोहनलाल कपूर—

जी हां ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर सूची (क) में तमाम विद्यालय दिय गये हैं जिन को अनुदान दिया गया है और रकम भी लिखी हुई है । अब सवाल यह है कि प्राइमरी कक्षा के अध्यापकों को मिला या नहीं, उसके बारे में नियम बने हुये हैं । उसके अन्तर्गत वह आता है इसलिये मैं समझता हूं कि कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १९६६-६७ में कितने स्कूलों को मेरठ में अनुदान दिया गया और इससे पिछले तीन सालों में कितने स्कूलों को अनुदान दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जितने स्कूलों को इस साल अनुदान दिया गया क्या उतने ही स्कूलों को पिछले तीन वर्षों में अनुदान दिया गया ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

इस के लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रमा शंकर अग्रवाल—

संख्या बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

मेरठ के २२० स्कूलों को मिला है ।

श्री मोहन लाल कपूर—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि अतिरिक्त भत्ता अनुदान के रूप में मेरठ जिले में किन किन संस्थाओं को दिया गया और कितना ? यानी जो प्राइमरी स्कूल लगे हुये हैं उन प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को जो अतिरिक्त भत्ता १९६५ में दिया गया, १९६६ में नहीं दिया गया यह मेरी स्पष्ट सूचना मान कर जिन विद्यालयों को नहीं मिला उनको देंगे ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

वर्तमान जो नियम हैं उनमें वह बालिकाओं की कक्षाओं के लिये मिलता है बालकों की कक्षाओं के लिये नहीं मिल सकता । इसलिये ऐसा कर सकना सम्भव नहीं है ।

विकास खण्ड, लहरपुर में हरिजनों को भूमि न मिलना

*४—श्री विपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि ज तामऊ विकास खण्ड, लहरपुर, जिला सीतापुर में सीलिंग ऐक्ट द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त भूमि में से जोतामऊ के निवासी हरिजनों के नाम की गई थी और उनसे इस भूमि का तीन वर्ष का लगान भी ले लिया गया था ? यदि हां, तो यह भूमि हरिजनों को क्यों नहीं दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

प्रथम बार कब्जा लिये जाने पर १९६३ में यह भूमि दो हरिजनों को १ साल के पट्टे पर दी गई थी । अपील के निर्णय के बाद जब दोबारा कब्जा लिया गया तो भूमि का पट्टा एक अन्य व्यक्ति के नाम किया गया था जो हरिजन नहीं था । पहले के पट्टेदारों ने कब्जे की अवधि का लगान दूसरे व्यक्ति को पट्टा कर दिये जाने के बाद जमा किया था ।

इण्टर कालेज, पुरवा के अध्यापकों का बकाया वेतन

*५—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इंटर कालेज, पुरवा, जिला उन्नाव के अध्यापकों को चालू सत्र १९६६-६७ में एक मास का भी वेतन नहीं दिया गया जब कि इस सम्बन्ध में अध्यापकों द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को कई प्रार्थना-पत्र उक्त अवधि में भी दिये गये ? यदि हां, तो क्यों और अध्यापकों को समस्त वेतन कब तक मिल जायेगा ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

अध्यापकों को फरवरी, १९६७ तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। शेष तीन महीनों के वेतन भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी तक का जो वेतन दिया गया यह मेरे प्रश्न करने के बाद दिया गया है ? अगर यह सही है तो पहले न देने का क्या कारण था और बाकी तीन महीने का वेतन बाद में दे दिया जायगा ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

मान्यवर, यह भुगतान ३१ मार्च, १९६७ को किया गया था। वहां पर मैनेजर और वहां के प्रधानाचार्य में आपस में झगड़ा है, यहां तक कि शिकायत की नौबत आयी। उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जहां इस तरह से झगड़े हो जाते हैं और अध्यापकों को तनख्वाह नहीं मिलती वहां सरकार यह व्यवस्था करती है इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को सब पावर्स दे दी जाती हैं और उनके माध्यम से हर महीने वेतन मिलता रहा है। इस विषय पर माननीय मंत्री जी सोचने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्त राम जायसवाल—

ऐसा तो किया ही जाता है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

विद्यालयों में अध्यापकों को वेतन न मिलने की बहुत सी शिकायतें इस सदन में आ चुकी हैं, प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं क्या इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी प्रान्तीय बेसिस पर कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं, जिससे जनता के विद्यालयों के अध्यापकों का १–२ महीने तक अगर प्रबन्ध समिति वेतन न दे तो उन कार्य समिति के विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिससे अध्यापकों का जो वेतन है वह उचित समय पर मिल सके ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस शिक्षा संस्था को कितना अनुदान वार्षिक दिया जाता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी, श्रीमन्।

श्री ऊदल—

माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित। उन्होंने कहा "ऐसा ही किया जाता है" लेकिन इस कालेज के बारे में ऐसा नहीं किया गया है कि ग्रान्ट सस्पेन्ड करके इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को दे दी जाय, तो क्या उस स्कूल के बारे में उस व्यवस्था को लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

३१ मार्च, ६६ तक कार्यवाही की गई और फिर जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी व्यवस्था की है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा "ऐसा किया जाता है", किन्तु ऐसे-ऐसे विद्यालय इस प्रान्त में हैं जहां अध्यापकों को ८–८ महीने से वेतन नहीं मिला है। तो क्या मेरी जानकारी के आधार पर सरकार इस सम्बन्ध में कोई इंक्वायरी कराने जा रही है कि जहां विद्यालयों में उनको वेतन नहीं प्राप्त हुआ है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए ?

श्री अध्यक्ष—

आप निश्चित सूचना देंगे या जनरल ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, आपने मेरी ओर से जवाब दे दिया। लेकिन शासन की जानकारी में यह चेंज है कि ऐसा होता है जिससे अध्यापकों को बहुत तकलीफ होती है। इस पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो कानून में तरमीम भी की जाएगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया गया है और क्या आदेश दिये गये हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसमें अन्य प्रदेश की सरकारों के जैसे नियम हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है, अपने नियमों का उनसे तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।

*६—श्री प्यारेलाल—

[१० जुलाई, १९६७ के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

परगना मैजिस्ट्रेट, तिलहर को किसानों का मांग-पत्र

*७—श्री रामनाथ (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि दिनांक पहली नवम्बर, १९६६ ई० तथा १० मार्च, १९६७ ई० को निगोही एवं जिला शाहजहांपुर के किसानों ने सूखे तथा सिंचाई आदि की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में कचहरी में कोई प्रदर्शन किया और जिला मैजिस्ट्रेट को कोई मांग-पत्र तथा स्मरण-पत्र दिया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व उपमंत्री (श्री राजेन्द्रसिंह यादव)—

१ नवम्बर, १९६६, तथा १० मार्च, १९६७, को कचहरी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ और न ही जिला मैजिस्ट्रेट को कोई मांग-पत्र तथा स्मरण-पत्र उक्त तिथियों में दिया गया। परन्तु परगना मेजिस्ट्रेट, तिलहर को उक्त तिथियों में मांग-पत्र दिये गये। इन पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच कराई गई। मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(१) मालगुजारी, अधिभार तथा तकाबी की वसूली स्थगित कर दी गई।

(२) नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाने के लिये सभी सम्भव उपाय किये गये और जहां तक सम्भव हो सका पानी पहुंचाया गया। नहर से सींचे जाने वाली फसलों को इतनी क्षति नहीं हुई कि आबपाशी देय माफ की जावे।

(३) लैंड डेवलमेंट बैंक में धनराशि की कमी के कारण सभी प्रार्थियों को तकाबी नहीं दी जा सकी। आशा है कि इस वर्ष जनता को अधिक मात्रा में तकावी मिल सकेगी।

(४) कुआंडाडा व मंझला में दो नलकूपों का निर्माण हो चुका है। धनराशि प्राप्त होने पर अन्य नलकूपों का निर्माण कार्य चालू किया जायेगा।

(५) जब निगोही क्षेत्र में निजी बिजली लगवाने के लिये काफी लोग प्रार्थना-पत्र देंगे तब बिजली फैलाने की कार्यवाही की जायेगी।

(६) नालियों के विकास का कार्य शारदा नदी या उसकी सहायक नदियों पर जलाशय के निर्माण के पश्चात् चालू किया जायेगा।

(७) लेखपालों द्वारा गलत इन्दराज करने के मामले अभी तक नोटिस में नहीं आये हैं।

(८) सवाया लगान को माफ करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है और अलाभकर जोतों का लगान माफ करने का व्यापक प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री रामनाथ—

जो सूचना उनके पास है कि १ नवम्बर, ६६ और १० मार्च, ६७ को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ तो मांग-पत्र किसके द्वारा दिया गया था और क्या सरकार इसको इन्क्वायरी सी० आई० डी० के द्वारा करवाने की कृपा करेगी कि यह गलत रिपोर्ट कैसे दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जहां आपने लिखा है वहां नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जगह दिया गया है और वहां क्या कार्यवाही हुई वह उन्होंने बता दी।

श्री रामनाथ—

इसमें यह जिक्र किया गया कि कचहरी में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मैंने खुद प्रदर्शन किया और अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है वह इसका सबूत है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

१ नवम्बर, ६६ को श्री रामनाथ दीक्षित ने जिला सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री ने परगना मैजिस्ट्रेट की कचहरी में मांग-पत्र दिया।

श्री राजबहादुरचन्द (जिला बस्ती)—

माननीय सदस्य ने कहा कि वे स्वयं प्रदर्शन में मौजूद थे और मंत्री जी कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं हुआ। तो क्या मंत्री जी इसकी जांच फिर से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री जी वहां गये और उन्होंने कोर्ट में यह मांग-पत्र हाकिम परगना को दिया।

श्री रामनाथ—

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—

आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया कि सारी कार्यवाहियां क्या हुई ?

श्री रामनाथ—

बात यह है कि बहुत सी बातों का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

२० मिनट में केवल ७ प्रश्न हो सके हैं। जवाब आया हो या न हो हम आगे बढ़ते हैं। अगर न आया हो तो आप इस पर फिर प्रश्न भेज सकते हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमावली में देखें। प्रश्नों के समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री धर्मवीर—

आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यक होगा लेकिन आवश्यक होना एक बात है और नियमानुकूल होना और बात। जो प्रश्न हो रहे हैं अगर इस विषय में कोई आपको वैधानिक बात बताना हो तो बतावें।

श्री धर्मवीर—

जी हां। उसी विषय में है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक विशेषाधिकार का प्रश्न डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी द्वारा उठाया गया था जो महिलाओं पर लाठी चार्ज हुआ था लेकिन एक माननीय सदस्य ने जो वहां थे उन्होंने कहा कि वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया।

आज एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे स्वयं प्रदर्शन में थे और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो क्या इस गलतबयानी पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होता इसलिये कि एक आदमी ने मांग पत्र जाकर दिया, वह कहता है कि हमने प्रदर्शन किया और मंत्री जी उसको प्रदर्शन नहीं मानते। प्रदर्शन के इंटरप्रिटेशन में अन्तर हो सकता है।

किच्छा तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*८—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माह अप्रैल, १९६७ में जिला नैनीताल की तहसील किच्छा व हल्द्वानी के कई ग्रामीणों के घर आग लगने से भस्म हो गये हैं? यदि हां, तो कुल कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई और इसके लिये सरकार द्वारा अब तक क्या मदद जनता की की गई?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

जी हां। माह अप्रैल, १९६७ में जिला नैनीताल की तहसील किच्छा व हल्द्वानी में ग्रामीणों के घरों में आग लगने के परिणामस्वरूप लगभग कुल १,१६,०९२ रु० की अनुमानित क्षति हुई। शासन द्वारा किच्छा तहसील में ३२ व्यक्तियों को १३९ रु० की अहेतुक सहायता दी गई व पीड़ितों को वन विभाग द्वारा घर बनाने हेतु लकड़ी आदि का भी प्रबन्ध किया गया। तहसील हल्द्वानी में घटनास्थल पर जांच के पश्चात् किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री इन्द्रलाल—

तहसील किच्छा और हल्द्वानी में कई ग्रामीणों के घर फुंक गये और उसमें १ लाख १६ हजार ९२ रुपये की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी लेकिन १३९ रुपये कुछ नये पैसे ही कुल सहायता दी गयी है। तो क्या सरकार बतायेगी कि जो क्षति हुई है उसमें हल्द्वानी की कितनी है और किच्छा की कितनी है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

तहसील किच्छा की १९,२५० रुपये की और तहसील हलद्वानी की ४,८०० रुपये की है।

श्री इन्द्रलाल—

तहसील हलद्वानी के मुकाबले में किच्छा की कई हजार अधिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि क्या इस प्रश्न को सूचना मानकर जो रिपोर्ट वहां के अधिकारियों ने दी है वह बिल्कुल गलत है इसकी तुरन्त इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी में कितनी क्षति हुई है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

इसमें मैंने जो क्षति बतलाई थी वह जले मकानों की ४,८०० रु० है किन्तु कुल क्षति ४५,८७९ रुपये है।

श्री अयोध्या प्रसाद आर्य—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से कारण दिखाये गये हैं, उस रिपोर्ट में जिसमें सहायता न देने के लिये इस समय उत्तर दिया गया है ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

वहां के लोगों ने सहायता के लिये मांग नहीं की है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

मैं राजमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने से जिनके मकान जल जाते हैं उनकी सहायता के लिये नियम बनाये गये हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

इसमें कुछ तकाबी मकान बनाने के लिये दी जाती है और यह जो मुफ्त पैसा दिया जाता है वह उनकी गरीबी और खाने कपड़े का साधन न होने को देख कर दिया जाता है।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

"कबहुं कृपा कटाक्ष की कोरि करौ इस ओर", कभी-कभी इधर भी आपकी कृपा होनी चाहिये। बस मुझे यही कहना था।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमेशा सम्भव नहीं है। मुझे कई बातें देखनी पड़ती हैं। किस वजह से मैं किधर देखता हूं उसके भी कुछ कारण हैं। प्रश्न किधर से हुआ और किसकी दिलचस्पी है यह बात भी सामने रहती है। मैंने यह समझा था कि आप कुछ जानकारी करना चाहत हैं।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

इस बात को देखते हुए कि आग लगने से क्षति बहुत हुयी है और सहायता केवल ६० रु० प्रति परिवार दी गई है, क्या मंत्री जी वहां अधिक से अधिक सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

इसमें मकान बनाने के लिये वन विभाग से जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि जितना बांस, बल्ली, लकड़ी की आवश्यकता उन लोगों को होगी वह वन विभाग देगा। दूसरे मैंने बताया कि जिन लोगों ने सहायता चाही वह उनको दी गयी है। ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि यह आग अप्रैल के महीने में लगी इसलिये उस समय तक नये बजट का पैसा वहां न पहुंचा हो और जितना पैसा उस समय उनके पास होगा उसके अनुसार ही उनको सहायता दी गयी होगी।

श्री चेतराम पचपेड़ा जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ग्रामीण जिनको क्षति हुई है हल्द्वानी प्रापर के है अथवा ग्रामों के ? यदि ग्रामों के हैं तो इन ग्रामों के नाम क्या हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

किच्छा तहसील के गांव हैं—किच्छा, कीर्तिपुर, सीनारा, भमरोला, गनेशपुर, दाऊ, रामेश्वरपुर और फुलसुंगी। इसके अलावा हल्द्वानी तहसील के गांव हैं डामुआ, धुंगाखाम बसामी, बमाता बगरखेम, जगीबगर, लालकुआं, पनाली और माला पचनिया।

श्री चेतराम पचपेड़ा—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह क्षति किस प्रकार की है, उनका अनाज जला है अथवा पशु आदि ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

इसमें सूचना के अनुसार उनके मकान जले हैं। घर का सामान जला है।

[७ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ठठिया ग्राम में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान न मिलना

*१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ठठिया, जिला फर्रुखाबाद में कौन हायर सेकेंडरी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं? क्या उक्त स्कूलों में प्रिलिमिनरी ग्रान्ट इन एड के लिये अपने प्रार्थना-पत्र १९६५-६६ तथा १९६६-६७ में भेजे थे? किस विद्यालय को सहायता दी गई और किसको नहीं?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ग्राम ठठिया, जिला फर्रुखाबाद में दो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं—

(१) आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल।

(२) स्वामी शिवानन्द सरस्वती अमर शहीद विद्यालय।

वर्ष १९६५-६६ में इनमें से किसी ने भी प्रारम्भिक अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा। १९६६-६७ में उक्त दोनों विद्यालयों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे। स्वामी शिवानन्द सरस्वती अमर शहीद विद्यालय को सहायता दी गई। आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल को कोई सहायता नहीं मिली।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त दोनों विद्यालयों को स्थायी मान्यता कब दी गयी?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

ऐसी सूचना है कि आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का पहला बैच जो हाई स्कूल में बैठता वह ६७ के लिये था और स्वामी शिवानन्द वाला बैच १९६८ के लिये था। इसी से हिसाब लगा लीजिये।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल को पहले मान्यता देने का कारण क्या था?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो वहां के अधिकारियों के विवेक की बात थी। उन्होंने देख समझकर ऐसा किया होगा।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रान्ट देते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो मान्यता मिलने के लिये आवश्यक बातें होती हैं, जैसे वहां शिक्षा कैसी चल रही है, मान्यता की आवश्यकता है अथवा नहीं, आदि चीजें ही देखी जाती हैं।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह देख कर कि आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ वहां ज्यादती की गयी है और अनियमित होते हुए भी अन्य विद्यलय को सहायता दी गयी है भविष्य में उसका अधिक ध्यान रखेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

प्रार्थना-पत्र मिलने पर उसके गुण दोष विचार करके अवश्य उचित कार्यवाही की जायगी।

प्रतापगढ़ जिले में चमरोडा नदी पर पुल बनाने की मांग

*२—श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमरोडा नदी, प्रतापगढ़ के ऊपर पुल बनाने के विषय में सरकार के पास जनता तथा विधायकों की ओर से मार्च, १९६७ में प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मंगलदेव विशारद)—

जी हां। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का सीमित आकार होने के कारण व आर्थिक कठिनाई के कारण प्रस्तावित पुल का निर्माण अभी सम्भव नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस चमरोडा नदी के पुल का सर्वे सरकार की तरफ से हुआ था ? यदि हां, तो उसमें सरकार का कितना खर्च हुआ और पुल का इस्टीमेट कितने का बना था ?

श्री मंगल देव विशारद—

धनाभाव के कारण यह निर्माण-कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार नहीं किया जा सका। चौथी योजना में इस पुल को निर्मित करने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण योजना के अंतिम चरण में भी इसका निमाण हो सकना संभव नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सर्वे पर कितना खर्च हुआ और उसके निर्माण का क्या अनुमान था ?

श्री मंगलदेव विशारद—

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उनके कार्यालय में हर विधायक ने प्रार्थना पत्र दिये थे कि उसके क्षेत्र में किन किन पुलों की आवश्यकता है। इस संबंध में क्या उन प्रार्थना पत्रों को देख कर वे उचित कार्यवाही करने का विचार करेंगे ?

श्री मंगल देव विशारद—

धनाभाव के कारण यह संभव नहीं हुआ।

श्री रामनरश शुक्ल---

क्या सरकार को इत्तला है कि चमरोड़ा नदी पर पुल बनवाने के लिये और प्रतापगढ़ से कोटा तक की सड़क बनवाने के लिये वहां की जनता ने ७५,००० रुपया ब्लाक में दे रखा है।

श्री मंगलदेव विशारद---

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल---

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि पुरवा जानक ब्लाक असौधा ब्लाक और तीन ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि जो साल के ६ महीने तक प्रतापगढ़ से कट कर अलग रहती हैं और पास आने-जाने के कोई साधन नहीं है।

श्री मंगल देव विशारद---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*३-४---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

[२१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किये गये।]

बरना नदी पर कालिका धाम पुल की मांग

*५---श्री ऊदल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी में बरना नदी में बड़ागांव, तमाचाबाद, कच्ची रोड में कालिका धाम में पुल बनाने पर विचार कर रही है? क्या इस पुल के लिये कोई सर्वे हुआ है? यदि हां, तो इसका इस्टीमेंट क्या है? यह पुल कब तक बनेगा।

श्री मंगल देव विशारद---

इस पुल के बनाने पर विचार किया गया था। सर्वेक्षण में इसका आगणन १८.८१ लाख रु० आंका था। धनाभाव के कारण यह कार्य स्वीकृत नहीं किया जा सका।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि यह जो सड़क है इस पर एक पुल बनना था आर० एल० पी० स्कीम के अन्तर्गत और उस स्कीम के करीब १ करोड़ रुपया बनारस में पड़ा है तो क्या इस पुल को उस स्कीम के अन्तर्गत ले लेंगे?

श्री मंगलदेव विशारद---

विचार किया जा सकता है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला प्रतापगढ़)---

चूंकि पुल निर्माण की बड़ी मांग है और सरकार बराबर कहती है कि धनाभाव है तो क्या सरकार धन प्राप्त करने के लिये कोई चेष्टा कर रही है?

श्री मंगलदेव विशारद---

मैंने कहा ऊदल जी के प्रश्न पर कि सरकार विचार करेगी।

*६---श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

[२१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया-फैजाबाद सड़क

*७—श्री चन्द्रबली (अनुपस्थित)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया, बस्ती, और गोरखपुर के जिला परिषदों ने हाल ही में प्रस्ताव पास करके देवरिया से फैजाबाद तक बाया रुद्रपुर, नगवा, हाटा, गोला, सिकरीगंज, घनघटा, कलवारी पक्की सड़क और उस सड़क में आने वाले पुलों के साथ निर्माण कराने की मांग की है ? यदि हां, तो देवरिया, गोरखपुर और बस्ती जिला के इस लम्बे एवं पिछड़े इलाके की सड़क के निर्माण को कब तक पूरा करा दिया जावेगा और क्या लागत पड़ेगी ?

श्री मंगल देव विशारद—

जिला परिषद, देवरिया ने अपने प्रस्ताव दिनांक २० नवम्बर, १९६५ में इस सड़क के बनवाने की संस्तुति शासन से की थी। धनाभाव के कारण इस सड़क का निर्माण अभी संभव नहीं है। इसके कच्चे भाग की कुल लम्बाई ७१ मील २ फर्लांग है। इसकी सही लागत बिना सर्वेक्षण के बताना संभव नहीं है।

*८—श्री महरमसिंह—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिये स्थगित किया गया।]

[अलाभ कर जोतों का लगान

*९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह अनइकोनामिक होल्डिंग्स का लगान माफ करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने एकड़ तक वह लगान माफ करने जा रहे हैं, इस पर सरकार ने विचार कर लिया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की है कि मैं ५ साल में पूरा लगान माफ करूंगा। तो इस संबंध में अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि कितने एकड़ का लगान माफ होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सवा छः एकड़ अनइकोनामिक वाली भूमि का प्रश्न विचाराधीन है, तो सरकार ने क्या न्यूनतम सीमा निर्धारित की है जिस तक वह विचार करना तय करते हों ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमान् जी, यह प्रश्न विचाराधीन है और इसका बहुत जल्द ही निर्णय हो जायगा।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि सत्रावसान तक इस प्रश्न पर जरूर निर्णय हो जायेगा ?

श्री जयराम वर्मा—

उसके पहले हो जायेगा।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १४ तारीख से पहले, जो रेवेन्यू प्रांट होगी उससे पहले, सदन में घोषणा कर पायेंगे मंत्री जी ?

श्री जयराम वर्मा---

जी हां, उस दिन घोषणा हो जायगी ।

अलीगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

*१०---श्री नेकराम शर्मा---

क्या सरकार फोर्थ प्लान में सिकन्दराराऊ ब्लाक (अलीगढ़ में) बाजीपुर-सुजावलपुर सड़क का निर्माण करने जा रही है तथा अलीगढ़ जिले में कितनी सड़कें फोर्थ प्लान में सरकार निर्माण करने जा रही है तथा क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ जिले के बाड़-हुसायन-रतो का नगला, कानउरतो का नगला सड़क जो पंचायतों ने पक्की की थी उनको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कब अपने कब्जे में कर लिया ?

श्री मंगलदेव विशारद---

जी नहीं । अलीगढ़ जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित सड़कें सम्मिलित की गई हैं । इनका निर्माण योजना के आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(१) इगलास से गोंडा

(२) अलीगढ़ बाई-पास

अलीगढ़ जिले में बाड़-हुसायन -रतो का नगला, कानउरतो का नगला सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा प्रश्न कुछ बदल कर लिख दिया गया । मेरा प्रश्न यह था कि ये जो दो सड़कें हैं पंचायतें तैयार हैं, क्या इनको पी० डब्लू० डी० विभाग लेने की कृपा करेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद---

मान्यवर, धनाभाव के कारण जो सड़कें पहले से हो ली जा चुकी हैं उन्हीं को पूरा करने में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिये जब धन उपलब्ध होगा तभी उनको पूरा किया जायेगा ।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी सिकन्दराराऊ, जलेसर, और आगरा रोड जिसका कि सर्वेक्षण आदि सारा काम पूरा हो चुका है, उसके निर्माण कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? और यदि हां, तो वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद---

मान्यवर, विचार किया जायेगा ।

तिलहर तहसील से ट्रंककाल

*११---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर से १ जनवरी, १९६७ से १५ अप्रैल, १९६७ तक कितने ट्रंककाल के बिल अदा किये गये और ट्रंककाल जो हुये उनमें सरकारी कितने थे और तहसीलदार महोदय द्वारा निजी कितने किये गये ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

प्रश्न में कथित अवधि में ३२ ट्रंककाल के बिल अदा किये गये जिन में से २७ सरकारी थे तथा ५ तहसीलदार द्वारा निजी कार्य के लिये किये गये थे और उनका भुगतान तहसीलदार द्वारा स्वयं किया गया था ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

सरकारी ट्रंककाल का बिल किस तारीख को जमा किया गया और प्राइवेट बिल किस तारीख को जमा किया गया ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव--

श्रीमन्, तारीख तो मेरे पास नहीं है, महीना है । सरकार द्वारा नवम्बर, १९६६ में ११.५० रुपये जमा किये गये । सरकार ने दिसम्बर, १९६६ में ११.५० रुपये जमा किये और तहसीलदार ने २.५० रुपया, फिर जनवरी, १९६७ में सरकार द्वारा १३.५० रुपये और तहसीलदार द्वारा ८.५० रुपये जमा हुये हैं ।

क्वींस कालेज, वाराणसी में निर्माण-कार्य की जांच

*१२--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि विगत ४ मई, १९६७ को उन्होंने क्वींस कालेज, वाराणसी के मुख्य भवन के निर्माण कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया तथा मौके पर उन्हें लगभग ६०० रुपये प्रति माह के वर्कचार्ज कर्मचारियों के होने के बावजूद भी वहां कोई न मिला था ? यदि हां, तो सार्वजनिक धन के इस प्रकार अपव्यय के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

यह सही है कि ४ मई, १९६७ को मैं क्वींस कालेज, वाराणसी के मुख्य भवन के निर्माण-कार्य को आकस्मिक रूप से देखने गया । वहां का निर्माण-कार्य उस समय स्थगित था । कोई कर्मचारी वहां नहीं मिला । निर्माण-कार्य के स्थगन की जांच की जा रही है ।

*१३--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि सहायक अभियन्ता तृतीय कांस्ट्रक्शन डिवीजन, पी० डब्लू० डी०, वाराणसी ने क्वींस कालेज, वाराणसी के मुख्य भवन के निर्माण कार्य के कुछ अतिरिक्त कार्यों के लगभग ९,००० रुपये भुगतान के लिये उच्चाधिकारियों के पास विगत फरवरी, सन् १९६७ में प्रतिवेदन दिया था और अब उनके विरोध में प्रतिवेदन दिया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

सरकार इस मामले में जांच कर रही है ।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वे मौके पर गये तो वहां पर कोई वर्क नहीं हो रहा था और जब से ठेका का काम बन्द है तब से अधिकारियों ने प्रतिमाह ६०० रु० के हिसाब से वर्कचार्ज्ड के नाम से रुपया निकाला है ?

श्री मंगलदेव विशारद--

मैंने निवेदन किया है कि उसकी जांच हो रही है ।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोई वर्कचार्ज्ड कर्मचारी वहां पर कार्य पर थे चाहे वे उस समय उपस्थित न हों ?

श्री मंगलदेव विशारद—

मान्यवर, मैंने पूछताछ की तो वहां पर कोई आदमी नहीं मिला ।

श्री होरी लाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कार्य किस कारण से बन्द था ? पैसा नहीं था या जाली रजिस्टर भरा जा रहा था जिससे काम नहीं हो रहा था ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने बताया कि जांच हो रही है ।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, जब मंत्री महोदय आकस्मिक निरीक्षण के लिये पहुंचे और उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला तो तत्काल उन्होंने कोई कार्यवाही की ?

श्री मंगलदेव विशारद—

मैंने आते ही चीफ इंजीनियर को फोन पर बता दिया था कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिये कि निर्माण कार्य क्यों रोका गया है ?

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगातार २० वर्षों से अब तक बहुत से कार्य व फर्जी भुगतान फर्जी बिलों के जरिये होते रहे हैं ? क्या मंत्री जी ऐसी समिति का निर्माण करायेंगे जो उनकी जांच कर सके ?

श्री मंगलदेव विशारद—

अलग से समिति बनाने का प्रश्न नहीं है । शासन के सन्मुख जो जो प्रश्न आते हैं उनकी आवश्यकता को देखते हुये शासन जांच करायेगा ।

गोरखपुर जिले में राप्ती व घाघरा का कटाव

*१४—श्री अश्वनी कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में राप्ती और घाघरा नदियों के कटाव से कितने गांव की जमीन तथा आबादी कटकर दूसरे गांवों में चली गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन गांवों में कटाव हुआ है उन गांवों के निवासियों को पुनर्वासित करने का क्या प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री अश्वनी कुमार—

यह सूचना कब तक एकत्र की जा सकेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी बताया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

आपकी सूचना के लिये राजस्व मंत्री जी बता दूं कि पन्द्रह दिन के बाद हम इसको लेंगे, तब तक यह सूचना आ जानी चाहिये ।

तहसीलदार, तिलहर का दौरा

*१५---श्री सुरेन्द्र विक्रम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील तिलहर के तहसीलदार महोदय ने प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में किन ग्रामों का दौरा १८ मई, १९६७ तक किया और कितना डी० ए० तथा टी० ए० चार्ज किया ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

१८ मई, १९६७ तक तहसीलदार, तिलहर ने केवल ग्राम निगोही तथा मीरानपुर कटरे का दौरा किया । अभी तक कोई टी० ए० तथा डी० ए० का बिल प्रस्तुत नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं माननीय उपमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि तहसीलदार ने सिर्फ दो गांवों का दौरा किया मीरानपुर कटरा और निगोही । तो इस प्रकार इस प्रोक्योरमेंट की स्कीम को तहसीलदार तहसील में बैठे-बैठे कैसे परसू करते रहे ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

अभी आपका सवाल था जिसके उत्तर में कहा गया कि टी० ए० सबमिट नहीं किया गया है । जब टी० ए०, डी० ए० का बिल आये तभी कहा जा सकता है कि कितना दौरा किया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था मेरे प्रश्न का कि दो गांवों निगोही, और मीरानपुर कटरा के टी० ए०, डी०ए० का कोई सवाल नहीं था । मैं तो यह पूछ रहा था कि उनकी जो प्रोक्योरमेंट की स्कीम थी, क्या वे तहसील तिलहर से ही प्रोक्योरमेंट को परसू करते रहे ?

श्री अध्यक्ष---

तब तक यह स्कीम ही नहीं थी ।

टेहरी में कांग्रेस कमेटी कार्यालय भवन का किराया

*१६---श्री ऊदल---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि टेहरी नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक बहुत बड़ा बंगला, जिला कांग्रेस कमेटी को कार्यालय के लिये कई वर्षों से २० रुपये माहवारी पर दिया गया है, जो २०० रुपये माहवारी में उठ सकता है ? क्या यह भी सही है कि संस्था पर हजारों रुपये किराये का बाकी है ?

श्री मंगलदेव विशारद---

इस समय इस विषय में जितनी सूचना उपलब्ध है संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४२२ पर)

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ४६ से ५१ तक का किराया क्यों छोड़ दिया गया ?

श्री मंगलदेव विशारद---

विभाग संबंधित अधिकारियों को कहता और लिखता रहा है ।

श्री ऊदल---

सन् ५१ से लेकर आज तक का किराया १,१३९.७५ रुपया वसूल करने के लिये सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मंगलदेव विशारद---

१९-६-६३ को भी संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा गया है ।

श्री चेतराम पचपेड़ा---

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रदेश भर में बंगले जो कांग्रेस के पास हैं उनकी संख्या क्या है ?

श्री मंगलदेव विशारद---

नोटिस चाहिये ।

श्री गौरी शंकर सराफ (जिला बांदा)---

क्या उसे खाली कराने के लिये कोई नोटिस दी गई है ?

श्री मंगलदेव विशारद---

खाली कराने के प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री ऊदल---

क्या मंत्री जी जांच करावेंगे कि उक्त भवन अब २०० रुपये माहवार किराये पर उठ सकता है ?

श्री मंगलदेव विशारद---

जहां तक शासन को जानकारी है वहां के मकान जितनी कीमत के हैं उससे ज्यादा मरम्मत पर खर्च होता है और ज्यादा किराये पर उठाना संभव नहीं है । इसकी कोई कीमत नहीं मिल सकती ।

श्री राम नरेश शुक्ल---

क्या सरकार को मालूम है कि इस मकान को लेने के लिये वहां की कम्युनिस्ट पार्टी भी सक्रिय है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री होरी लाल यादव---

किराया वसूल करने के लिये पहला पत्र कब लिखा गया और आखिरी कब लिखा गया ?

श्री मंगलदेव विशारद---

पहले १ दिसम्बर, १९६६ को भी याद दिलाया गया ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मैं जानना चाहता हूं कि यह आफिस क्या कांग्रेस के पहले कोई और संस्था टेहरी गढ़वाल में थी जिसके पास यह था ?

श्री मंगलदेव विशारद---

विलीनीकरण से पूर्व टेहरी राज्य में प्रजामंडल नामक संस्था के पास था ।

श्री रावेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)---

१६ वर्ष का किराया न वसूल करने पर उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंगलदेव विशारद---

अभी पत्र लिखे जा रहे हैं । वसूल न होने पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

पहासू---छतारी मार्ग

*१७---श्री बृज किशोर (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले की पहासू से छतारी मार्ग को जिला बोर्ड से सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा उक्त सड़क अपने अन्तर्गत कब तक ले ली जायगी ?

श्री मंगलदेव विशारद---

इस मार्ग को जिला बोर्ड से सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने के प्रश्न पर विचार किया गया किन्तु धनाभाव के कारण इस सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेना इस समय संभव नहीं है ।

कालाढुंगी तहसील में ओला से क्षति

*१८---श्री इन्द्रलाल---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ मई, १९६७ को जिला नैनीताल के तहसील किच्छा व काल'ढुंगी में भयंकर तूफान तथा ओला वृष्टि से गन्ना व गिनारे की फसल को कितनी क्षति पहुंची ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

११ मई, १९६७ को केवल कालाढुंगी तहसील में गिनारे की फसल को ही ओले व तूफान से ९० प्रतिशत तक की क्षति होने का अनुमान है ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि इस तहसील में २६ मार्च को भी ओला-वृष्टि से सारी रबी की फसल समाप्त हो गई थी ?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव---

११ मई, १९६७ को जो ओला-वृष्टि हुई उसकी सूचना है ।

श्री इन्द्रलाल---

जिस ओला वृष्टि की सूचना नहीं है, शासन द्वारा अहेतुक सहायता रबी की फसल में नुकसान के लिये क्यों दी गई ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव---

आपके सवाल में ११ मई, १९६७ की बात है, आगे की नहीं है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्

*१९—श्रीमती कलारानी (जिला हरदोई) तथा श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विघटन की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे या उसकी मुख्य मुख्य रूपरेखा बतायेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी नहीं ।

बरबर—मुहम्मदी कच्ची सड़क

*२०—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में विकास क्षेत्र मोहम्मदी में बरबर से मोहम्मदी होती हुई पुल या जाने वाली जिला बोर्ड की कच्ची सड़क पुख्ता कराने की पी० डब्लू० डी० द्वारा किस आगामी योजना में ली गई है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मंगलदेव विशारद—

जी नहीं ।

बस्ती जिले से लेखपाल के विरुद्ध शिकायत

*२१—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी—(जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री लक्ष्मी प्रसाद, ग्राम व पत्रालय कोड़रा, प्रांट तहसील नौगढ़, जिला बस्ती ने मई, १९६७ ई० में किसी लेखपाल के विरुद्ध माननीय उप माल मंत्री जी को कोई शिकायती आवेदन पत्र दिया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्री लक्ष्मी प्रसाद के नाम से एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ।

*२२—श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह शिकायती आवेदन पत्र क्या है तथा क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त शिकायती आवेदन-पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शिकायती पत्र श्री राम प्रसाद लेखपाल के विरुद्ध था । उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं । जांच कराये जाने पर शिकायतें निराधार पाई गयीं । श्री लक्ष्मी प्रसाद ने यह बताया कि प्रार्थना पत्र पर बना हुआ हस्ताक्षर उनका नहीं है और न उन्हें राम प्रसाद लेखपाल के खिलाफ कोई शिकायत है ।

*२३-२४—श्री रामचन्द्र आजाद—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किए गए ।]

उन्नाव जिले में सूखा तथा मिर्जापुर जिले में भुखमरी

*२५—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक मिर्जापुर जिले में भुखमरी से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सरकार ने इस जिले को अभी तक अकालग्रस्त क्यों नहीं घोषित किया ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

भुखमरी से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। जिले की स्थिति ऐसी नहीं कि इसे अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

*२६—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले को पहले सूखाग्रस्त २३ जिले की सूची में रखा गया था, परन्तु उसे बाद में इस सूची से निकाल दिया गया, ऐसा क्यों ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

२२ सितम्बर, १९६६ का रेडियोग्राम द्वारा २१ जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश गया था कि सूखाग्रस्त तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में वसूली तत्काल १५ नवम्बर, १९६६ तक के लिए बन्द कर दी जाय। उन्नाव जिला भी उक्त २१ जिलों में सम्मिलित था। तत्पश्चात् १३ नवम्बर, १९६६ का सेविग्राम द्वारा आदेश जारी हुआ कि जिन क्षेत्रों में सूखे की वजह से जिलाधिकारियों ने खरीफ की किस्त का स्थगन कर दिया है, उन क्षेत्रों मे मालगुजारी का बकाया तथा अधिभार वसूल न किए जायं। इस आदेश में उन्नाव का जिला भी सम्मिलित था। उन्नाव जिले में रबी की फसल को कोई क्षति नहीं पहुंची।

श्री श्रीराम तिवारी—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी सदन में राकेश जी ने उन व्यक्तियों के नामों को भी बताया है जिनकी मृत्यु मिर्जापुर में भुखमरी से हुई है, माननीय मन्त्री जी अपने कागज-पत्र देखकर या अपनी स्मरण-शक्ति से पुनः यह बताने की कृपा करेंगे कि भुखमरी से मृत्युयें हुईं या नहीं ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

माननीय सदस्य ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता हूं। परन्तु ८४ व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में बताया गया था, जो जांच होने पर निराधार साबित हुआ।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या माननीय मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसके पहले चन्द्रभानु गुप्त की सरकार के समय मैंने चुनौती भरे शब्दों में कहा था कि १५० मृत्युयें हुई हैं और उसके उपरान्त भी मैंने ६० व्यक्तियों के मरने की सूचना दी थी ? क्या सरकार ने वहां मृत्यु होने की परिभाषा, या भूख से मृत्यु होने की परिभाषा, विशेषज्ञों की राय के आधार पर की है या नहीं, या पहली सरकार ने की हो ?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

कोई परिभाषा नहीं की है।

*२७—श्री होरीलाल यादव—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

नोटः—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम सेविका एवं सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पदों की समाप्ति

*२८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार ने बी० एल० डब्ल्यू० और ए० डी० ओ० (डब्ल्यू०) के स्थानों को तोड़ने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इससे सरकार को कितने धन की बचत होगी और इन छंटनी किए गए कर्मचारियों को किस विभाग में लगाने का विचार है ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री रामप्रकाश)—

बी० एल० डब्ल्यू० (ग्राम सेविका) तथा सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इससे ५४,३५,५०० रुपए की अनुमानित बचत होगी। छटनी की जाने वाली महिला कर्मचारियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन एवं शिक्षा विभाग में उनकी योग्यता अनुसार यथा सम्भव कार्य दिलाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*२९-३०—श्री दलबहादुर सिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किए गए।]

*३१—श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा तथा श्री वसी नकवी—

[४थे गुरुवार के लिए स्थगित किया गया ।]

विद्यान्त कालेज, लखनऊ के मैनेजर का पत्र

*३२—श्री राधेश्याम कपूर—

क्या यह सच है कि हाल में विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज, लखनऊ के मैनेजर ने सरकार को लिख कर दिया है कि वे कालेज में बरती जाने वाली अनियमितताओं को दूर करने में असमर्थ हैं अतः सरकार कालेज को अपने हाथ में ले ले ? यदि हां, तो सरकार ने कालेज का अपने प्रबन्ध में ले लेने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री रामप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*३३-३४—श्री मुहम्मद रफी खां—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण की प्राप्ति हेतु हटा दिए गए।]

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री नेकराम शर्मा—

[४ जुलाई, १९६७ का प्रश्न संख्या ४-५ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

३—श्री नेकराम शर्मा—

[११ जुलाई, १९६७ के लिए प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उपशिक्षा निरीक्षकों की अस्थायी नियुक्तियां

४—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ में उप शिक्षा निरीक्षकों के कुछ पदों की पूर्ति के लिए राज्य सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे ? यदि हां, तो कितने पदों की पूर्ति हेतु प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे और कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त थे ?

श्री रामप्रकाश—

जी हां। ११ पदों के लिए। १,२०५ आवेदन पत्र।

५—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या उक्त पदों की पूर्ति के लिए सन् १९६६ में पुनः प्रार्थना-पत्र मांगे गए थे? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए?

श्री रामप्रकाश—

जी हां। २५४ नये आवेदन पत्रों को मिला कर कुल १,४५९ प्राप्त हुए।

६—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या उक्त पदों पर नियुक्तियां की गयीं या नहीं की गयीं? यदि नहीं की गयीं, तो क्यों नहीं की गयीं? यदि की गई, तो क्या कोई मेरिट लिस्ट बनी थी और उस मेरिट लिस्ट को सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री रामप्रकाश—

लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक मेरिट लिस्ट न बनाए जा सकने के कारण नियमित रूप से नियुक्तियां नहीं की गयीं लेकिन काम चलाने के लिए अस्थायी नियुक्तियां कर दी गई हैं। उपर्युक्त के कारण मेरिट लिस्ट सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

७–८—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

९–१०—श्री नाथूराम शिक्षक—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

११–१२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[२१ जुलाई, १९६७ के लिए स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में कच्चे कुएं

१३—श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड कोयलसा, अतरौलिया और अहरौला में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितने कच्चे कुयें आदि खोदे गए हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या उसकी एक सूची मय नाम और पते की सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा—

आजमगढ़ जिले के कोयलसा, अतरौलिया और अहरौला विकास खण्डों में कच्चे कुओं की खुदाई योजना में अन्तर्गत १९५९ कच्चे कुएं खोदे गये जिनके लिए ३९,१८० रु० की सहायता वितरित की गई। प्रश्न में वांछित *सूची भी संलग्न है।

---

*छापी नहीं गई।

प्रश्नों के समय सम्बन्धित मन्त्री की उपस्थिति की प्रार्थना

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि यह ठीक है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए माननीय उपमन्त्री काफी हैं, किन्तु सदन की यह परम्परा रही है कि जिन सम्बन्धित मन्त्री के प्रश्न होते हैं वे उस दिन उपस्थित रहते हैं। लेकिन मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूं कि केवल उपमन्त्री रहते हैं। कभी ऐसे की प्रश्न आ जाते हैं जिनमें मन्त्रियों को इन्टरवीन करने की आवश्यकता होती है, उस समय सम्बन्धित मन्त्री के न होने से ठीक-ठीक उत्तर हमें नहीं मिल पाता और हम जो उत्तर मिलता है, उससे सन्तोष नहीं होता। क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सम्बन्धित कैबिनेट के मिनिस्टर ही ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर देने के समय उपस्थित हों?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न कल भी इस सदन में उठा था। मैंने कहा था कि न तो ऐसी कोई परम्परा ही रही है और न ऐसा कोई नियम ही है कि कैबिनेट का मिनिस्टर ही जवाब दे अथवा मौजूद रहे। यह प्रत्यक्ष है कि मन्त्रियों को दोनों सदनों में जाना पड़ता है और अगर ऐसा नियम हो भी तो वह कैसे दोनों सदनों में एक साथ रह सकेंगे। लेकिन माननीया सदस्या की बात को मन्त्री जी ने सुना है और चूंकि हर बात का असर होता है, अगर मन्त्री जी रह सकें तो अच्छा ही है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

अभी श्रीमन् ने बताया कि मन्त्री को दोनों सदनों में रहना पड़ता है, तो क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था है कि मन्त्री लोग दो पार्टियों में रह सकें?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

यह ठीक है कि मन्त्री को दोनों सदनों में जाना पड़ता है, लेकिन दोनों सदनों में एक ही दिन एक ही मन्त्री के प्रश्न नहीं होते कि जिससे मन्त्री जी यहां उपस्थित न रह सकें। नियमों में यह भले ही न हो लेकिन ऐसी परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लक्ष्मीरमण जी स्वयं मन्त्री रह चुके हैं, वह परम्परा के बारे में जानते ही होंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है मैं नियमों के अनुसार उनको बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन यह अच्छा हो यदि सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित रह सकें।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ के अन्तर्गत निदेश†

शिक्षा उप मंत्री (श्री अनन्तराम जायसवाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, शिक्षा (ग-१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१-१०८०/१५-६०(४१)-६६, दिनांक १३ अप्रैल, १९६७ द्वारा प्रख्यापित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (१) के खण्ड (कक) के अन्तर्गत निदेश के अनुसार उक्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१-७४२५(१)/१५-६०(५१)-१९६६, दिनांक २१ नवम्बर, १९६६ में संशोधन को, उक्त धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७†

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं, शिक्षा (ग-१) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ग-१-१५४०/१५-३९(७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित 'कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७' को, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६७††

कृषि उपमन्त्री (श्री महीलाल)—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ९६६-बी/३३-२००-६४, दिनांक २१ मार्च, १९६७ द्वारा प्रख्यापित 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९६७' को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण नियमावली††

स्वायत्त शासन उपमन्त्री (श्री मुहम्मद असरार अहमद)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निवास विभाग की विज्ञप्ति संख्या ओ-३२-पी/३७-२०२-एच-५, दिनांक १६ जून, १९६६ द्वारा प्रख्यापित 'मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण नियमावली' को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री रामचन्द्र सिंह की कांग्रेस विधायक दल में रहने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब सदन को मुझे एक सूचना देनी है। कल मैंने जन कांग्रेस के सदस्यों की एक सूची पढ़कर सुनाई थी २७ नामों की जिसमें मैंने यह बताया था कि इतने कम और इतने ज्यादा होकर अन्ततोगत्वा २६ नाम मेरे पास हैं। अब एक पत्र श्री रामचन्द्र सिंह का आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि निवेदन है कि मैं कांग्रेस विधायक दल का सदस्य हूं और जो सूचना आपको दी गई है वह निराधार है, कृपया इसकी सदन में घोषणा कर दें। कल जब मैंने सदन में घोषणा की थी तो मैंने स्वयं जानकारी की थी, मेरे पास एक लिस्ट २७ सदस्यों की आई थी, मैंने उसको काफी नहीं माना और मैंने उन से भी मालूम करने का प्रयत्न किया कि वे वास्तव में शामिल हुए हैं। उन में से २ का नहीं आया था, एक तो श्री चौधरी ने सूचना भेज दी थी और एक श्री राजाराम ने सूचना दी कि वह सम्मिलित नहीं हुए हैं और मेरा नाम गलती से शामिल कर दिया गया है। इस लिए कल की ही सूचना ठीक रही, उसमें कोई परिवर्तन या परिमार्जन नहीं हुआ है।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह नामों की घोषणा के लिए फेहरिस्त आप के पास भेज दी जाय और सम्बन्धित सदस्यों से न पूछा जाय और आपके द्वारा नामों की घोषणा भी हो जाय यह कहां तक उचित है। माननीय सदस्यगण से नहीं पूछा गया इससे सदस्यों की और सदन की बदनामी होती है। एक बार पहले भी हो चुका है कि श्री रामसहाय गुप्त जी जन कांग्रेस में चले गए हैं जबकि वह मेम्बर ही नहीं थे। तो इसके लिए कोई बन्दोबस्त होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यदि किसी एक सज्जन का नाम अखबार में छप गया कि अमुक आदमी एक दल छोड़कर दूसरे दल में चले गए, इस पर हमारे कार्यालय का कोई काबू नहीं है। अगर अखबार में कोई काल्पनिक नाम छप जाय तो वह अखबार वालों की जिम्मेदारी है। जहां तक यहां का प्रश्न है, मैंने घोषणा करना तभी मुनासिब समझा था जब मैंने जानकारी कर ली थी और मैंने तो घोषणा करते समय ही बता दिया था कि २७ में से २ सज्जनों ने सम्पुष्टि नहीं की है और इसलिए मैंने उसको नहीं माना था। एक सज्जन ने मुझे सूचना दी कि मेरा नाम गलत सम्मिलित हो गया है इसी लिए मैंने सदन को सूचित किया।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, आपने तो जो कुछ किया वह बहुत ही उचित किया, लेकिन मुझे तो निवेदन यह करना है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, इसी तरह से श्री जी० एस० चौधरी का नाम भी छप गया था। मैं तो निवेदन करूंगा कि यह जो खिलवाड़ जनकांग्रेस की ओर से होती है उसको बन्द करायें। हर चीज की एक सैंक्टिटी होती है, जिस जनकांग्रेस के नेता नेता सदन हैं उनके दल की तरफ से इस कदर फेबरीकेटेड और गलत बातें हों यह बड़ी अशोभनीय बात है। श्रीमन्, मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बात की व्यवस्था करें कि जनकांग्रेस के लोगों ने जो इस तरह का तरीका अख्तियार किया है, वह न हो। हमारे सदन के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करें और उनके मान मर्यादा की रक्षा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आशा करता हूं कि जो भी दल मेरे पास किसी नाम की सूची भेजते हैं, वे ऐसी जानकारी करके ही भेजते होंगे। फिर भी इस आशय से कि कोई गल्ती की गुंजायश न रहे और चूंकि यह आवागमन, ट्रैफिक जारी था, इसलिए मैंने खास तौर से एम्पिल प्रिकाशन लिया कि जब तक मैं मेम्बरों से स्वयं लिखित रूप से न प्राप्त कर लूं कि वे अमुक दल में शामिल हो गए हैं, मैं उनकी सूची को आखिरी या निर्णायक बात नहीं मानता हूं। इतना ही मैं कर सकता हूं और इससे अधिक नहीं कर सकता हूं।

सिंचाई मन्त्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह सदन में सूचना दे सकते हैं। यह ओवरनाइट मैनिपुलेशन है। जहां तक सूचना का प्रश्न है, कांग्रेस वाले खुद अपने सदस्यों की संख्या के बारे में कन्फ्यूज्ड हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो मामला हमारे सामने है उसके बारे में ही कहिए?

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, जब आपने लिस्ट पढ़ कर सुनाई तो अनिश्चितता के कारण कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं कहा। तो वे अपने कन्फ्यूजन को दूसरों पर उसका आरोप न लगावें। उनके अन्दर कन्फ्यूजन है जिसको वे छिपाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जैसा मैंने कहा—एक दो माननीय सदस्य जिनके नाम मैंने अभी लिए, उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। चूंकि उनका नाम उस २७ आदमियों की सूची में था इसलिए उन्होंने यह पत्र भेजा। चूंकि सदस्यों की भावनाओं का संरक्षण करना भी मेरा फर्ज है, इसलिए मैंने यह पढ़ कर सुना दिया।

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, जो प्रश्न मैंने उठाया था माननीय मन्त्री उस पर न बोलते तो अच्छा होता। अखबारों में जो बातें छपी ह, उसमें तो दखल नहीं है, लेकिन अजीब बात है कि दोनों दफा कांग्रेस के आदमियों के नाम लिए गए। मैं समझता हूं कि जब माननीय मन्त्री को इस में दिक्कत हुई तो यह बात सरलता से नहीं हुई। इसमें कुछ हेरफेर है। क्या मान्यवर, यह नामुनासिब नहीं है कि किसी लिस्ट की घोषणा जब तक उसके साथ में सम्बन्धित माननीय सदस्य के दस्तखत न हों, न करें और उस सूची को आप स्वीकार न करें?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसी परिपाटी को मानता हूं और इसका पालन करूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

माननीय फूल सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, वह किसी हद तक अपनी जगह पर ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि विषय को लम्बा न कीजिए। इसमें सहायता देना हो तो दें।

श्री बाबू बदरे—

श्रीमन्, रोजमर्रा जो यह आवागमन की घोषणा होती रहती है यह कब तक होती रहेगी? मेरी प्रार्थना है कि इसको रोकना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक उन माननीय सदस्यों को, जिनके नाम सूची में हों, आप अपने सामने न बुला लें और उनका लिखित स्टेटमेंट न ले लें, तब तक उस सूची को न मानें क्योंकि इस २० साल के अन्दर बहुत से कार्यकर्ताओं को इन्होंने खराब कर दिया। एक-एक माननीय सदस्य के घर पर जाना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है कि स्टेटमेंट लेकर ही किसी लिस्ट को आप घोषित करें।

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय टण्डन ईश्वर प्रसाद जी खड़े हुए थे तभी मैं आशंका कर रहा था कि यह विषय समाप्त होने के बजाय कुछ बढ़ने को ओर जा रहा है। मेरे लिए दिक्कत हो जाती है जब एक बार प्रश्न के अतिरिक्त कुछ और आ जाता है और दूसरे लोग उसका जवाब देने के लिए आ जाते हैं। बाबू बदरे साहब ने जो बात कही है मैंने यह कई बार कहा है। ठाकुर फूलसिंह जी ने जब कहा तब मैंने यह कहा कि ठीक इसी व्यवस्था का अनुसरण करना मैंने तय कर लिया है कि जब तक मैं माननीय सदस्यों से जानकारी प्राप्त न कर लूं तब तक न घोषणा करने का मेरा इरादा है, न घोषणा करता हूं।

श्री केशवदेव (जिला अलीगढ़)—

मेरा निवेदन यह है कि २७ व्यक्तियों की एक लिस्ट आपके पास आई। उसमें से एक ने लिखित सूचना आपको दे दी और दो मौन रहे। इसके मानी यह हैं कि वे भी इधर रहे। इस लिए आपने २५ आदमियों के ऊपर जो जनकांग्रेस को मान्यता प्रदान की थी आप उसे अब खारिज कर दें और वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

आप कुछ गलती कर रहे हैं। कुल मिला कर कल जो मैंने घोषणा की थी वह ठीक थी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपने जो कहा कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वह ठीक ही कहा। अगर किसी दल की तरफ से कोई लिस्ट आपके पास भेजी जाय तो उस माननीय सदस्य से ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसने उस दल को छोड़ा है अथवा नहीं छोड़ा है और जब आप खुद सन्तुष्ट हो जायेंगे तभी आप घोषणा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप इसे ठीक समझते हैं तो आपका मौन समर्थन भी हो सकता था।

श्री ऊदल—

आपने जो रास्ता अख्तियार किया है अपने को सन्तुष्ट करने का उससे बेहतर रास्ता मुझे कोई प्रतीत नहीं होता और वह बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

कल श्रीमन्, आपने इसी सदन में घोषणा की थी कि २६ सदस्य जनकांग्रेस में हैं और दो माननीय सदस्यों ने कहा कि वे जनकांग्रेस में नहीं हैं, तो कल जो आपने जनकांग्रेस को मान्यता दी थी उस पर आप पुनः विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपने सुना नहीं। उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो सूचना मैंने कल दी थी वही ठीक थी। इसलिए पुनः विचार करने का प्रश्न कहां से पैदा होता है?

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

जहां तक जनसंघ का संरक्षण टण्डरेश्वर जी कर रहे हैं उस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके सदन का समय और कार्यों के लिए सुरक्षित रखने में मदद करें।

श्री रामनरेश शुक्ल—

मुझे केवल इतना निवेदन करना है श्रीमन् से कि एक मन्त्री जी हैं उधर जिनको यह मर्ज हो गया है कि जिस शहर में जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब जो आप कहेंगे इसके बाद वह रेकार्ड का भाग नहीं बनेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं केवल इतना पूछ रहा था श्रीमन् से कि जब २५ से कम हो जायेंगे तब तो मान्यता समाप्त कर देंगे?

श्री अध्यक्ष---

देखेंगे जब समय आयगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आचार्य जी ने कहा है कि अगर २५ से एक आध कम हो जायेंगे तो मान्यता समाप्त हो जायगी, तो सदन में अगर १५ रहे हैं फिर भी मान्यता दी है और माननीय मदनमोहन वर्मा ने दी है।

श्री अध्यक्ष---

अगर ऐसी स्थिति आयी तो मैं आप से मशविरा कर लूंगा।

१९६७-६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--- अनुदान संख्या २३---पशुपालन और मत्स्य पालन

वन उपमन्त्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३---पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,१३,७७,८०० रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

यदि आपकी अनुमति हो तो दूसरा अनुदान भी प्रस्तुत कर दूं ?

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन और सरकार की सूचना के लिए बता दूं कि इन दोनों अनुदानों के लिए आधा-आधा दिन रखा गया है। तो जो अनुदान आपने प्रस्तुत किया है इस पर दो घंटे, यानी साढ़े १२ से ढाई बजे तक बहस चलेगी और दूसरा जो ढाई बजे आप प्रस्तुत करेंगे वह लगभग साढ़े ४ बजे तक चलेगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

जो मन्त्री जी बैल की जोड़ी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं वह पशुपालन का बजट कैसे रख रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं एक बात की प्रार्थना करूं कि अगर सदन में कोई माननीय सदस्य एक बात कहें तो यह आवश्यक नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाय। पार्लियामेंटरी लाइफ बड़ी असह्य हो जायगी अगर कोई बात कही न जाय किसी तरफ से।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जो व्यवहार बैलों के साथ किया जाता है वही व्यवहार किया।

श्री ओमप्रकाश सिंह ---

अध्यक्ष महोदय, आज के आर्थिक जगत में पशुओं का सब से बड़ा महत्व है। हमारे प्रदेश की ८ करोड़ जनसंख्या है। पशुओं की संख्या लगभग ५ करोड़ है। सारे देश में पशुओं की जितनी जनसंख्या है उसका १४.६८ प्रतिशत संख्या हमारे प्रदेश में है। उनसे करीब ३१९ करोड़ रुपये की वार्षिक आय है और यह सम्पूर्ण आय का १/६ भाग है। हमारे पशुपालन

विभाग के जो उद्देश्य हैं उनमें मुख्य तीन है। पशुधन का विकास नस्लसुधार और बीमारियों की रोकथाम। इन्हीं तीन चीजों को दृष्टि में रख कर हमारा पशुपालन विभाग कार्य कर रहा है।

हमारे देश की जो अन्न समस्या है उस दृष्टि से भी हमारे पशुपालन विभाग का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पशु दूध और मांस द्वारा बहुत से खाद्यान्न की पर्ति करते हैं। हमारे देश में जो दूध की उत्पत्ति होती है वह बहुत ही कम है जबकि हमारे देश में दूध की अधिक आवश्यकता है। हमारे देश में ७.२ मिलियन टन दूध की आवश्यकता है जबकि उपलब्धि ४.३ मिलियन टन की है। इसी तरह से मांस की आवश्यकता हमारे यहां .४९ मिलियन टन है जब कि उसकी उपलब्धि केवल .१० मिलियन टन है हमारे देश में १२ अरब ५१ करोड़ ३० लाख अंडों की आवश्कता है जब उपलब्धि १९ करोड़ ९० लाख अंडों की है। इसी तरह से हमारे देश में व प्रदेश में पशुओं की उन्नति प्रजनन, रोगों का रोक थाम, चारा विकास, भेड़, बकरी कुक्कुट पालन आदि के विकास की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है जिसके लिये हमारा विभाग सारे कार्य कर रहा है। पशु प्रजनन का जहां तक सम्बन्ध है, हमारे प्रदेश में करीब १२३.८७ लाख गाय भैंसें हैं। हमें उनके लिये करीब ६० हजार सांड़ चहिये जबकि इस वक्त हमारे यहां केवल ११ हजार सांड़ नस्ल सुधार के लिये उपलब्ध हैं। आर्टीफीशियल इनसे मीशन के लिये इस समय हमारे यहां १०८६ सांड़ हैं यानी ३५.५ प्रतिशत और इस चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में हम १५०परसेंट प्रजनन हेतु उपलब्ध कराना चाहतें हैं। हमारे प्रदेश में सांड़ों की कमी है और इसे लिये हमारे यहां आर्टिफिशियल इनसेंमनेशन की योजना चलाई गई है। उसको हम इस वर्ष और बढ़ा रहें हैं और इस वर्ष आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन के ४० सेन्टर और खोलने जा रहे हैं। इसी तरह से क्रास ब्रीडिग को योजना चालू की गयी है जिससे अच्छे नस्ल की गाय तैयार हो सके और उसके लिये हम बाहर विदेशों से अच्छे नस्ल के सांड़ मंगा रहें हैं। चारा विकास के लिये भी हमारे देश में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पंजाब में जहां १३.४३ प्रतिशत भूमि में चारा बोया जाता है वहां हमारे प्रदेश में केवल ३.२९ प्रति शत भमि में चारा बोया जाता है। हमारी योजना यह है यहां अधिक चारा पैदा किया जाय जिससें हमारे प्रदेश पशु शक्तिशाली बन सके और उनसे अधिक दूध लिया जा सके। इस साल करीब १८,९०० एकड़ भूमि में उन्नति चारे हेतु बीज वगैरह वितरित किया जायगा चारे की भूमि का क्षेत्र हम और बढाना चाहते हैं।

हमारे प्रदेश में ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें भेड़ों की उन्नति की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये हम आंशिक मूल्य पर भेड़ें देते हैं जो ऊन का काम करते हैं वे अच्छी भेडे पालें और उनको अच्छी ऊन मिले। इसके लिये हमने दो भेड़ केन्द्र नये स्थापित किये है और दो का रिनोवेशन यानी नवीकरण करने जा रहे हैं। इस तरह से हम मिर्जापुर में एक भेड़ों का फार्म खोलने जा रहे हैं और विदेशों से २०० भेडे मंगा रहे हैं। यह हमारी भेड़ों के संबंध में योजना है।

हमारे प्रदेश के बहुत बड़े भाग में बकरियां पाली जाती हैं। इसमें हम जमुनापारी और बबंरी बकरियां की किस्म को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये हम पूर्वी जिलों में कार्य कर कर रहे हैं। हमने पिछले वर्षों में हमने १०० अस्पताल में २ बकरे प्रति अस्पताल के अनुपात से रखे हैं यानी २०० बकरे रखे हैं और अब ३५ अस्पतालों में २ बकरे प्रति अस्पताल के हिसाब से रखने जा रहें हैं यानी ७० बकरे और रखेंगे। सवर पालन की तरफ अभी तक अधिक ध्यान नहीं लेकिन इस वर्ष हम अलीगढ़ में इसके लिये दो विकास खंड खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा दो और विकास खंड प्रदेश के अन्य भागों में खोलने जा रहे हैं।

हमारे प्रदेश की जन संख्या को शक्तिशाली और अच्छा भोजन मिल सके, इसके लिये हमने मुर्गी पालन को ओर विशेष ध्यान दिया है। इस समय हमारे प्रदेश में कुल ४६ मुर्गियों के फार्म हैं और मुर्गियों की संख्या ३५,१०० है। हम चार फार्म और खोलने जा रहे हैं। हमारे यहां पशु

[श्री ओमप्रकाश सिंह]

चिकित्सालय कुल ९८२ हैं, स्टाकमैन सेन्टर १३२७ हैं। १९६७-६८ में नई डिस्पेन्सरीज के खोलने का हमारा इरादा नहीं है लेकिन जो डिस्पेन्सरीज हैं उनमें समुचित दवाओं का प्रबन्ध करना चाहते हैं। अभी तक हमारे प्रदेश में जो पशुओं के रोग थे उनकी रोक थाम के लिये व्यवस्था कम हो रही थीं, लेकिन अब उनके लिये जहां इंजेक्शन बनते हैं उस उत्पादन शाखा का हम विस्तार कर रहे हैं और उस पर १,२२९ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं।

हमारे प्रदेश में पशु चिकित्सकों की बहुत कमी है और केवल एक ही कालेज इस के लिये हमारे यहां है। उसमें हम सुधार करने जा रहे हैं। इस कालेज में बी० एस-सी०, एम० वी० एस० सी० और पी० एच० डी० के क्लासेज हैं। इसी तरह से हमारे यहां तीन पशु सेवा प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां पशु सेवक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो पशु मर जाते हैं उनकी खाल निकाली जाती है जिससे चमड़े का कार्य हो। इसके प्रशिक्षण के लिये हमारा एक सेंटर बख्शीकातालाब में है जहां ट्रेनिंग दी जाती है जिससे लोग अच्छे प्रकार का चमड़ा बना सकें।

मत्स्य पालन पर इस वर्ष ५,४६६ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं। यह ४६ जिलों में काम चल रहा है और १४ जिलों में बड़े बड़े टैंक्स की योजना है। १९६७-६८ में तीन जलाशय लेना चाहते हैं जिसमें ७ लाख रुपया खर्च किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

उधर माननीय सदस्य आपस में बातें कम करें। मैं पीछे की तरफ संकेत कर रहा हूं, जहां स्त्रियां बैठी हुई हैं।

श्री ओमप्रकाश सिंह--

इस योजना में हम चार मीडियम जलाशय लेने जा रहे हैं जिनसे चालीस लाख बच्चे निकाल कर वितरित किये जायेंगे। इंडयूस्ड ब्रीडिंग की स्कीम जो पिछले वर्ष से चल रही है १९६७-६८ में ६ फार्म और खोलने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में सहकारिता को बढ़ावा दिया जा सके दो मछुआ सहकारी समितियां हम स्थापित करने जा रहे हैं और कुछ पुरानी सहकारी समितियों को रिआर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। जो बड़े-बड़े जलाशय है वहां पर मछलियों के फार्म बनाये जावेंगे। ब्लिडंग्ज वगैरह भी बना ली हैं, तकनीकी सलाह के लिये एक अभियन्ता का प्राविजन करने जा रहे हैं। जो बड़े-बड़े जलाशय हैं इनसे बहुत सा खरपतवार और घास पैदा हो जाती है जिससे मछलियों का विकास रुक जाता है। उसके लिये बनस्पति निकालने की योजना लागू कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे प्रदेश में मत्स्य पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। बंगाल और मद्रास जैसी स्टेट्स की तरह जहां फिशरीज का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जो लोग फिशरीज में इंटरेस्टेड हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। हमारे बड़े-बड़े रिहन्द जैसे जलाशय हैं। वहां छोटी नावें काम नहीं कर पा रही हैं। वे हवा में उलट जाती है। हमने कुछ बिग बोट्स भी खरीद ली हैं। लांचेज के जरिये मछलियां इकट्ठा करना चाहते हैं। उसके लिये कुछ टेक्नशीयंस और कुछ ड्राइवर्स वगैरह ले रहे हैं। इस प्रकार पशुपालन और मत्स्यपालन की योजना लागू करना चाहते हैं।

सदैव से ही यहां पशुपालन की बहुत बड़ी महत्ता रही है। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं-- नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, जहां पशुपालन पर वहां की सारी आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। हमारे देश में पशुधन की बहुत बड़ी संख्या है। पशुओं की नस्ल का सुधार करें जिससे दुग्ध का उत्पादन हो और अच्छे नस्ल के बैल तैयार हों जिससे कृषि की उन्नति हो, इसके लिये हम हरियाना की नस्ल का प्रसार करना चाहते हैं। इसी प्रकार से मछलियों की खाद्यान्न में बहुत बड़ी जरूरत है। हम चाहते हैं कि गांवों के तालाबों में लोग अच्छी मछलियां पालें जिससे खाद्य समस्या हल हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान की मांग को प्रस्तुत करता हूं।

श्री कालीचरण (जिला एटा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपके कमल नयनों को मैं चिर प्रतीक्षा के बाद अन्तोगत्वा आकृष्ट कर सका और आपने अवसर दिया कि मैं प्रस्तुत अनुदान में कटौती का प्रस्ताव पेश कर सकूं।

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––

(१) पशुपालन हेतु कार्यों में सरकार की उदासीनता पर चर्चा करना एवं गऊ संवर्द्धन व गोपालन पर ठोस सुझाव देना ।

(२) दूध की कमी को दूर करने पर चर्चा करना ।

(अन्य प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२३ पर)

अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय उप मंत्री जी का भाषण बड़े गौर से सुना, किन्तु यदि इस अनुदान पर स्वयं पशुपालन मंत्री जी बोले होते और अपने विचार प्रकट किये होते तो बहुत अच्छा होता । जब मैं कृषि विभाग का सरकार में उप मंत्री था तो बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव भाई विकल जी मेरे सामने रखते थे और मैं उनसे प्रेरणा प्राप्त किया करता था अपने कार्य को कार्यान्वित करने के लिये । लेकिन मुझे खेद है कि मैं जो उनसे अपेक्षा करता था कि एक नई तस्वीर उनके द्वारा हमारे सामने आयेगी, जिससे ग्रामीण राज्य की स्थापना हो और ग्रामीण जीवन में चार चांद लग जायं, किन्तु मेरी वह अपेक्षा और आशा उनसे परी नहीं हुई है । ग्रामीण जीवन का पशुपालन से बड़ा गहरा सम्बन्ध है और पशुपालन के सुधार के साथ ही ग्रामीण जीवन उन्नति कर सकता है, लेकिन मैंने पाया एक पिटा पिटाया अनुदान जिसकी यहां अभी चर्चा हुई है केवल नौकरशाही की एक छाप (रबरस्टाम्प) और जो आंकड़े नौकरशाही ने उन्हें दिये वही यहां पर सुना दिये गये है । पशु सुधार के लिये एक नवीन योजना सरकार की ओर से आती, लेकिन मुझे खेद है कि यह सारी बातें हमारे सामने नहीं आ सकीं । मैं यह भी अपेक्षा करता था कि वन और पशुपालन मंत्री ने जो लम्बे चौड़े दौरे प्रदेश के किये, उसके मध्य वेटेरनरी कालेज, मथुरा की जो ईंटें व पत्थर अपना करूण क्रन्दन मुखरित करते हैं उनकी ओर मंत्री जी का ध्यान जाता । कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में जो मनमानियां और मखौल हो रहा है, उसकी ओर मंत्री जी का ध्यान जाता । लेकिन उनकी ओर उनका ध्यान नहीं गया–– उनका ध्यान इस करुण क्रन्दन और चीत्कार की ओर न जाकर जन को बनाने की ओर ही सीमित रहा कि किस प्रकार से उनकी सरकार मजबूत हो । और इसीलिये सारे के सारे दौरे होते रहे । मैं यह भी महसूस करता हूं कि यदि कोई पार्टी स्वच्छ प्रशासन दे सकती है और प्रदेश की उन्नति कर सकती है तो हमें उसका स्वागत ही करना चाहिये । मंत्री महोदय मेरे पुराने कर्मठ साथी, विद्वान मित्र और ग्रामीण नेता हैं । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह केवल अपनी पार्टी के हित और स्वार्थ में न चलकर राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति की दृष्टि से ही इन पर विचार करें ।

मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है । यहां के ८० प्रतिशत आदमी गांवों में निवास करते हैं और ७५ प्रतिशत व्यक्तियों की खेती पर अपनी जीविका निर्भर करती है । इसलिये आवश्यकता है कि हम अपने ग्रामों को स्वावलम्बी बना सकें और कृषि और पशुपालन की अधिकाधिक उन्नति करें जिससे देश और प्रदेश का नक्शा बदल सके । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर, मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की ७५ प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर हैं, और उसके अन्तर्गत भी यहां पर ९० प्रतिशत जो हमारी छोटी-छोटी जोतें हैं उन पर यंत्रीकरण के द्वारा हम खेती नहीं कर सकते है । चाहे छोटे ट्रैक्टर हों या बड़े ट्रैक्टर हों, वे वहां पर काम नहीं कर सकेंगे । इसलिये हमें खेती के लिये निर्भर करना पड़ेगा दो बैलों की जोड़ी पर और इस हेतु हमें उनसे पर्याप्त सुधार करना चाहिये । इसलिये मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो अनुदान उन्होंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें वह इन बैलों के विकास के लिये, उसके प्रजनन के सुधार के लिये कौन-सी नई योजना हमारे सामने लाये हैं । आज जबकि देश के अन्दर एक नई प्रकार की

[श्री कालीचरण]

प्रान्तीयता की आंधी चल रही है, जिससे राष्ट्रीय एकता कुंठित होती चली जा रही है—पूंछेगा मंत्री जी से उन्होंने पशुपालन के विकास पर क्या ध्यान दिया है ? खेद है कि प्रत्येक प्रान्त केवल एक प्रादेशिक दृष्टिकोण से देखता है । मैंने हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें कहा गया है कि वहां की सरकार—हरियाणा से गायों और बैलों का निर्यात बन्द करने जा रही है । आखिरी जितनी गाये और बैल हमारे यहां है उनकी नस्लें इनी-गिनी हैं, हमारे यहां हरियाणा, सिन्धी, नागौड़ी तथा बीकानेरी बैल हैं—और साहीवाल, हरियाणा, सिन्धी, थारपारकर गायें हैं, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यदि इन सारी नस्लों का हमारे प्रदेश में आना रोक दिया जाय तो हमारे प्रदेश की हालत क्या होगी । और किस तरह से हमारी कृषि चल सकेगी और कैसे हम अपने कार्य का संचालन कर सकेंगे । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह एक प्रकार की योजना बनावे जिससे हमारे यहां बैलों की नस्ल की प्रगति हो सके और हम उनका सृजन कर सकें । बैल खाली हमें खेती के लिये नहीं चाहिये, यातायात के लिये भी बैलों की अवश्यकता होती है चाहे वह यातायात कृषि सम्बन्धी हों या सामान को ग्रामों से शहरों में ले जाने को हो या मोटर के अभाव में अपने निजी यातायात के लिये हो । यन्त्रीकरण से हम सारी की सारी कृषि को प्रोत्साहन नहीं दे सकते और इसलिये हमें हल चलाने के लिये भी बैलों की जरूरत है ।

इसके साथ-साथ गोबर के खाद में वह गुण है जो अमोनियम सल्फेट और दूसरे रासायनिक खादों में नहीं है । हम गोबर की खाद से बड़ा भारी काम कर सकते हैं । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमने छोटे-छोटे फार्मों पर गैस प्लान्ट लगा रखे हैं और वह भी गोबर के द्वारा ही संचालित होते हैं । इसलिये बैलों का बड़ा भारी महत्व है इस देश की कृषि व्यवस्था के के लिये मेरा निवेदन है कि इस ओर हमें अधिक ध्यान देना चाहिये । अधिक से अधिक उन्नति प्रजनन केन्द्र खोले जाने चाहिये । प्रत्येक ग्राम को स्वस्थ गायों और बछड़ों के लिये सबसीडी दी जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी खेती पर बड़ा भारी भार है । हमारे अनेकों छोटे-छोटे उद्योग धंधे, जिनको हमने पशुपालन के सम्बन्ध में रखा है । जैसे मत्स्य पालन—मुर्गी पालन छोटी-छोटी डेयरियां इत्यादि, इन सब को ग्रामीण क्षेत्रों में लाकर अगर सरकार इनको प्रोत्साहित करने के लिये थोड़ा सा प्रयत्न करें तो हमारा सारा का सारा नक्शा पशुपालन का बदल जायगा और ग्रामों की अर्थव्यवस्था पर उसका बड़ा भारी असर पड़ेगा ।

मान्यवर, एक निवेदन और है । आज हमारे देश में बड़े जोर शोर से औद्योगीकरण हो रहा है । गांधी जी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि जो आज उद्योगों का केन्द्रीकरण होता चला जा रहा है । उसके द्वारा ग्राम उद्योग नष्ट हो जावेगा । मैं चाहता हूं कि हमारे देश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और विकेन्द्रीकरण तब तक सम्भव नहीं है जब तक हमारे गांवों में छोटे-छोटे उत्पादन के केन्द्र स्वावलम्बी न हों । आज एक पूंजीवादी साम्राज्य इस देश के अन्दर कायम हो गया है । हम लोग लम्बी-चौड़ी बातें समाजवाद की करते है, विकेन्द्रीकरण की करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति है वे ही सारी की सारी आर्थिक सत्ता हथियाने बैठे है । हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक ओर तो पूंजीपति और उद्योगपति गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में बिहार करते हैं और दूसरी ओर मानवता सड़कों, खेतों और रास्तों पर पड़ी हुई कराहती रहे ।

अब मैं डेरी उद्योग की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण हो और जो पशुपालन की बात है वह तो है ही लेकिन हमारे सारे छोटे-छोटे कामों को गांवों में स्थापित किया जाय । मैं यह भी देखता हूं कि बड़ी भारी भारी डेयरीज फार्म हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन डेयरीज का विकेन्द्रीकरण करके केवल काटेज इंडस्ट्रीज के रूप में इनका प्रयोग करना चाहिये । एटा में लीबर वादर्स की करोड़ों रुपये की डेरी है जिसके परिणाम स्वरूप इधर २ रुपये किलो बिक रहा है । और बड़े बड़े पूंजीपति दूध से घी और पाउडर बना लेते हैं, आधी के बाद जो सपरेटा बचता है उसको दूध की जगह इस्तेमाल करने के लिये

बेंच देते हैं। पाउडर बनाकर वह विदेशों और दूसरे प्रांतों में बेंचने के लिये भेज देते हैं। इससे भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर बड़ा भारी असर पड़ रहा है। मैं चाहता हूं सरकार इन सब बातों पर ध्यान देने की कृपा करे। दूध की समस्या जैसा कि मैंने निवेदन किया इस तरह की है जो बहुत विचार करने की है। हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि, जिसमें कृष्ण और राम का अवतार हुआ, और जिसमें कहा जाता है कि दूध, घी की नदियां बहा करती थीं, आज क्या दशा है ? इस प्रदेश के अन्दर आबादी ८ करोड़ की है। हमारा जो इंस्टीट्यूट मेडिकल कौंसिल आफ रिसर्च है उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये कम से कम १० औंस दूध मिलना चाहिये। इस प्रकार से यदि हम अपने यहां दूध के उत्पादन की मात्रा पर बल दें तो वह ६० करोड़ टन हमको चाहिये। १९५१-५२ की दूध की पैदावार कुल प्रदेश में १५ करोड़ टन थी। १९५६ में वह १९ करोड़ टन हुई और १९६५-६६ में हमारा टारजेट २५ करोड़ टन पैदा करने का था, लेकिन उसमें केवल २०-२२ करोड़ टन पैदावार इस प्रदेश में हुई। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यहां पर दूध का टारगेट (लक्ष्य) भी पूरा नहीं हो सकता है तो फिर किस प्रकार से हम अपने यहां की जनता को दूध दे पायेंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस ओर अपना ध्यान देने की कृपा करें।

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से एस० बी० डी० के अन्दर जो यह जनसंघ के लोग हैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये गोबध बन्द करने के लिये बड़ा जोर शोर करते थे, लेकिन यह पशुपालन का जो अनुदान सदन के समक्ष आज आया है उसको देखकर मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है कि उतना शोर करने वाले इतना कम अनुदान पशुपालन और गौरक्षा के हेतु क्यों लाये हैं। बड़ा लम्बा चौड़ा आन्दोलन आप लोग गोबध बन्द करने के लिये करते थे तो क्या इतने कम बजट से उनका आशय पूरा हो गया और इससे आप कितना गो संवर्धन कर सकेंगे। मैं समझता हूं यह केवल उनका तमाशा है। मैंने देखा कि गोशालाओं की दशा भी बड़ी दयनीय है। पशुपालन विभाग जो अनुदान गोशालाओं को देता है उसका उपयोग भी सही तौर पर नहीं होता है। जो गोसदन सरकार की सहायता पर चल रहे हैं उनकी दशा भी ठीक नहीं है। मैंने कुमरौका (एटा) और इटावा के गोसदन को देखा है। उनकी दशा बहुत खराब है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस स्थिति को वह स्वयं देखने की कृपा करें। जहां पर गोसदन खोले गये हैं वह इस लिये खोले गये है कि गायों की खाल, मांस और हड्डी बेंचकर उनके खर्च को पूरा किया जाय। जितनी गायें प्रत्येक महीने पहुंचती है, उससे अधिक मर जाती है बड़ी दयनीय स्थिति है। मेरा निवेदन है कि जो लोग गोबध के लिये बड़ी बड़ी बात किया करते थे, वह इन गोसदनों के लिये क्या करना चाहते हैं ? लम्बी चौड़ी बात तो जरूर हमारे मित्र किया करते हैं लेकिन वह अभी तक धर्मादा की समस्या को भी हल नहीं कर पाये हैं। यदि सही तौर पर धर्मादा का प्रयोग हो जाय तो उससे भी इस शुभ कार्य के लिये सहायता मिल सकती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप गऊ कर लगा दीजिये जिसके जरिये से इन गोसदनों और गोशालाओं का सहीतौर से प्रबन्ध हो सके। इन सब बातों को सोचना पड़ेगा। आरोप और प्रत्यारोप से इस प्रदेश की स्थिति नहीं संभल सकती। इससे तो स्थिति और खराब ही होगी। प्रदेश में चाहे किसी पार्टी का राज्य हो, इधर के लोग राज्य करें या उधर के लोग राज्य करें, हमको तो इससे मतलब है कि प्रदेश का किस तरह से भला और विकास होता है। हमको तो इस बात की आशा और प्रसन्नता थी कि नवीन सरकार जो शक्ति में आई है वह शासन में एक क्रांति लायेगी, लेकिन मुझे खेद है कि कोई प्रदेश की आशा पूरी नहीं हुई। इधर से उधर जाना कोई संसदीय प्रथा नहीं है। विधान सभा का सदस्य जनता का प्रतिनिधि है, उसे पक्ष बदलने का कोई नैतिक आधार नहीं है लेकिन फिर भी जो स्थिति थी उस पर विचार पुनः करे तो अच्छा है अब मैं पशु की भी बीमारी पर कहना चाहता हूं मेरा यह निवेदन है

[श्री कालीचरण]

कि गलघोंटू थैनेला पका विरिया ३ इत्यादि होती है इनके लिये हमारी सरकार क्या करने जा रही है? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप के देश के अन्दर केवल थनैला रोग से ३५ करोड़ रुपये की हानि होती है। इसी प्रकार आप दूसरी बीमारियों के लिये क्या कर रहे हैं? जो आप के वेटेरेनेरी अस्पताल हैं वे सही तरीके से काम नहीं करते, दवायें बिकती हैं। भ्रष्टाचार का बोल बाला है मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जो दौरे पर जाकर उन की दशा देखने का प्रयत्न करें। वहां दवा नहीं मिलती, स्टाक मैन अपने स्थान पर नहीं रहते, लेकिन यहां मंत्री जी आकर लम्बे चौड़े सरकारी आंकड़े तोते की तरह सुना कर सब को संतुष्ट करना चाहते हैं आपको अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा।

जब मैं सरकार में कृषि का उप मंत्री था इस सिलसिले में मैं माधुरी कुंज मथुरा तथा झांसी के मिश्रित फार्म देखने गया। वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। हमारे फार्म बड़े नुक्सान में चल रहे हैं। हम को प्रजनन के लिये अच्छी नस्ल को डेवलप करना चाहिये। हरियाणा और साहीवाल की किस्म को तरक्की देनी चाहिये। झूंसी में मैंने देखा कि एक सिंधी गाय को क्रास किया गया और उसके जर्सिंधनाम की नस्ल का बछड़ा जरसी सांड़ बनाया गया। मुझे वहां के डाइरेक्टर साहब ने बताया कि इस तरह हम ने आपकी अवधि कलेक्शन अवधि बढ़ा दी है, उन्होंने कहा कि दूध की मात्रा ८ पौंड तक हो गयी है। फैट परसेंटेज पूछने पर कि वह कहा कि वह ७ या ८ से ४ ही रह गयी। इस जर्सिंह नस्ल का बछड़ा मांस खाने के लिये तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन हमारे देश में उस का उपयोग अधिक नहीं है क्योंकि इसके हल रखने को हव कुंधा नहीं होता। भैंस की भी यही हालत है। मुर्रा अथवा जींद से आने वाली भैंसों की नस्ल को आप बढाइये। कुक्कुट पालन के बारे में, ब्लाक से दस दस रुपये का मुर्गा दो रुपये में दे दिया जाता है उसे आदमी खा जाते थे इसलिये कि मुर्गा मुसल्लम खाने की आदत है और कह दिया जाता है कि मुर्गा मर गया। बाद में सब्सीडी वाली बात चालू हुई। झांसी के एक फार्म पर मैंने देखा कि १२ हजार रुपया लाभ हुआ है, लेकिन वहां अनुदान मिला था ३० हजार रुपया। इस प्रकार हम को वहां भी १८ हजार का नुक्सान ही हुआ। इन फार्मों को आप को फायदे में चलाना चाहिये। कागजी योजना से काम नहीं चलेगा। धोड़े के बाबूपुर फार्म की भी हालत अच्छी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान चिर उपेक्षित गधे की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यह एक दार्शनिक जानवर है और इसकी स्थिति खराब होती जा रही है।

मत्स्य विभाग की भी इसी प्रकार बड़ी दुर्दशा है। वहां हर तरफ अफसर ही अफसर हैं। हमारे यहां प्रांत में ७८ जलाशय हैं जिनमें तीसरी योजना में केवल ६ जलाशयों का उपयोग किया गया है और दस को हम चौथी योजना में चालू करने वाले हैं। यदि अच्छी प्रकार से इन जलाशयों को विकसित किया जाय तो हम १ लाख टन मछली पैदा कर सकते हैं जिससे १६ करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है और वह मछली पश्चिमी बंगाल को निर्यात की जा सकती है। मत्स्य पालन के सम्बध में मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक ताल कीथभ जिला मथुरा में है उसका ठेका शाहजहांपुर के एक सेठ जी को दे दिया गया १२ रुपया मन में और उन्होंने उससे लाखों रुपया पैदा किया। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय कि मछुओं की जिनका कि यह पेशा है उनकी सहकारी समितियां कायम करें और जो मछलियों की आंगलुक फोग हैं उन का भी सरकार प्रजनन करे। जौनपुर में गुजर ताल सन् १९६० में बढ़ाया जा रहा था तो वहां मैंने यह अहमकपन देखा कि ताल जो बढ़ाया जा रहा था वह बहुत ऊंचा था और जिसको खोदा जा रहा था उससे मिलाने का वह नीचा था, तो पानी कैसे जाय? तीन लाख रुपया खर्च करने के बाद यह स्कीम खत्म की थी पी० डब्लू० डी० की मूर्खता के कारण तो ऐडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय होना चाहिये, एक कोआर्डिनेशन होना चाहिये। पी० डब्लू० डी० विभाग कुछ कहता है, फिशरीज विभाग कुछ कहता है। मुख्य मंत्री नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करता कि वह एक कोआर्डिनेशन कमेटी चाहे सेक्रेटरियेट लेबिल पर या मिनिस्ट्री कायम करें। वह इन सारी चीजों को देखें।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई सदस्य चाहे इधर रहें या उधर बैठें, कोई पार्टी हुकूमत में आवे, लेकिन यह हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है । राष्ट्र के अन्दर एक निर्माण कार्य हो रहा है । भारतमाता का भव्य मंदिर हम तैयार कर रहे हैं। उसमें कोई ईंट लावे, कोई गारा, कोई कन्नी बसूली से काम करे और सब को योग दान देना है और भारत माता की मय मूर्ति हम उसमें स्थापित करना है । इसे हम राजनीति से ऊपर रखें, यह हमारे लिये गौरव की वस्तु होगी । भारतमाता की मूर्ति प्रतिस्थापित करने हेतु हम एक दूसरे पर आरोपण-प्रत्यारोपण नहीं करेंगे । इसलिये आरोप-प्रत्यारोप को छोड़ कर हमें देश के निर्माण कार्य में लग जाना चाहिये ।

श्री कन्हैयालाल (जिला इटावा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान मैं अपने क्षेत्र बहेड़ी इलाके की ओर ले जाना चाहता हूं जहां जमुना, चम्बल कवारी नदियां बहती हैं और जहां पर पशुपालन का ही एक धन्धा है । लेकिन जबसे वन विभाग बना है तब से वहां पर पशुपालन कम हो गया क्योंकि जंगलात में ऐसी जगह नहीं छोड़ी गयी है जहां कि पशु चर कर अपना पेट भर सकें। जंगलात में वह जमीन सर्वे करके ली गयी है जो ५० वर्षों से अपनी जमीन को (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ५० वर्षों से किसान अपनी खेती-बाड़ी करता था और उसको जंगलात में मिला लिया । वहां जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भ्रम है कि वन अनुदान प्रस्तुत है । कृपया पशुपालन पर बोलें ।

श्री अध्यक्ष---

अभी उनकी प्रस्तावना चल रही है, आगे आ जायं तो देखूंगा ।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है । अगर वन नहीं है तो पशु कैसे रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, दुर्व्यवस्था का प्रश्न हुआ ।

श्री कन्हैयालाल---

माननीय सदस्य को जो आपत्ति हुई है वह इसलिये कि वह उस इलाके से परिचित नहीं हैं । वह क्षेत्र वन और पशु दोनों के लिये है ।

(इस समय १ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, पीठासीन हुईं ।)

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जहां पर जंगलात के सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं है । माननीय मंत्री महोदय, आपको यह देखना चाहिये कि आप मुर्गी पालन और बकरी पालन के लिये जो रुपया देते हैं उसका ठीक प्रकार से क्या प्रयोग होता है ।

श्री राजबहादुर (जिला सीतापुर)---

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, इस समय जो चर्चा इस सदन में हो रही है उसका संबंध पशुपालन से है । अपने देश और प्रदेश में पशुओं का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, उसी के साथ साथ वनों का भी एक अपना महत्व है । हमारे माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख अपना

[श्री राजबहादुर]

अनुदान प्रस्तुत करते हुए, पशुओं के सुधार के लिये नाना प्रकार की बातें कहीं, किन्तु उनमें कहीं भी यह पता नहीं चला कि वे पशुओं के चारे के सुधार के लिये तथा उनके रोगों के निवारण के लिये क्या करने जा रहे हैं। जो उपाय बताये गये वे बहुत थोड़े हैं। हमें यह सोचना होगा कि जो उपाये बताये गये हैं क्या वे पर्याप्त है ? हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है। यहांभी ८० फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर रहती है, और कृषि का संबंध पशुओं से है। पशुओं की ओर ठीक-ठीक ध्यान न देने के कारण आज अन्न की समस्या दिन पर दिन खराब होती जा रही है। आज पशुओं को भरपेट चारा नहीं मिल पा रहा है।

हमें देखना है कि पशुओं के चारे के लिये कौन सी व्यवस्था की गयी है। चारे की व्यवस्था दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो जो किसान के पास भूमि है उसमें उन्नत प्रकार का चारा बोकर, दूसरे जब वन लगाये जायं तो पशुओं के चारे की समस्या को ध्यान में रखा जाय। वन विभाग अनेकों प्रकार से वन वृक्षारोपण करता है, मगर वन विभाग के अधिकारी पशुओं के पोषण के लिये चारे के प्रश्न पर कभी भी विचार नहीं करते।

यूं तो बताया गया कि मिर्जापुर के लिये हमने चारे का प्रबन्ध किया है, लेकिन पशुओं को बलवान बनाने के लिये क्या उपाये किये गये हैं यह हमें पता नहीं चलता। मुझे वह दिन याद है कि जब जनसंघ वाले चुनाव के अवसर पर कहते थे कि गो-रक्षा का प्रबन्ध जनसंघ की सरकार ही कर सकती है। जनसंघ के मत वालों की सरकार बनी जिसमें उनकी सदस्य संख्या सब से अधिक है मगर आज जो सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत किया गया उसमें कहीं कोई परछांई भी प्रतीत नहीं हुई। अधिष्ठात्री महोदया, एक सीधी बात है। अगर पशु हमसे चले गये, पशुओं की उत्तरोत्तर संख्या कम हुई तो निस्संदेह हम लोग भी नहीं होंगे। हम लोगों का उत्तरोत्तर पतन हो जायेगा। हमारे देश और प्रदेश में गायों का बड़ा गौरवमय स्थान है। इस गौ की रक्षा से, इसको बलवान बनाने से हमारी खाद्य समस्या हल होगी और जब हम दूसरे ढग से विचार करते हैं, तो उससे भी हमारे गोवंश की वृद्धि होगी।

आप मोटे तौर पर सोचें कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये अनेक प्रकार के कारखाने लगाये जा रहे हैं। हमारी प्रत्येक गाय हमारे गांव का एक छोटा कारखाना है, जो हम को दूध देती है, खाद देती है और दूसरे प्रकार के जीवन यापन के कार्य में अमूल्य योगदान देती है, जिनको हम भुला नहीं सकते, जिनको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। जब ये सारी की सारी बातें हैं तो हमको सोचना और समझना है कि हम किस प्रकार की बातें करें। जब हम हरे या सूखे चारे की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम कैसे इन पशुओं को बढ़ा सकेंगे। जब चारा छिन जाता है तो गायें हमारे पास नहीं रह सकते। जहां तक औषधियों की बात है, जो कहना चाहता हूं कि आपने जिन रोगों की बात की है उसके अलावा भी पचासों प्रकार के रोग है जो उन पर प्रभाव डालते हैं लेकिन उनकी दवा का कोई प्रबन्ध नहीं है। तो उनके उत्थान की बात कैसे हो सकती है। इस तरीके से बताया गया कि हम उन्नतिशील पशुओं की व्यवस्था कर रहे हैं। भाई हम बडी उन्नति करते हैं। करनी भी चाहिये। ऐसी आशा भी है। क्या उन्नति है। जो पशु हमारे पास जिस संख्या में है उनके लिये क्या सोचा है, कब तक आप पशु बाहर से मंगाकर उनकी नसल सुधार की बात करेंगे। उनके लिये फिर घूम फिर कर वही बात आ जाती है। दूसरे रोगों या गोसदनों की बात जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें है नहीं और वह बजट ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिये। माननीय अधिष्ठात्री महोदया, जब ऐसी हालत है और माननीय मंत्री जी इस तरीके से अनुदान प्रस्तुत करेंगे तो हमें आशा नहीं है कि कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा और जब तक हमारा गोवंश वृद्धि नहीं कर सकेगा तब तक खेती की उन्नति कहीं संभव नहीं है।

(व्यवधान)

मैं जो कह रहा था उसमें मैंने बताया कि यह जो जनसंघी भाई और दूसरे भाई थे वे अब तक अपनी बात इस ढंग से करते थे। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक जंगल में आग लगी तो उसमें एक लंगड़ी थी, एक सांप था और एक सियरवा था। सियरवा पूछिस आग लगेगी तो क्या करोगे। सांप ने बताया कि हमारा तो सात मति है और लाखरी (लंगड़ी) ने कहा कि हमारी ९ मति है। सियार सांप की बात सुनकर चल दिहनिस। थोड़ी देर बाद सियार फिर आवा। जब जंगल केरी आग बुझाय गई तब देखिस की सरपवा डाल पर जला भवा हाल रहा है और लाखड़ी ऊपर पाये किये मरी पड़ी है। "तो सात मति के हाले डोल, नौ मति परै उताने, एक मति के भले सियरऊ, पकरिन राह पुरानी।" मैं यह कह रहा था कि अधिठात्री महोदया, कि गो संवर्द्धन के लिये पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाय। ऐसी कमेटी बनायें ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर जिनके माध्यम से आप यह देखें कि उनकी दवाईयां कहां कहां हो रहीं हैं और जिससे उनके रोग निवारण सरलता से हो जायं। इस प्रकार का काम करने से आपकी सारी की सारी योजनायें सफल हो जायेंगी। लेकिन इस संयुक्त विधायक दल की सरकार जिसके चीफ मिनिस्टर हैं श्री चरण सिंह, उनके चरण तो पतन की ओर ही पड़ रहे हैं, वह उत्थान कैसे करेंगे उनसे तो जो काम होगा वह अवनतिमय ही होगा, जिसकी झलक इस बजट में स्पष्ट मिलती है। जितनी भी आलोचना की जाती है उसका भी एक स्थान है। यह सत्य है कि जो काम हम कर सकते थे वह किया। मान लीजिये कि हमने वह काम गलत किया लेकिन उस गलती को आप क्यों करते हैं। आप से तो समाज का हर एक व्यक्ति यह आशा लगाये बैठा था और आप सत्वर यह कहा करते थे कि हम उत्थान की ओर इस प्रदेश को ले जायेंगे, लेकिन आपने वैसा क्यों नहीं किया ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

*श्री राम आसरे (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदयी, पशुपालन विभाग के मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पशुपालन और शिक्षा, ये दो संस्थायें इस देश के लिये इतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी और कोई संस्था नहीं हो सकती। जैसे जब हमारी प्राइमरी शिक्षा में गड़बड़ी हो सकती है तभी हमारे देश और प्रदेश के होनहार बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उसी प्रकार से पशुपालन एक ऐसा विभाग है जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है। पहले हमारे देश में इंगलैन्ड अमेरिका और जरमनी के पहलवान कुश्ती लड़ने के लिये आया करते थे, लेकिन आज उस देश की हालत गिर जाने के कारण हीन दशा को प्राप्त हो गयी है। आज हमारे देश का पशुपालन विभाग कोरा कागज पर ही रह गया है। भले गोवंशवर्द्धन सप्ताह कितने ही क्यों न मनाय गये हों, लेकिन वास्तविकता के नाम पर सफाया ही है। आज आवश्यकता है हम पुरानी परम्पराओं को छोड़ कर वास्तविक रूप में से देखें कि इस ओर क्या काम रहा है।

जहां तक गोसदनों का प्रश्न है, उनकी हालत यह है कि वहां के लोग मोटर गाड़ियां ले कर देहात में जाते हैं और किसानों से कह कर उनके बूढे जानवरों को मांगकर ले आते और उनको गो सदनों में छोड़ देते हैं। वहां उनको न चारा मिलता है और न पानी मिलता है। खास तौर से बाराबंकी में जो गोसदन है वहां सैकड़ों की तादाद में जानवर बुरी तरह से मर रहे हैं। १५-१५, २०-२० दिन तड़प कर मरते हैं और उनके चारे भूसा और दाने से वहां के कर्मचारी नाजायज लाभ उठाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामआसरे]

दूसरी बात यह है कि पशुपालन विभाग में जो मुर्गी पालन का अनुदान दिया जाता है, इसके बारे में मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ९९ प्रतिशत उसमें फरजी काम होता है इसको आप देख लें। इसके अन्दर मुर्गीपालन, मछली पालन, ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे एक पड़ोसी हैं उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन मिसाल के तौर पर मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज से ३ साल पहले एक सज्जन ने मुर्गीपालन का अनुदान लिया और मुर्गियों के लिये कठघरा, बाड़ा सब कुछ बनवा कर खड़ा किया, उसमें कई हजार रुपया लगाया गया और ६ मास के बाद एक रात को अपने नौकरों को वहां मुर्गीखाने में भेजा और वहां से बड़े मुर्गों को पकड़वा लिया और सब सफाई कर दी गई और इस तरह से जो रुपया लगाया गया था और वह सब बेकार गया और वह सारी स्कीम खत्म हो गई।

इसी तरह से पशुपालन में जो डेरीज हैं, डेयरी फार्म हैं, जो एक दिन खुलते हैं और बाद में उनकी भी यही दशा होती है। बड़े बड़े डेरी फार्म्स के लिये लाख रुपया अनुदान लिया जाता है और पैसा लेने के बाद मवेशियों के लिये एक डेरा, कुछ नांदे बनाते हैं और थोड़े से खूटे गाड़ दिये जाते हैं और वहां कोई अपने मवेशी नहीं रखे जाते बल्कि पड़ोसियों से कह दिया जाता है कि जब मुआयना हो तो उस दिन अपने अपने मवेशी सब लोग वहां लाकर बांध जायं और यदि कोई पूंछे तो कह दें कि सब मवेशी डेरी फार्म के ही हैं और उस दिन चरागाह से लाकर मवेशी वहां बांध दिये जाते हैं और थोड़ा सा भूसा डाल दिया जाता है। वह लोग जानवरों का चमड़ा निकलवाने के लिये लोगों से टच रखते हैं और एक मांस में दस पन्द्रह जानवरों का चमड़ा लेकर उन पर फर्जी नम्बर डाल कर दिखला देते हैं कि फलां बीमारी में यह जानवर मर गये। इस तरह से साल डेढ़ साल में डेरी फार्म खत्म हो जाता है और सारा पैसा बरबाद हो जाता है। पिछले मास मैं उप मंत्री श्री जायसवाल के साथ मथुरा जिले के माधुरी कुंड डेयरी फार्म पर गया था, मैंने वहां गर्मी की तपन के जमाने में जानवरों को देखा वहां से कई फर्लांग की दूरी पर एक नहर है उसमें पानी पिलाने के लिये वहां से जानवर ले जाये जाते हैं, वहां कोई ऐसा नलकूप नहीं है जिससे वहां के पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था हो सके, वहां जानवर ले जाते हैं, लेकिन अगर कभी अकस्मात् नहर बन्द हो जायं तो पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है। एक टीन के अलावा जानवरों के लिये कोई साये का प्रबन्ध नहीं है ताकि वह तपन और धूप से बच सकें।

कई वर्षों में पशुपालन विभाग की और पशुओं की बड़ी दीनदशा हो गई है, जब तक इस विभाग के द्वारा पशुओं की उन्नति उन की नसल और खाने चारे की और विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक हमारे पशु धन की उन्नति नहीं हो सकती। यदि हमारे पशुधन की उन्नति न होगी तो हमारी सन्तानों को दूध घी खाने को नहीं मिलेगा, हमारा प्रदेश अधिकतर दूध घी पर ही निर्भर है, हमारे यहां अंडा, गोश्त मछली उपलब्ध नहीं है। अमरीका से जो सड़ा गेहूं और सड़ी मक्का आती है उसी पर आज हमारा जीवन निर्भर है परन्तु यदि हमारा पशुधन तरक्की पर होता तो हमारी सन्तान जो पहले पहलवान होती थी और चीन और अमरीका के पहलवानों से मुकाबला करती थी, वह आज भी वैसी ही होती। आज तो अमरीका से दूध का पाउडर आता है और वह भी स्कूलों में बच्चे नहीं पाते और वह दूकानदारों के यहां जाकर बिक जाता है और उसी से बड़े लोगों के यहां जब मेहमान आते हैं तो उनको चाय की प्याली बनाकर दे देते हैं। जिस प्रदेश में दूध और घी की नदियां बहती थीं वहां पर आज दूध के पाउडर की चाय चावल के माड़ की तरह बना कर पी जाती है। ऐसी दशा में हमारे आने वाली औलाद हृष्ट पुष्ट और बुद्धिमान नहीं बन सकती है। एक दिन से लेकर १६ साल के बच्चों को यदि दूध नहीं मिलेगा तो आप चाहे उन्हें दुनियां के पदार्थ दें, लेकिन उनकी हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती हैं। दूध के नाम पर सफेदी मिलती है। तो वे किस प्रकार से हृष्ट पुष्ट और बलवान हो सकते हैं।

कभी-कभी मैं मेरठ जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर एक-एक बैल जो एक-एक हजार रुपये में आता है जब उसकी सहायता से हल चलता है तो एक एक फुट जमीन को जोत देता है और यही कारण है कि वहां पर खूब अन्न पैदा होता है। हमारे यहां पर २० रुपये की गाय और ३ फुट का उसका बछड़ा होता है और जब उसके द्वारा हल चलाया जाता है तो केवल २ इंच भूमि जोत पाता है। जिसका फल यह है कि हमारे यहां पर केवल एक या दो मन प्रति बीघा की पैदावार हो पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें जिससे हमारे जानवरों की नस्लें सुधर सकें। जब तक वे शिक्षा सम्बन्धी बातों पर और नस्ल सुधारने की ओर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह देश और समाज उन्नति नहीं करेगा और वहां के रहने वाले बुद्धिमान और बलवान नहीं बनेंगे।

आज एक छोटी सी गाय यदि वह चरागाह में जाती है तो वह वहां एक छटांक, डेढ़ पाव, और अधिकाधिक आधपाव गोबर करती है लेकिन जो हमारी बड़ी गाय होती है। वह कम से कम २ या २ १ २ सेर गोबर एक बार में करती है। उससे चाहे आप खाद बनाइये या गोबर पाथिए। इसी प्रकार एक बड़ी गाय जो होती यदि वह पेशाब करती है तो कम से कम एक खाट भर की जगह पर वह पेशाब करती है। आज कम्पोस्ट के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। आज हमारा किसान परेशान है कि हमें साहिवाल की गाय चाहिये, हरियाना के बैल चाहिये और अच्छी नस्ल की भैसें चाहिये, लेकिन वे उन्हीं नहीं मिल पाती। मैंने भी स्वयं गंजरिया फार्म से कोशिश की कि पैसे देकर मुझे गाय मिल सके, लेकिन नहीं मिल पायी। आज हमारी सरकार को चाहिये कि वह इस तरफ ध्यान दे और हमारे किसान जो अच्छी नस्ल के बैल चाहते हैं, वे उन्हें आसानी से उपलब्ध हो सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, मैं कालीचरण जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं परन्तु यह चाहता हूं कि इस विभाग की, मेरे देखने में जो अगले वर्ष में खर्च करने के लिये रकम कम की गयी है, उसको बढ़ाना चाहिये।

अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने यह मांग प्रस्तुत करते हुये कहा था कि शायद ३१० करोड़ की पशुपालन से हमारी नेशनल इन्कम है। यह बड़ी भारी रकम है और मैं समझता हूं कि कृषि में इसका बड़ा भारी अंश है। मेरा ऐसा खयाल है कि हमारा जो प्लान है, अभी तक अंतिम फैसला तो नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी बचत करने की जरूरत है और मेरा विचार है कि ऐसे महकमे में किसी तरह की एकोनामी की बात न सोची जाय। मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि पिछले प्लानों में जितना खर्च इस महकमे पर होना चाहिये था उतना खर्च नहीं हुआ। पशुओं की संख्या को देखते हुये उनके पिछड़ेपन को देखते हुये। इसलिये बजट इस बात पर विचार करेगा कि अगर मुख्य बजट में कोई कमी हो गयी है तो आगे सप्लीमेंटरी में उसे पूरा करेगी।

एक बात यह है कि नस्लों के सुधार का पशुपालन में बहुत बड़ा स्थान है। उसके लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से बढ़िया साधन कोई दूसरा मुझे नहीं मालूम होता है। पहले जमाने में लोग धर्म के नाम पर सांड छोड़ते थे और ऐसे सांड़ों की रक्षा करना मुमकिन नहीं है। पशुओं की संख्या कम नहीं हुई बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ ही रही है। नस्ल को सुधार के लिये यह सुअवसर है कि अच्छी नस्ल के सांड़ मुहइया किये जायं लेकिन इसमें कोताही हुई है। इसको एक बार फिर विकल जी देख लें। पिछले वर्ष इस बात का यत्न किया गया था कि कृत्रिम गर्भाधान और खोले जायं और सांड अधिक से अधिक विभाग को मिल सकें। फार्मों से लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

जायं अथवा किसानों के घर अच्छे सांड मिल सकें तो उनको प्रोत्साहन देकर उनसे खरीदे जायं। सरकार की यह स्कीम मेरे जमाने में क्षीण हो गयी थी। मेरा सुझाव है कि किसानों के घर बछड़े छोड़े जायं और विभाग फिर उनको वापस ले ले। यह स्कीम बन्द हो गयी थी, लेकिन इसे चालू करने की आवश्यकता है। अगर नस्ल के सुधार के काम को हम पूरा करते तो उत्तर प्रदेश के पशुपालन में चार चांद लग जाते। पंजाब को छोड़ कर समूचे भारत में पशुपालन का काम उत्तर प्रदेश में अच्छा है, लेकिन यहां काफी संख्या में छोटे पशु है। जैसा कि राम आसरे जी ने कहा कि नस्ल बदलने की आवश्यकता है ताकि हर तरह से फायदा हो सके। चमड़े, दूध, फर्टिलाइजर के रूप में हम फायदा कर सकेंगे और मजबूत मशीन के स्थान पर भी हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छोटे पशु हैं इसके लिये कृत्रिम गर्भाधान को सेचुरेट करना चाहिये ताकि अच्छे प्रकार के पशु वहां पैदा हो सकें। साधारण तौर पर जो प्लान चल रहा है उससे काम नहीं चलेगा।

एक बात मुझे यह कहनी है कि गरीब आदमी की गाय बकरी है। कुछ उसके बारे में बड़ी खराब राय बन गयी है कि बकरी जहां रहेगी वहां ऊसर हो जायगा। अब बकरी न मालूम कितने पुश्त से है और वह ऊसर नहीं बना सकीं। असल में किसी ने कहा कि पाकिस्तान में बकरियों पर पाबन्दी लगा दी गयी है। तो पाकिस्तान की बात हमको नकल नहीं करना चाहिये। वहां तो उन्होंने पाबन्दी इसलिये लगायी है कि कुछ दूसरे प्रकार के गोश्त को वह खाना चाहते होंगे। हमारे देश में बकरी का गोश्त खाना ज्यादा श्रेयस्कर मालूम होता है और मैं माननीय विकल जी और माननीय ओमप्रकाश जी, दोनों को दावत दूंगा कि कृपा कर के वहां चले जायं जहां बकरे छोड़ दिये गये हैं। और मैंने अभी परसों देखा कि जिन जगहों पर वह बकरे छोड़े गये उसको इवेलुएट करना चाहिये कि जिन गरीबों की गाय हैं उनको कितना लाभ होगा। और जहां कहीं बकरी ऊसर बनाने लगे वहां हम लोग इतने कमजोर थोड़े ही हैं कि उनको जिन्दा रहने देंगे। अगर हम यह तय कर लेंगे कि ६ महीने में हम बकरी को उजाड़ देंगे तो अवश्य ही हमारे गांव और शहर के लोग ६ महीने के भीतर तमाम बकरियों को खत्म कर देंगे। लेकिन तब तक उनका विकास होना चाहिये।

एक बात मैं जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि मथुरा कालेज हमारा एक बहुत अच्छा कालेज है और सारे प्रदेश को वहां से पशु चिकित्सक मिलते हैं या विशेषज्ञ भी वहीं से निकल कर हमारी बड़ी सेवा करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि इस कालेज को दूसरी यूनिवर्सिटी के ग्रेड के नीचे नहीं रहने देना चाहिये क्योंकि अगर इस समय आप पता लगायेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सी जगहें खाली हैं जिनमें योग्य लोग मिलते नहीं। दूसरे स्थानों पर, चाहे लुधियाना, चाहे पन्तनगर, में जहां उनको अच्छा वेतन मिलता है वहां जाने के लिये वह ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं और वहां से फिर आना नहीं चाहते। और मैंने तो यह देखा कि हर महीने दो, चार लोगों की दरख्वास्तें आती थीं कि हम जाना चाहते हैं, हमको और जगह अच्छा वेतन मिलता है और हम उनको रोकते हैं। तो इससे रुचि नहीं रहती काम में और मैं समझता हूं कि ऐसा यत्न करना चाहिये कि उनको उस स्तर पर ले आया जाय कि जिस स्तर पर दूसरे कालेज हैं। और अगर धन की कमी हो तो मैं माननीय मंत्री जी को बता सकता हूं, मुझे उन्हें बताने में कोई बात नहीं है, कि भारत सरकार से इस सम्बन्ध में धन लेने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि विभाग में यह कागज कहीं पड़ा हुआ है, उसको निकलवा कर जल्दी कीजिये ताकि अधिक योग्य लोग हमारे पास आ सकें और जो वहां है वह कहीं और जाने की चेष्टा न करें।

एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि सेन्ट्रल डेयरी फार्म एक बहुत अच्छा कन्सर्न है। वह पिछले दो, तीन वर्षों से धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। पिछले वर्ष जब मैं वहां गया था तो मैंने वहां के मजदूरों से यह कहा था कि अगर तुम सेन्ट्रल डेयरी फार्म को मुनाफे में ले आओगे तो उसमें तुम्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा। हमारा खयाल है कि वह कागज अभी कहीं पड़ा

हुआ है और शायद विभाग से अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। मैं विकल जी और ओम-प्रकाश जी, दोनों से निवेदन करूंगा कि उस कागज को निकलवा कर मजदूरों को जो कुछ दे सकते हों वह देना चाहिये ताकि आगे भी उनका उत्साहवर्द्धन हो।

इसके अलावा जो पशु पालन विभाग के फार्म हैं उनको जरा और गौर से देखने की जरूरत है और इन पर और अधिक धन खर्च हो सके तो मुनाफे में चलेंगे। मैंने देखा कि पिछले वर्षों में उधर कुछ कम ध्यान दिया गया। पिछले वर्ष मैंने यह जरूर किया था कि कोई भी फार्म ऐसा न रहे पशुपालन विभाग का जहां पानी की कमी हो। और इसके लिये चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे जिस तरह से भी हो, उन फार्मों को पानी की कमी नहीं रहने देना चाहिये। अगर पानी की कमी नहीं रहेगी तो चाहे उसे पशुओं के लिये चारा पैदा करने के काम में लाया जा सकता है, चाहे अच्छे किस्म के बीज पैदा करने के काम में लाया जा सकता है और इस तरह से दोनों काम बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।

दूसरी बात यह है कि उस फार्म में काम करने वालों को कभी-कभी ऐसी जगहों पर भी भेज देना चाहिये जहां नयी से नयी टेक्निक वे जान सकें जिससे दूसरे फार्मों के तजुर्बे का लाभ उठाया जा सके।

माननीय कालीचरण अग्रवाल जी ने गोसदन की चर्चा की। आज लोग गोसदनों को बहुत बदनाम करते हैं क्योंकि गो सदनों में आने वाले पशुओं के साथ जो व्यवहार होता है वह अच्छा नहीं होता है। इस बात पर सोचने की जरूरत है कि अगर गो सदनों को बखूबी चलाया जा सके तो चलाया जाय नहीं तो फिर कुछ और बात सोची जाय। गो सदनों को चलाना तो है ही, क्योंकि जो अंग भंग पशु है और जो किसी भी काम नहीं आ सकते, उनको सिवा गोसदनों में भेजने के और तो कोई तरकीब है नहीं। इसलिये इन गो सदनों को अभाव से थोड़ा बाहर करना चाहिये।

गोशालाओं के सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पिछली योजना में गोशालाओं के लिये पैसे कुछ अधिक रखे गये थे लेकिन अबकी मर्तबा शायद पैसा कुछ ज्यादा नहीं है। गोशालाओं से बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। यहां पर सांड़ पैदा करने वाले, और नस्ल सुधारने वाले काम बहुत अच्छे किये जा सकते हैं। गोशालाओं को कुछ अधिक धन देकर बढ़िया ढंग के काम करने चाहिये। अगर ट्यूबवेल की जरूरत हो, चारे के लिये जमीन की जरूरत हो तो गोसदनों को देने के प्रश्न पर माननीय मंत्री पशुपालन विभाग को विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री पशुपालन विभाग जहां के रहने वाले हैं, उनके इर्द-गिर्द गोशालायें बहुत अच्छी है। खुर्जा में भी अच्छी गोशाला है, हापुड़ में भी अच्छी गोशाला है लेकिन इतना ध्यान में रखें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम गोशालायें हैं। लेकिन जहां कहीं भी उनको उस स्टैन्डर्ड की गोशालायें मिलें, माननीय मंत्री जी उनकी मदद करने के लिये उदारता से काम लें ताकि उन्हें अच्छी गोशालायें बनाया जा सके।

अन्त में एक बात मैं माननीय विकल जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वे मंत्रिमंडल में पशुपालन विभाग के अन्दर इकोनामी न होने देवें क्योंकि मंत्रिमंडल में ऐसा आदमी रहे जो हर आदमी की बात मान जाय तो वह आदमी अच्छा माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस मामले में वे थोड़ा सा मजबूत पड़ें। पशुपालन विभाग उनके हाथ में है, हम और आप बहस कर सकते हैं लेकिन पशुओं की कोई सभा नहीं हो सकती और न पशुओं का कोई जलूस निकल सकता है और न वे कोई सत्याग्रह ही कर सकते हैं। न उनका कोई अखबार है और न कोई आन्दोलन ही है, इसलिये कैबिनेट में जब इस विभाग में इकोनामी की बात सोची जाय तब आप जिस तरह से यहां हम लोगों के सामने ताल ठोंक कर खड़े हो जाते थे उसी तरह से वहां भी ताल ठोंक कर खड़े हो जाइयेगा। पशुपालन विभाग में जो काम करने वाले हैं उनके लिये भी अधिक धन की व्यवस्था की जाय ताकि वे अपना काम अच्छी तरह से

[श्री गेंदा सिंह]

कर सकें। अगर आपने इस काम को करा दिया तो पशु अवश्य ही आपको आशीर्वाद देंगे।

(इस समय १ बज कर ४० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र, पीठासीन हुये।)

श्री किशन लाल दिलेर (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हू। माननीय गेंदा सिंह जी ने विफल जी के लिये कहा है, क्षमा करेंगे—कि पशुपालन विभाग ऐसा है कि उनकी आवाज कागजों पर नहीं जा सकती है क्योंकि वे बेचारे पशु बे जबान के हैं यह सही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रदेश में अच्छी नसल की गायों तथा अच्छे चारे का प्रबन्ध किया जाय। यदि ऐसा किया गया तो हमारे किसानों के लिये वे अच्छे बछड़े देंगी जिससे किसानों का ही फायदा नहीं होगा बल्कि प्रदेश की पूरी जनता का फायदा होगा और पशुओं की आवाज ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा से आवाज निकलेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे प्रदेश में अच्छी नस्ल की गायों, पशुओं तथा चारे का प्रबन्ध करें जिससे हमारे यहां गायें अच्छी और तन्दुरुस्त हों। हमारे यहां किसान लोग ट्रैक्टर कम चलाते हैं। ये तो कुछ धनी लोग ही चलाते हैं। ज्यादातर हमारे किसानों को बछड़ों की ही आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी का इसके लिये आभार प्रकट करूंगा अगर अच्छी नस्ल की गायों का प्रबन्ध कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, १ अप्रैल, १९६७, को कांग्रेस सरकार बदली यानी प्रदेश से मुक्ति हुई और संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। प्रदेश की जनता ने बड़ी-बड़ी खुशियां मनाई और उसको इससे बड़ी आशायें हुई। यदि हमारे प्रदेश की जनता की आशायें निराशा में बदल जाती हैं तो मैं कहूंगा कि यह हमारे प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज की परिस्थिति में जनता के बीच में सुख, शान्ति और अमन लाने की बड़ी आवश्यकता है। किसानों के बीच में बिजली, पानी, उन्नत बीज तथा कृषि के नये मंत्रों को देने की कृपा की जाय। यदि उनके लिये आज साधन नहीं जुटायें जायंगे तो प्रदेश में कृषि का उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है और कैसे भुखमरी हमारे यहां से दूर हो सकती है। आज हमारे यहां मंहगाई का वातावरण बना हुआ है। आज जनता की आशायें निराशा में बदल गई हैं। सब से पहला काम इस सरकार का यह होना चाहिये था कि मंहगाई खत्म की जाय। इसके भले ही आप किसी भी काम में कटौती कर सकते थे। लेकिन महंगाई के लिये जनता को सांत्वना देनी चाहिए आज हमारे खाद्य की स्थिति बड़ी जटिल बनी हुई है। जिससे हमारे देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं कैबिनेट का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर आपने अपना ध्यान उस ओर दिया तो सरकार को हटाने वाला कोई नहीं है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं यह भी कह सकता हूं कि हमें सरकार से कोई आशा नहीं हो सकती और न यह सरकार ज्यादे दिन ठहर सकती है। जब हमारे विरोधी दल के सदस्य खड़े होते हैं और जवाब देते हुए चिल्लाते हैं तो इधर से लोगों को बुरा लगता है। मैं कहता हूं कि उधर के लोगों को टीका-टिप्पणी करने का मौका क्यों दे रहे हैं? अगर उनका मुंह बन्द करना है तो आपको सबसे पहले खाद्यस्थिति मजबूत करनी होगी। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को टीस होती है, तड़पन होती है, उन्हें दुख होता है। मुझे तरस भी आता है। आज उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? क्यों कि वह बहुत बड़ी-बड़ी आशाओं को लेकर आये थे, लेकिन उनकी आशा निराशा में बदल गयी। सही मात्रा में उनकी आशाएं पूरी नहीं हो सकीं "की मनमानी बरसों से अब निशान बनकर रह गये, तमन्नाओं को लेकर आये थे अरमान मन के ढ़ह गये"। मैं आपको २० वर्ष की बात याद नहीं दिलाता। बीस वर्ष की याद दिलाने पर विरोधी पक्ष को बड़ी तकलीफ सी महसूस होती है यहां तक कि कोई-कोई

माननीय सदस्य चिल्लाने के बजाय बीस वर्ष पहले का राग अलाप डालते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को आजाद किया। मैं इसका समर्थन करता हूं, वाकई यह सच है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि बीस वर्ष पहले आजादी लेने में जनता का सहयोग आपके साथ कितना था और आज कितना है? आज सारे देश की जनता ने कांग्रेस के खिलाफ अपना फैसला दे दिया है। मैं अपने मंत्रिमंडल से अनुरोध करूंगा कि अगर वे आपको भी अपनी दशा वैसी ही बनानी है, तो जैसे हमारे दोस्त जलील हुए, हैं उसी तरह आपको जलील होना है, शरमाना है उनके सामने तो आप भले ही अपना काम चला लें, मगर वह तरीका अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं। "जिन्दा जलील होके जहन्नुम से कम नहीं, इज्जत से गर मर जांय तो हम को यह गम नहीं।" ऐसी दशा आज कांग्रेस वालों की हुई है। मैं क्षमा चाहता हूं कि शायद मुझसे कोई त्रुटि हो गयी हो। उसका आप बुरा न मानें। सबसे ज्यादा मैं उपाध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बोलने का उन्होंने मौका दिया।

*श्री सुरेन्द्र विक्रमसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं आपसे एक प्रार्थना करना और चाहता हूं कि मैं इसके अगले अनुदान पर भी बोलने का इच्छुक हूं और मुझे आशा है उसमें भी मुझे बोलने का अवसर मिलेगा। विकल जी सामने बैठे हैं मुझे इस बात की उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी प्रशन्नता है कि हमारे विकल जी को आज वन और पशु-पालन विभाग मंत्रिमंडल में मिला है। विकल जी समय-समय पर जानवरों और खेती के बारे में बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव देते रहे हैं, और उनका मतभेद भी कांग्रेस से इन्हीं बातों से हुआ और वे चूंकि बुलन्दशहर के रहने वाले हैं और वहां से शाहजहांपुर पास है और हमारे यहां से वहां दूध-दही काफी है, इसलिये भी उनसे मुझे विशेष स्नेह है। इस कारण मैं आशा करता हूं कि वह मेरे सुझाव पर विशेष ध्यान देंगे और गेंदासिंह जी तथा कालीचरण जी ने जो सुझाव दिये हैं, उनका मंत्री जी अपने भाषण के अन्त में विस्तार से स्पष्टीकरण देंगे। यह तो ठीक है कि सरकारी पक्ष के लोग अपनी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन जो कम से कम कान्सट्रक्टिव सुझाव होते हैं उनको तो अवश्य देना स्वस्थ परम्परा है और यही जनतन्त्र का तकाजा है। किन्तु पशुपालन पर जब से बहस शुरू हुई संयुक्त विधायक दल के लोगों ने अपने भाषण में जो सुझाव दिये वे पशुपालन के बारे में कोई सुझाव नहीं दिये गये। एक माननीय सदस्य तो वन पर बोलने लगे और दूसरे सदस्य शायरी अदा करने लगे और उनको दाद भी दी गई। लेकिन उनको सुझाव भी देने चाहिये थे।

हमारे देश में बड़े-बड़े फार्मस् बहुत कम हैं, ट्रैक्टर्स कम हैं और अधिकतर भूमि बैलों और भैंसों से ही जोती जाती है। इसलिये यदि पशुपालन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम अच्छी गायों, बैलों और भैंसों के बिना खेती और पशुपालन की उन्नति नहीं कर सकते हैं। यह वही वृज भूमि है जहां पर किसी समय में घी दूध की नदियां बहती थीं। किन्तु आज की हालत बहुत ही दयनीय है, दूध शहरों में बोतल में बिकने लगा है और ग्रामों में भी इसका भीषण अभाव रहने लगा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मिठाई की दुकानें शहरों में बहुत खुल गई हैं और लोग अपना दूध खोया बनाकर यहां पर बेच देते हैं। और दूसरी बात यह है कि देहातों में चरागाह बहुत कम हो गये हैं। गायों को चाहे जितना खिलाया जाए, लेकिन जब तक उसको चरने की आजादी नहीं रहेगी, उसकी तरक्की नहीं हो सकती। पहले जो ग्रामों में बड़े-बड़े चरागाह पड़े रहते थे उनमें गाय-बैल स्वच्छन्द विचरण कर अपना पेट आनन्द से पाला करते थे, लेकिन अब उनको बहुत बड़ी तकलीफ है। जमींदारी उन्मूलन बाद गांवों की ऊंची नीची जमीन तोड़ ली गई और नदी नाले के किनारे की भूमि भी कम हो गई है। ओमप्रकाश सिंह जी तो नदी के किनारे के रहने वाले हैं उनके पास कितनी बड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

जमीन थी, उन्हें इस चीज का अवश्य एहसास होना चाहिये। चारे की तो यह समस्या है और दाना तो खुद गांववालों को मिलता नहीं, तो कहां से पशुधन का विकास हो और कैसे उनका सम्बर्द्धन हो ? इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसी कानूनन व्यवस्था हो सकती हो जिससे बड़े-बड़े चरागाह, नदी नाले के किनारे की जो जमीन है वह छोड़ी जा सके तो वह अवश्य कर जिससे जानवरों के चरने में आसानी हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त कुछ सुझाव मैं और आपके सामने दूंगा। श्रीमन्, एक तो कैटेल ब्रीडिंग फार्मस् जो आपके हैं, वहां की स्थिति बड़ी शोचनीय है, जितना चारा आदि आप देते हैं उसको वहां के कर्मचारी हड़प जाते हैं। अच्छा हो कि आप उनका भी बिना सूचना के समय-समय पर मुआयना कर लिया करें। चूंकि वे बेजबान हैं इसलिये उनके साथ बड़ी ज्यादती है उसे दूर करें।

दूसरी बात, पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी ने जो सजेशन दिये हैं अपने जवाब भाषण में उनपर थोड़ा प्रकाश डालें और जो उनमें से अच्छे सुझाव हों उन पर अमल किया जाय।

इसके साथ गंजरिया फार्म बहुत अच्छा फार्म है। अभी वहां रशियन्स आये थे और लाखों रुपये के बुल्स वहां से खरीदकर ले गये थे। ऐसी चीज जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती हो उस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। उसको हम लोगों को भी दिखावें।

एक सदस्य—

माननीय गेंदासिंह जी तो दिखा चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

बहुत से सदस्य उस वक्त से आये हैं उनको भी दिखा दीजिये तो क्या हर्ज होगा ?

हरिद्वार के पास जो पशुलोक है, वहां भेड़ और खच्चरों का ब्रीडिंग फार्म है, वहां गदहे आस्ट्रेलिया से मंगाये गये हैं। वहां लोग हेवी एलेक्ट्रिकल्स वगैरह देखने जाते हैं। लेकिन मैं वहां उस पशुलोक देखने चला गया। वहां लोग तो जाते हैं उनको एक मोटा ताजा गदहा पाल रखा है उसको दिखा देते हैं, लेकिन वहां पर दो तीन गदहे हैं जिनके चोट भी थी। उसको देखने की जरूरत है।

ऊन के फार्म को भी देखना चाहिये। ऊन की बड़ी आवश्यकता है। वहां जो ऊन निकाला है वह बहुत अच्छा होता है। मैं तो देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। अगर इसको थोड़ा और बढ़ा दें तो बड़ा अच्छा हो जाय।

इस पशुलोक के पास काफी जमीन पड़ी है, लेकिन चारा खरीद कर आता है। ऐसी दशा में फार्म लास पर चलता होगा। इसको देखने की जरूरत है।

आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेन्टर्स के बारे में कहूंगा कि वहां बड़ी धांधली है। मैं अपने शाहजहांपुर जिले की जानता हूं। देहातों से जो गाय लाते हैं उनका गर्भाधान नहीं होता। दो बार, तीन बार उनको लाना पड़ता है। इस पर ध्यान दें।

मथुरा चिकित्सालय से जो स्नातक निकलते हैं उनमें बड़ा भ्रम है। वह समझते हैं कि हम पशुके डाक्टर्स हैं और हमारा वह स्टैंडर्ड नहीं है जो उन डाक्टरों का है जो मिनिस्टरों का इलाज करते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है दुनियां के हर देश में ऐसा है कि चाहे मवेशी के डाक्टर हों चाहे एलोपैथिक के उनका स्टेंडर्ड एक होता है। अगर मंत्री जी इधर ध्यान देकर उनकी स्थिति स्पष्ट कर दें तो उनकी तसल्ली हो जाय और उनका दूर भ्रम हो जाय।

यह पुस्तिका जो बंटी है इसमें तीन चार पेज हैं और एक पेज तो डबल हो गया है; मालूम होता है कि कोई महत्व ही इस विभाग का नहीं समझा जा रहा है। इसमें ज्यादा डिटेल में सूचनायें आतीं तो अच्छा था।

मुर्गी पालन के विषय में कहना चाहता हूं। ब्लाकों के द्वारा जो उनको अनुदान दिया जाता है आप उनकी अच्छी तरह से जांच करवावें। इस अनुदान के सिलसिले में जो प्रार्थना पत्र आते हैं तो उनको रुपया यहां से दे दिया जाता है, लेकिन कितनों ने मुर्गियां पालीं, इसका पता नहीं रहता है। बाद में उनको जो मुर्गी देते हैं या सबसिडी देते हैं उनसे सेन्टर पर कोई मुर्गी पालन नहीं होता है। बी० डी० ओ० लिखता रहता है कि यहां पर इतनी मुर्गी बढ़ गई, लेकिन यह सब गलत बातें हैं। यह सब बातें वहां पर अनुदान लेने के लिये की जाती हैं। गवर्नमेंट से अनुदान ले लेते हैं, लेकिन मुर्ग मुसल्लम पतीली में चढ़ जाता है। इसलिये सरकार का ध्यान इस तरफ भी जरूर जाना चाहिये।

गांव में जो सांड़ प्रधान के कहने पर छोड़ा जाता है उसका रख रखाव बड़ा मुश्किल होता है। प्रधान उस समय कह तो देता है लेकिन वह सांड़ छुट्टा फिरा करता है। गांव के लोग सांड़ को जखमी कर देते हैं। जिसके खेत में घुस जाता है तो वह उसको मारते हैं जिससे वह जखमी हो जाता है और उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। इसलिये मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करें। चाहे प्रधान को उसके रखरखाव के लिये कुछ देना पड़े लेकिन उसके रखरखाव का इन्तजाम होना चाहिये। अगर इस तरह से सरकार इन्तजाम कर दे तो सांड़ की जिन्दगी बच जायगी और गांव वालों को इससे बड़ा फायदा होगा।

आपके यहां गोसदन और गोशालाओं का जो इन्तजाम है वह बहुत खराब है। अगर उनको जाकर देखा जाय तो गायों का हड्डी का ढांचा ही नजर आयेगा। हमारे जनसंघ के भाई गोवध बन्द करने के लिये बड़े चिल्लाया करते थे, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों ने अपने यहां कितनी गांय पाल रखी है? आज गाय की हालत बड़ी खराब है कुछ जंगली गायें होती हैं। वे हमारे शाहजहांपुर में हैं और बदायूं में भी हैं। वे गाय अच्छी हैं और उनके बछड़े भी अच्छे हैं। उनको पकड़ा कर यदि पाला जाय तो उनसे अच्छे बैल मिल सकते हैं। उनके बछड़ों का प्रयोग हो सकता है। अच्छे किस्म के बैल हो सकते हैं जिनकी हमारे प्रदेश को बड़ी भारी आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम श्री राजपूत (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं पशुपालन के बजट पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। यह मेरा पहला मौका है जो मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। इस के लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जिस प्रकार से पशुपालन के ऊपर हमारे विरोधीदल के माननीय सदस्यों ने तथा हमारे साथियों ने विचार प्रकट किये हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि पशुपालन कृषि प्रधान ऐसे देश के लिये बड़े महत्पूर्ण विषय की बात है। दुनिया में हमारे देश की आबादी दूसरे नम्बर पर है। इसी प्रकार से पशुओं की संख्या भी हमारे यहां बहुत है, लेकिन जब पैदावार देखते हैं और उस पैदावार का अन्दाजा लगाते हैं तो दुनिया के आंकड़ों को देखते हुये वह के पशुओं से उनकी आमदनी को देखते हैं तो हमारा सिर नीचा हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि २० साल के शासन में जब देश आजाद हुआ तो यहां के किसानों को कितनी उम्मीद थी और उनके क्या विचार थे कि हमारा देश पशुपालन पर इतना महत्व देगा कि जिसमें हमारे यहां किसान भाई उससे काफी फायदा उठायेंगे लेकिन २० साल की हकूमत से यहां की जनता ने यह रिजल्ट निकाला कि गोसदन और गो संवर्द्धन की योजना तो हुई, लेकिन उससे जनता को लाभ नहीं हुआ हमारी नई सरकार ने जिस प्रकार से पशुपालन में सुधार करने और उसका विकास करने की योजना बताई है उससे हमारे किसान भाइयों की परेशानी दूर हो जायगी। लेकिन एक बात जो पशुओं की बहुत सी समस्यायें हैं। बैल, गाय, भैंस, घोड़ा, सच्चर, भेड़ें, बकरिया आदि भी हैं जिनकी समस्याओं को हमने देखना है। इन की नस्ल सुधार के लिये सरकार ने तीन योजनायें गुजार दीं, चौथी योजना का भी एक वर्ष समाप्त हो रहा है। इस बीच सरकार ने कितना काम किया है वह आंकड़ों से पता चलता है, लेकिन उन के द्वारा जनता को भुलावे

[श्री राम श्री राजपूत]

में रखा गया है। वास्तविक कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे यहां जिला हमीरपुर में एक गो सदन खोला गया है जहां कि ग्राम सेवक पशुओं को ले जाने के लिये मजदूरी के नाम पर दस रुपया ले लेते हैं, लेकिन उन के खाने तक की वहां व्यवस्था नहीं है। अधिकारी जानवरों को फ्री छोड़ देते हैं और वहां के लोगों की फसल उन के द्वारा उजड़ती रहती है। उन गो सदनों में उन को कोई खाना देने वाला नहीं है और सरकार उस ओर से उदासीन है। पशु-पालन में सरकार ने कोई सुधार नहीं किया है और यह स्कीम केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह गयी है। पशुओं की नस्ल अच्छी बनाने के लिये किसानों को इनाम दिये जाते हैं। मेलों में उनका आयोजना होता है, लेकिन इनाम बांटते समय पशुओं का नहीं, इनाम देने वाले अपने बूटों का ध्यान रखते हैं और अपने गुट के आदमी को ही इनाम दिया जाता है। पशुपालन का उद्देश्य जनता को समझाना चाहिये।

आप देखें कि पशु अस्पतालों में कितनी जगह आप ने दवाइयां भेजी हैं और किसानों की भलाई के लिये क्या कदम वहां उठाये गये हैं। वे दवाइयां जनता तक नहीं पहुंचतीं। बिना पढ़ा लिखा किसान डाक्टर से बात नहीं कर पाता और कंपाउन्डर उसे पढ़ा देता है कि यह दवाई यहां है नहीं, खरीद कर लाओ और वही अस्पताल की दवाई उसे बेच दी जाती है, भले ही उससे किसान के जानवर को आराम हो अथवा नहीं। आप की दवाइयां बाजार में बेची जाती हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पशुओं की उन्नति के लिये वह जिला स्तर पर कमेटियां कायम करें और अस्पतालों की दवाइयों की बिक्री रोकी जाय। किसान को उचित समय पर दवा मिलनी चाहिये।

बुंदेलखंड में पशुओं की बड़ी भारी समस्या है। आज दूध केलिये गो का बड़ा महत्व है। गो माने आज देश का स्वास्थ्य है, वह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन आज उस की उपयोगता देख कर हम को यही कहना पड़ता है कि केवल एक प्याला दूध के लिये ही उसे पाला जाता है। गाय के खिलाने का खर्च इतना अधिक बढ़ गया है कि उस से जो दूध प्राप्त होता है उसे देखते हुए वह अधिक पड़ता है। सरकार ने पशुओं के लिये चरागाह बनाये हैं, लेकिन किसानों को जो साधन देने चाहिये वह नहीं दिये गये हैं और पशुओं का विकास नहीं हो रहा है। और पशुपालन में जो सहायता सरकार की ओर से मिलती है, स्टाक दिया जाता है यह सब कहां जाता है? हमने कभी नहीं देखा कि गरीबों को कभी कोई चीज मिली हो या गांव सभा को पहुंच गयी हो। गांव सभा में कि स्टाकमैन रहता है, लेकिन वह कोई परवाह नहीं करता। तो यह देरी ही पशुओं का जो ह्रास हो रहा है उसका मुख्य कारण है। खबर दी जाती है कि पशुओ को बीमारी फैली हुई है तो सम्बन्धित कर्मचारी एक महीने के बाद आते हैं। दो वर्ष के सूखे में पशुओं की कितनी बुरी दशा हुई है। घास न मिलने से, बीमारी फैलने से कितना धक्का किसानों को लगा है। आज अच्छी नस्ल के बैल और पशु नहीं हैं जिन्हें किसान खरीद सकें। अगर पशुओं की घास का इन्तजाम नहीं किया गया और बीमारी के इलाज का प्रबन्ध नहीं किया गया तो पशुओं की नस्ल सुधारने से क्या फायदा हो सकता है? आज किसान रीढ़ की हड्डी है और पशु उनके साथी हैं। ट्रैक्टरों के बजाय अगर सही बैलों को उन्हें दिलाया जा सके, उनके खरीदने के लिये ऋण दिया जा सके और किसानों को सरकार अन्य सुविधाएं दे सके तो यहां की साढ़े ८ करोड़ जनता का उद्धार हो सकता है। क्योंकि वास्तविक देश का दिमाग कहिये वह दूध ही है जो पशुओं से हमें मिलता है। हम अच्छी सड़कें बना लें, अच्छे कपड़े पहिन लें, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिये मंत्री जी से और अपनी सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसपर शीघ्र से शीघ्र दिया जाय।

पशुओं की नस्ल का जहां तक साल है वह अच्छे फार्म से खरीदे जायं, लेकिन जहां दिये जायं वह उन्हीं आदमियों को दिये जायं जो वास्तव में पालते हैं। बीच में मिडिलमैन उसका फायदा न उठावें। सीधा अप्रोच किसानों के पास होना चाहिये। किसान को २० सालके शासन में कोई सुविधा नहीं मिली, अब उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देनी चाहिये। जो मिडिलमैन

या कोई दूसरा व्यक्ति बेरी करता है उसके विरुद्ध ऐक्शन लिया जाय। बुन्देलखंड में पिछले दो साल से पानी नहीं बरसा है, पशुधन का नाश हो गया, हल तक बन्द पड़े हैं, बैल नहीं हैं, तो वहां आपको पशु-वृद्धि करनी है। बैलों के लिये विशेष व्यवस्था की जाय। मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसपर जल्दी ही ध्यान देगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं माननीय कालीचरण अग्रवाल का आह्वान करता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उनकी अचानक तबियत खराब हो गयी है। उन्होंने मुझे अधिकृत किया है। अगर आज्ञा हो तो मैं थोड़ा कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों....

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें बोलने का मौका नहीं दिया, मैं जा रहा हूं।

(श्री शब्बीर हसन ने सदन का त्याग किया।)

श्री त्रिवेणी—

उपाध्यक्ष महोदय, इस कटौती पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर दूं जिससे यह धारणा दूर हो जाय कि कम समय दिया गया। पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी घोषणा कर चुके हैं कि आधे दिन का समय इस अनुदान के लिये दिया गया, वह समय समाप्त हो गया। ढाई बजे तक इस ग्रान्ट के समाप्त होने का निर्णय इस सदन में हो चुका है, इसके बाद दूसरी ग्रान्ट पेश होगी। सुरेन्द्रविक्रम जो अब कटौती के प्रस्ताव का उत्तर देंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

इसके पूर्व श्री सुरेन्द्र विक्रम जी बोल चुके हैं। माननीय कालीचरण अग्रवाल जी को अगर अपने प्रस्ताव के उत्तर में बोलने के लिये किसी को अधिकृत करना था तो वे किसी ऐसी माननीय सदस्य को अधिकृत करते जो बोला नहीं है, इनको दोबारा बोलने का समय दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो माननीय सदस्य के विवेक का प्रश्न था। वह किसी को भी अधिकृत कर सकते थे।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

अगर कोई माननीय सदस्य अपना समय किसी दूसरे को दे दें और उसको बोलने के लिये अधिकृत कर दें, तो क्या आप उसकी इजाजत दे देंगे? क्या भविष्य में ऐसा माना जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश किया, उसके लिये अगर वे किसी दूसरे को अधिकृत करते हैं तो वह हो सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, पहले मैं ही पेश करने वाला था, मगर चूंकि कालीचरण जी आ गये, मैंने सोचा वही पेश कर दें क्योंकि वे डिप्टी मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके अनुभव से कुछ लाभ हो जाय तो अच्छा है ।

श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि आजकल वर्षा आरम्भ हो गयी है और वर्षा काल में पशुओं को तरह-तरह की बीमारियां घेर लेती हैं । हमारे प्रदेश में स्टाकमैनों की बड़ी कमी है, वे इलाक में ही रहते हैं, आजकल नदी नालों आदि के कारण वे आ जा नहीं पाते । इसलिये मेरा निवेदन है कि वे ऐसी कोई विशेष व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे स्टाकमैन जाकर सब पशुओं के टीका लगा सकें । इसके अलावा जो सुझाव यहां माननीय सदस्यों ने दिये हैं, आशा है मंत्री जी उन पर प्रकाश डालेंगे ।

वन मंत्री (श्री राम चन्द्र विकल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिये और सुझाव देकर इस विभाग तथा प्रदेश की जनता की सेवा की और विशेषकर मैं माननीय गेंदासिंह जी का बहुत आभार मानता हूं क्योंकि उनके भाषण के बाद मेरा बोझ काफी हल्का हो गया । उनके एक एक सुझाव को मैंने नोट किया है, उनके सभी सुझाव व्यावहारिक और बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर पूर्णरूप से ध्यान दिया जायेगा । उनको काफी अनुभव भी हैं और वे इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं । उनका एक भी सुझाव ऐसा नहीं है जिस को मैं कह सकूं कि वह सही नहीं है । उनका सुझाव चाहे गोशाला के संबंध में हो, चाहे बकरियों के संबंध में हो, चाहे नस्ल सुधार के संबंध में हो, चाहे किसानों को सहायता देकर, बछड़े किसानों के घर रख कर ही सांड़ समस्या हल करने का हो, सभी सुझाव उनके ऐसे हैं जो विचार करने योग्य हैं । मैं इस बात के लिये भी उनका आभारी हूं कि उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन न करके इस बजट का ही समर्थन किया, यह भी एक नयी परम्परा को उन्होंने कायम किया है, अगर यह परम्परा इस सदन में स्थापित हो जाय तो बड़ी खुशी की बात होगी ।

माननीय कालीचरण जी ने दो एक शिकायतों की ओर मेरा ध्यान दिलाया । उनकी शिकायत पशुपालन विभाग से संबंधित नहीं थी । वह मेरे दौरे के संबंध में शिकायत थी । बाकी उनके सुझाव भी, क्योंकि वे हमारे मंत्री रह चुके हैं, तथा सभी माननीय सदस्यों के सुझाव भी बहुत ही सराहनीय हैं और आशा है जहां तक संभव होगा हमारी यह सरकार उन पर अमल करेगी । हमारे राम आसरे जी ने सुझाव दिया कि गेंदासिंह जी की तरह से निरीक्षण किया जाय । मैं पूछ लूंगा कि कौन से तरीके थे विभागों के निरीक्षण के । मैंने उनसे प्रेरणा ली है । मैं उसमें इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे गेंदासिंह जी ने स्वयं कहा कि पंजाब को छोड़कर उत्तर प्रदेश पशुधन की नस्ल सुधार में दूसरा स्थान रखता है, यह उनका मंत्री की हैसियत से अनुभव है । प्रदेश के कोने-कोने में घूमने के बाद अनुभव है जो अपनी जगह सही है । कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पशुओं की नस्ल गिरी हुई है । जिसमें बुन्देलखंड और पहाड़ी अंचल के इलाके आते हैं । इन इलाकों की परिस्थिति भौगोलिक तौर पर तथा खेती की हालत के अनुसार अलग-अलग है । जहां तक पूर्वी जिलों का सवाल है, मैं बलिया जिले को ही मानता कि वहां नस्ल खराब है । वहां के बैल, गाय, भैंसे और थोड़ा-सा गाजीपुर कि जिला ऐसा है जहां अच्छी नस्ल के पशु पाये जाते हैं । बाकी जिलों में नस्ल सुधार की जरूरत है । और हमारी सरकार का पूरा प्रयत्न है कि छोटे-छोटे स्थानों पर कृत्रिम गर्भाधान के जरिये और प्राकृतिक तौर पर नस्ल का सुधार किया जाय ।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी को शिकायत थी कि सांड़ों की रक्षा नहीं होती । यह उनकी बात सही है । सरकार स्वयं सोचती है कि छोटे अस्पताल जो हैं उनमें सरकारी सांड़ रखे जायं । कहा जाता है कि गांव सभाओं को देने से उनके चारे वगैरह का प्रबन्ध भी नहीं होता । हम

सरकारी अस्पतालों में प्रकृतिक तौर पर पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिये रख रहें हैं और कृत्रिम गर्भाधान को भी हम भारी तादाद में छोटे अस्पतालों में लेने जा रहें हैं। हमारे उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ है जो बुन्देलखंड की स्थिति का अध्ययन करेगी जिसके लिये जन प्रतिनिधियों और ब्लाक प्रमुखों और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की एक कान्फ्रेन्स, हम जुलाई महीने में बुला रहें हैं। हम स्वयं चिन्तित हैं बुन्देलखंड और पूर्वी जिलों के नस्ल सुधार के संबंध में।

जहां तक पहाड़ी जिलों का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, मै स्वयं उत्तर प्रदेश के काफी हिस्से को देख पाया हूं, बहुत सा हिस्सा मै देख नहीं पाया हूं। पहाड़ों में बड़ी किस्म की गायें और सांड़ उपयोगी नहीं होंगे क्योंकि वे चुग नहीं सकते हैं पहाड़ों पर। छोटी-छोटी गायें ही वहां चढ़कर चुग सकती है। बड़ी किस्म की गाय या सांड़ वहां व्यवहार रूप में उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। पहाड़ों पर लोग चाय के आदी हैं। इसलिये उन छोटी गायों की ही नस्ल सुधार करने की हमारी कोशिश है और उनकी दूध की मात्रा को हम नस्ल सुधार से बढ़ा सकेंगे। पहाड़ों के लिये अच्छे किस्म के पशुओं के विकास में हमारा पूरा ध्यान है कि पशुधन किसान के आर्थिक विकास में सहायक रहें। हमने विदेश से कुछ भेड़ें मंगाई हैं जो मिर्जापुर जिले में रखी जायेंगी क्योंकि वहां की आर्थिक हालत खराब है।

मिर्जापुर जिले में हम भेड़ों का एक बहुत बड़ा फार्म खोलने जा रहें हैं जिसमें रूस से और देश के दूसरे हिस्सों से मंगाई हुई अच्छी भेड़ें रखी जायगीं जिससे मिर्जापुर और बनारस का कालीन का काम पनपे और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो।

गेंदासिंह जी के, जो बकरी के बारे में सुझाव थे उस पर मैं उनसे नहीं लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि ताल ठोक कर लड़ूं। वह मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि ताल ठोकना मुझे आता भी नहीं है। हम चाहते हैं कि पशुपालन बजट में कमी न आवे लेकिन आर्थिक हालत ऐसी है कि कुछ कमी जरूर हुई है, यह निस्संकोच मैं कहना चाहता हूं। उसे पूरा कर दे, मैं गेंदासिंह की सहायता लूंगा। उसका मैं अधिकार मानता हूं। चाहे बकरी हो, भैंस हो, या गाय हो या बैल हो, सबकी नस्ल हम सुधारना चाहते हैं।

लोगों ने शिकायत की हैकि दूध की कमी होती जा रही है। इसमें शक नहीं है। हमारा पूरा प्रयत्न है कि चाहे मवेशी कम हों लेकिन दूध की मात्रा बढ़ाई जाय और वह तभी हो सकता है जब हम अच्छी नस्ल के सांड़ और मवेशी यहां रखें। माननीय कालीचरण जी ने शिकायत के तौर पर कहा कि हमने हरियाना से पशु आना बन्द कर दिया है। मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। हरियाना में जरूर ऐसा कानून बनाया गया है कि उनके पशु बाहर न जावें। मैंने तो उनसे शिकायत की थी। हम अपने ही यहां की नस्ल को अच्छा कर रहें हैं ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को हरियाना की जरुरत न पड़े। कई फार्मों पर हमारे किसानों के घरों से लाये हुये सांड़ हमने रखे हैं, बाबूगढ़ और अलीगढ़ में। हम किसान को पशुधन के मामले में स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं। बीमारियों को रोकथाम और नस्ल सुधार से हम यह करना चाहते हैं।

गेंदासिंह जी ने इस बजट का समर्थन किया है कि इससे कटौती न होकर बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इसलिये इस अनुदान को सर्वसम्मति से पास किया जाय, यह मैं सदन से प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मैं कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २३—पशु पालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३,१३,७७,८०० रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४२—वन

वन उपमंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६८, को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२-वन के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३२,४१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में वनों का बहुत बड़ा महत्व है । वनों से हमें, इमारती और जलानेकी लकड़ी मिलती है, हमारी भूमि का क्षरण रुकता है और उद्योग धंधे बढ़ते हैं । सन् ५५-५६ में वनों के संबंध में एक कमीशन बैठा था और एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की गई थी । उसमें यह तय किया गया था कि वन बढ़ाये जावें—और कम से कम ३३ प्रतिशत हों । हमारे देश में २२ प्रतिशत वन हैं और हमारे प्रदेश में १६ प्रतिशत हैं । हमारे देश का वन क्षेत्रफल विश्व के देशों से सबसे कम है और हमारे प्रदेश का वन क्षेत्र पंजाब को छोड़कर देश में सबसे कम है । हमारे प्रदेश में लकड़ी की समस्या है, भूमि-क्षरण की समस्या है, उद्योग धंधों की समस्या है । इन्हें हमें हल करना है ।

एक बात मुझे और कहनी है । जो देश धनी होते हैं उनमें लकड़ी का प्रयोग अधिक होता है और उसी से इसका अनुमान लगाया जाता है । यूरोप का औसत २६ घनफुट प्रति व्यक्ति प्रयोग का है । भारतमें ६ प्रतिशत आता है और हमारे प्रदेश में .२ प्रतिशत आता है । हमारे प्रदेश में लकड़ी की पैदावार कम है इससे हमारी गरीबी का आभास होता है । इसे हमें दूर करना है । हमारे प्रदेश में पहले जो पुराने वन लगाये हुये हैं वे इतने अच्छे नहीं है । हमारी योजनाएं वर्षों से चल रही हैं । उनमें हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि नये वन लगाये जावें । नये वनों से हमें इमारती और जलाने की लकड़ी मिलेगी । हम औद्योगिक वन भी लगाना चाहते हैं, जिससे उद्योगों के लिये लकड़ी प्राप्त हों । उद्योग धंधों के हिसाब से आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के पेड़ लगाये जायं जो जल्दी से जल्दी बढ़ सकें, इनमें बांस, युकलिप्टस और शहतूत के पेड़ आते हैं ।

हमारे प्रदेश के बहुत बड़े भाग में भूमि,क्षरण हो रहा है और यमुना, चंबल और बेतवा नदियों के किनारे बहुत बड़े-बड़े रेवीन्स बन गये हैं । सरकार ने उनको दूर करने के लिये बहुत सी योजनायें चलायी हैं । हमें जो रुपया मिलता था वनों के लिये उनमें कटौती हो जाने के कारण हमारे प्लान्टेशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है । फिर भी हमने १९६७-६८ के बजट में बहुत सी योजनाओं का समावेश किया है । ४,५०० हैक्टर में हमारे प्लान्टेशन लगाने की योजना है । इसके अतिरिक्त हम रेनोवेशन भी कर रहें हैं । पुराने वनों को ठीक करने का प्रयत्न कर रहें हैं । यह काम २ हजार हेक्टर में करने का इरादा है । कागज और रेयन के उद्योग के लिये हम ८१ हजार रुपया खर्च करने जा रहें हैं । उसके लिये १२२०० हैक्टर में प्लान्टेशन करने का विचार है । सायल कंजरवेशन के लिये चालू वर्ष में २४ लाख रुपये से ५५०० हैक्टर में वन लगाने का विचार है ।

इसके अलावा कालागढ़ मे जो सिंचाई की योजना चल रही है उसकी सुरक्षा के लिये भी हम वनीकरण कर रहें हैं । इसमें १८०० हैक्टर में वन लगा रहें हैं और ४० लाख फलों के वृक्ष लगाये जा रहें हैं ।

इसके अलावा हमने देखा कि पहाड़ों में किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं हैं। उसके लिये पहाड़ों में इमारती लकड़ी के वन लगाने का हमारा विचार है। इसके अलावा लीसा बेरोजा और टरपेन्टाइन निकालने का हमारा लक्ष्य १ हजार क्विन्टल का है।

बाहर के देशों में जब कि ८० प्रतिशत तक लकड़ी काम में आ जाती है हमारे यहां बहुत वेस्ट होती है, ५० प्रतिशत ही काम में आती है। इसके लिये आधुनिक तरीके से लकड़ी चीरने के औजार हम विदेशों से मंगा रहे हैं। इससे भी हमारा अन्दाजा है ३ हजार घन मीटर लकड़ी चिरान इस वर्ष करेंगे।

इसके अलावा हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं जिनकी नस्ल खत्म होती जा रही है। उनका शिकार हो जाता है। इसलिये हम उन वन्य पशुओं की सुरक्षा भी करना चाहते हैं। उसके लिये बहुत से नियम बनाये हैं और जो चिड़ियां वगैरा कम हो रही हैं उनके लिये कानपुर में ऐलेन फोरेस्ट में एक जनसुशाला खोलने का हमारा विचार है। इस पर ५ लाख ३२ हजार रुपया खर्च होगा।

इसके अलावा पी० डब्ल्यू० डी० की रोड्स पर हम पेड़ लगा रहे हैं। इस वर्ष में हमारी योजना २८८ किलो मीटर में वृक्ष लगाने की है। ७,२५७ किलोमीटर ली गई पी० डब्ल्यू० डी० रोड्स जिनका रख रखाव वन विभाग के द्वारा होगा।

संचार साधनों के बढ़ जाने से वनों की आय बढ़ेगी। इसके लिये इस योजना में ५० किलोमीटर नयी लम्बी सड़कें हम बनाने जा रहे हैं। और हम २० किलोमीटर टेलीफोन की लाइन लगाने जा रहे हैं। वनों के महत्व को लोग समझें और वन चूंकि एक प्राकृतिक सौन्दर्य के साधन हैं इसलिये उन के विकास के लिये और जनता की सुविधा के लिये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये उनके प्रचार के लिये हम चाहते हैं कि प्रेस, रेडियो और सिनेमा आदि के साधनों से भी वनों का प्रचार किया जाय ताकि उनकी ओर लोगों की रुचि बढ़े इसके लिये हम डेढ़ लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं।

हमारा यह दुर्भाग्य रहा कि इस वर्ष वाराणसी व मिर्जापुर जिलों में सूखा पड़ा और वहां के पशुओं के जीवन के लिये हमारे वन विभाग ने ३८,९७१ मन घास पशुओं के चारे के रूप में भेजी। इसी तरह से अकाल ग्रस्त जिलों में विभाग के द्वारा टेस्ट वर्क भी चालू किये गये और वहां के पुराने मार्गों की मरम्मत कराई गई और नई सड़कों का भी निर्माण कराया गया और उसमें १,७३,००० रुपया मजदूरी के रूप में व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त एक नई चीज जो विभाग में पहली बार हुई है वह यह है कि हमने अखिल भारतीय वन सेवा चालू की है और उसमें ४९ अधिकारी नियुक्त हुये हैं और इसी तरह से हमने वन विभाग की एक सबार्डिनेट सर्विस चालू की है और उसमें भी २५ अधिकारी नियुक्त किये हैं। मैंने वन विभाग की योजनायें आपके सामने रखी और जैसाकि मैंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में वनों का बड़ा महत्व है, यदि वन न होंगे तो हमारा प्रदेश रेगिस्तान हो जायगा, यहां सूखा पड़ेगा, वर्षा कम होगी और अगर वर्षा होगी तो बाढ़े आयेंगी और कटाव व इरोजन भी बहुत होगा। जहां पर पेड़ नहीं होते तो लोग उस क्षेत्र को उजाड़ कहते हैं, इसलिये वनों का बहुत बड़ा महत्व है, वृक्षारोपण इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्य है, हम हर साल वन महोत्सव मनाते हैं। हमारे विभाग की यह योजना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाये जायं। वनों से हमारे लिये लकड़ी की व्यवस्था होती है जो इमारतों के लिये और जलाने के काम में आती है और ग्रामों में जो गोबर जलाया जाता है वह खाद के लिये बच सकता है। इसके अलावा फलदार वृक्षों से हमारी लकड़ी और खाद्य की समस्या भी किसी हद तक हल होती है। इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि इस अनुदान को स्वीकार करें।

*श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला पिठौरागढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती कर दी जाय ।

अभी माननीय उपमंत्री महोदय का भाषण मैने बड़े ध्यान से सुना । मै आशा करता था कि यह नई सरकार वन विभाग में कुछ नई बातें लायेगी और मंत्री महोदय कुछ नई घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने जो यह पुस्तक बांटी....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को पूरा पढ़ दें ताकि वह पेश हो जाय ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो आशा थी कि नई सरकार बनी है और खास तौर से इस सरकार के मुख्य मंत्री जी जो वन विभाग के मंत्री पिछले सालों में रह चुके हैं और जैसा कि वह सदैव ही अपने बजट भाषण में कहा करते थे कि वन विभाग का एक ऊंचा स्थान होना चाहिये, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय विष्ट जी, कटौती का प्रस्ताव करते हुये आपने जो कहा है कि मांग की राशि में से एक रुपये की कटौती कर दी जाय यह आपके प्रस्ताव में नहीं है । आपका जो प्रस्ताव है उसमें यह सूचना है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।

(अन्य प्रस्तावों के लिये देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४२४–४२५ पर)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कह रहा था कि मुझे बड़ी आशा थी कि चौधरी साहब वन विभाग के अनुदान को बढ़ायेंगे मगर बजट को देखने से मुझे बहुत निराशा हुयी । श्रीमन्, जब वे गत वर्ष के पूर्व वर्ष में (इयर बिफोर लास्ट) तो उस समय उनका बजट ५,६७,५२,००० रुपये था । पिछले साल भी वह ६,०७,६९,१०० रुपये का था परन्तु इस वर्ष वह बजट बढ़ने के स्थान पर घट कर ४,३२,४१,१०० रुपये का हो गया है । मै नहीं समझ पाता हूं कि जब एक तरफ हमारे चौधरी सहब वन की प्रगति की बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जंगलों की कमी है तो दूसरी ओर इस बजट को उन्होंने क्यों कम कर दिया है ? सारे मुल्क में कम से कम ३१ प्रतिशत में जंगल होने चाहिये लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में केवल १५.३ प्रतिशत है । इसलिए हिन्दुस्तान भर में सिर्फ पंजाब को छोड़कर हम सारे प्रदेशों से पिछड़े हुये हैं । तो ऐसी परिस्थिति में यदि इस वर्ष में कोई विशेष अनुदान बजट में रखते तो एफोरेस्टेशन को काम और तिव्रता से हो सकता है । वैसे भी अगर आप देखें पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में पहली पंचर्षीय योजना में १,३८,८२,००० रुपये और दूसरी पंचर्षीय योजना में २,६८,३९,००० रुपये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में १,४७,००,००० रुपये रखा गया था और इसके अन्तर्गत १,१७,००,००० रुपये की धनराशि वन विभाग के उत्थान के लिये रखी गयी थी । तो इसको पीछे हटाने के क्या खास कारण हैं मेरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझ में नहीं आ सका । मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे। जब उत्तराखंड के लिये १ करोड़ १७ लाख रुपये की धनराशि मंजूर हुई थी तो सबको आशा हुई थी कि वहां पर एफोरेस्टेशन का काम जरुर हो जायगा ।

इसके बाद जो वहां के क्लास वन फोरेस्ट थे उनको सिविल कर दिया गया तो इससे भी बहुत आशा पर्वतीय जगत में होने लगी थी कि वहांके पहाड़,जिनके बारे में कहा गया है कि "हिमालयम वाम नगाधिराज "अर्थात् पहाड़ों में हिमालय का पर्वत सर्वश्रेष्ठ है मगर इन्सान ने उन्हें कुछ नहीं दिया । जितने वहां पर जंगल थे उन्हें वहां से काट-काट कर उन्हें नंगे पहाड़ कर दिया है तो यहां पर जब १ करोड़ १७ लाख रुपये की धनराशि स्वीकार हुयी तो बड़ी आशा हुई । पिठौरागढ़ में एक स्थायल कन्जरवेशष डिवीजन खोलने की बात कही गयी और कहा गया कि काली नदी, गोरी नदी में यह नये-नये रेंज खोलेंगे, लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी एफोरेस्टेशन होते हैं वे सिर्फ उन रास्तों के पास में होते हैं जहां पर जीपें जा सकती हैं, या मोटर रोडस हैं । उनके किनारे तो यह काम हो रहें हैं,लेकिन जो मिडिल हिमालयन रेन्जेज हैं,वे सब की सब नंगी पड़ी हुई हैं। आज उन पर कहीं-कहीं पर ५०-६० पेड़ देवदार चीड़ के नजर आते हैं । प्रगति उनमें बिलकुल नहीं हुयी है । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हायर अल्टीट्यूड में वन विभाग को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जब कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष अनुदान दे रही है । २८ रुपये में २४ रुपये केन्द्रीय सरकार देती है । ऐसी हालत में भी अगर उत्तराखंड डिवीजन में तथा ऊंची पर्वतीय श्रेणियों में एफोरेस्टेशन नहीं होगा तो कब होगा । प्लांटेशन का काम तो पर्वतीय प्रदेश में ज्यादा होगा तो कब होगा । प्लांटेशन का काम तो पर्वतीय प्रदेश में ज्यादा करने की आवश्यकता है । लेकिन ऐसा न करके जहां खेती हो सकती है वहां ग्रामीण जनता को दुख देकर जबरदस्ती जंगल लगाये जाते हैं । यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है । सरकार को चाहिये कि वहां बन्दोबस्त कराये, अपने रेकार्डस तैयार करें । कितनी जमीन ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है जिसमें कोई पेड़ नहीं है । वहां जंगल अच्छे लग सकते हैं । मुझे इस बात का तजुर्बा है कि जैसी जमीन काश्मीर की है वैसी ही कुमायूं की है । वहां देवदार अच्छा उग सकता है और कुमायूं की काफी तरक्की हो सकती है । ७, ८ हजार फीट की ऊंचाई पर फर तथा स्प्रूस के पेड़ लग सकते हैं जिन से कागज की लुगदी बनती है जैसे कि स्कैंडिनेविया में होता है। गुलमर्ग जो ९ हजार फुट की ऊंचाई पर है ऐसे हाई आल्टीट्यूड पर इन चीजों को लगाया जाय, इस से देश का तथा प्रदेश का उत्थान होगा । जो बंजर जमीन पड़ी हुई है वहां अगर ये पेड़ लगाये जायेंगे तो वहां की खूबसूरती बढ़ेगी और टूरिस्टों के लिये जो कमी है, वह दूर हो जायगी और किसी को ऐतराज भी नहीं होगा । तराई भाबर में गरीब किसान, मजदूर तथा लैन्डलेस लेबरर्स बस गये हैं । उनको इजेक्ट करके रात दिन तकलीफ देकर तो जंगल बनाये जाते हैं लेकिन जहां जंगल बनाने की सुविधायें हैं वहां ध्यान नहीं दिया जाता । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किधर जा रही है । इसका विश्लेषण किया जाय कैसी मिट्टी की जरुरत है किस पेड के लिये है ।

प्लान्टेशन का जो हमारा तरीका है वह सिस्टेमेटिक नहीं है । कई योजनायें हैं जल्दी पेड़ उगाने वाली उनको अमल में लाया जाय । एक तरीका है कि आल्टीट्यूड में कौन सा पेड़ लग सकता है। कैसी जलवायु की,किस पेड़ के लिये जरूरत है,उसके हिसाब से एफारेस्टेशन किया जाय तो ज्यादा लाभ हो सकता है जैसे पर्वतीय प्रदेश के निचले हिस्से में साल,शीशम,कंजू, चूरा कत्था आदि के पेड़ लगाये जा सकते हैं और हाई आल्टीट्यूड में अखरोट, चेस्टनट, तिलगोजा, चीड़, देवदार, फर, कैल, स्प्रस आदि के पेड़ लगाये जा सकते हैं । अगर इस तरह से एफारेस्टेशन किया जायगा तो उसको आप सुव्यवस्था से कर सकेंगे । अब तक चीड़ ही चीड़ को कुमायूं में उगाया जाता है, लेकिन हमको उसे एनकरेज नहीं करना चाहिये और सरकार को चाहिये कि वह कैल तथा देवदार की तरफ ध्यान दे । ऐसे ही शहतूत से सेरिकल्चर का काम बहुत हो सकता है । शहतूत की पत्तियों को रेशम के कीड़े खाते हैं । इससे रेशम का भी व्यापार, जैसे कश्मीर में है, हमारे यहां भी चल सकता है बशर्ते कि शहतूत की पैदावार को बढ़ाया जाय ।

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

एक्सप्लायटेशन के बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुस्तिका जो हमें दी गयी है यह आज सवेरे ही रखी गयी है और हमसे यह आशा की जाती है कि हम इसको पढ़ कर आयें। अच्छा होता कि एक, दो दिन पहले यह यहां रखी जाती। आज मंत्री महोदय का जो भाषण मैंने सुना उससे जानकारी हो गयी कि इस पुस्तिका में क्या है अन्यथा इस पुस्तिका का देना करीब-करीब निरर्थक सा होता। तो एक्सप्लायटेशन के बारे में अभी मंत्री महोदय ने कहा कि जो लकड़ी होती है उसकी केवल ४० प्रतिशत काम में आती है और ६० प्रतिशत जंगल में ही जाया हो जाती है। पेड़ जमीन की सतह पर न काट कर ब्रेस्ट हाइट पर काटा जाता है जिससे वह लकड़ी वैसे ही बर्बाद होती है। इसके अलावा कंट्रोल्ड फौलिंग नहीं होती। दरख्त को रस्से से बांध कर किसी दिशा में गिराया जाय ऐसी व्यवस्था मैंने यहां नहीं देखी जबकि कश्मीर में यह है। इससे अनाप शनाप दरख्त गिर जाता है और पचीसों दूसरे दरख्तों को तोड़ देता है। इसके अलावा जहां प्रिसिपिटेट जगहें होती हैं दरख्त गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और सब लकड़ी जाया हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार इधर ध्यान दे और माडर्न तरीके अपनाये जैस कि आपने उत्तरकाशी में किया है कि आप लट्ठे बना रहे हैं। इसी तरह वायर रोप वे का तरीका है और लाग केबिन का तरीका है। नदियों में लट्ठों को लोड करने के लिये नाले ट्रेन किये जा सकते हैं अगर उसमें कुछ खर्च किया जाय। ऐसा करने से जैसा कि आपने खुद स्वीकार किया, ४० परसेंट से कहीं ज्यादा लकड़ी काम में लायी जा सकती है बशर्ते कि आधुनिक तरीके से पेड़ का गिरान, चिरान, ढुलान और बहान करें। इन चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये क्योंकि जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। हम उस बेश कीमती लकड़ी को जो १५-१५ रुपये फुट बिकती है जाया ही करते रहे हैं। इससे राष्ट्र का हित नहीं बल्कि बड़ा अनहित करते हैं। मैं चाहता हूं कि नयी व्यवस्थाओं को सरफार काम में लाये ताकि ज्यादा से ज्यादा लकड़ी शहरों में आये और सरकार को ज्यादा पैसा मिले।

पहाड़ों के बारे में मुझे यह कहना है कि वन विभाग की प्रगति के साथ ही टूरिस्ट ट्रेड का बड़ा भारी सम्बन्ध है। जितनी ही आप सड़क बनायेंगे, जितने टेलीफोन कनेक्शन्स लगायेंगे, अच्छे वनों को लगायेंगे उतना ही वहां का सौन्दर्य बढ़ेगा। कश्मीर में लोग क्यों आते हैं? वहां एवरग्रीन फास्रेट्स हैं, अच्छे-अच्छे वन विभाग के बंगले हैं जो सस्ते रेट्स पर मिलते हैं इसलिये वहां जाते हैं। आपको चाहिये कि ये सुविधायें इस इलाके में भी दें। इससे लोग आयेंगे, वन विभाग का उत्थान होगा, टूरिस्ट ट्रेड भी काफी बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मोटर रोड्स की कमी को और बढ़ायें ताकि जो जंगलों की सम्पत्ति ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज न होने से बरबाद हो रही है वह काम में लायी जा सके।

इसके अलावा पर्वतीय प्रदेश की सबसे बड़ी देन है मेडिसिनल प्लान्टस और हर्ब्स। ये चीजे वहां बहुत होती हैं। उनकी तरफ सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। वह वहां राट कर रही है। कोआपरेटिव विभाग को यह काम दे दिया गया है। वह ठीक से इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। वन विभाग इसे अपने हाथ में लेना नहीं चाहता क्योंकि वह इस जिम्मेवारी से भागना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि मेडिसिनल प्लान्टस और हर्ब्स जो कि वहां की निधि है उसका आप एक्सप्लायटेशन करें। उससे सारे देश को आयुर्वेदिक दवायें मिलेंगी और आपको आस्ट्रेलिया, अमरीका और दूसरे मुल्कों से दवाओं का इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा जिससे बहुत सा फारेन एक्सचेन्ज बच जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

बड़ा सीमित समय है। जरा जल्दी समाप्त करने की कृपा करें। दो घंटे का समय है पूरे अनुदान पर।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

बहुत अच्छा। इसके अलावा रेजिन टैपिंग का काम वहां बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में जब से चीन की लड़ाई हुई बहुत काफी मोटर रोड्स बन गयी हैं। पहले यह सड़कें नहीं थीं इसलिये रेजिन टैपिंग नहीं होता था। अब जहां-जहां मोटर रोड्स ज्यादा बनती जा रही हैं वहां रेजिन टैपिंग का काम भी ज्यादा बढ़ाना चाहिये ताकि वहां के लोगों को रोजी मिल सके और आपको भी एक रा-मैटीरियल ज्यादा मिल सके। मैं आपको यह भी बतला दूं कि जो एक्सप्लाटेशन का काम हो रहा है वह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। वे लोग आपस में मिल कर बिडिंग करते हैं जिससे बहुत कम रुपया सरकार को मिलता है। मैं चाहता हूं कि या तो टेन्डर सिस्टम कर दें ताकि वे आपस में मिल न सकें या फिर अगर सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ बहुत ज्यादा आपका रुझान है तो पहाड़ की जनता गरीब है, वहां के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये, वहां और कोई इंडस्ट्री नहीं है, वे सिर्फ कुली का ही काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि अगर स्थानीय लोगों को आप एन्करेजमेंट दें या जैसे कि उत्तर-काशी में लागिंग का काम आप स्वयं कर रहे हैं वैसे ही यहां भी करें और उचित मात्रा में मजदूरी दें ताकि जनता का हित हो और सरकार को भी लाभ हो।

अभी मेरे मित्र स्टार पेपर मिल की बात कह रहे थे। मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं। पहाड़ों में जितना रा मैटीरियल है उस सबका मैदानों में ही काम हो रहा है, वहां के इंडस्ट्रिलाइजेशन की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। वहां इस किस्म की इंडस्ट्रीज, जैसे स्पोर्टस गुड्स और रेजन की जो वहां के रा मेटीरियल से पर्वतीय प्रदेश में स्थापित की जा सकती हैं करनी चाहिये। मगर हो यह रहा है कि नामिनल प्राइस लेकर सारा माल दे देते हैं। वह फिर सहारनपुर आ जाता है और फिर स्टार पेपर मिल में कागज बनता है। लोग तो कहते हैं कि वहां कागज भी नहीं बनता बल्कि बहुत ज्यादा मूल्य में उसे बेंच देते हैं। बहरहाल, इसके बारे में मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा टरपेंटाइन का काम बरेली में होता है, लकड़ी का काम प्लेन्स में होता है, फर्नीचर का काम सब बरेली में होता है। क्यों नहीं आप पहाड़ में ही फर्नीचर का काम कराते? सरकार को चाहिये कि वह पहाड़ के लोगों में ऐसी जहनियत पैदा करे कि वहां के लोग ऐसे उद्योग धंधे कर सकते हैं। यदि वहां के लोग ऐसे काम करने लगें तो वहां के लोगों को रोजी का एक तरीका मिल जायगा।

वहां के लोगों का कहना यह है कि श्री बलदेवसिंह आर्य की अध्यक्षता में पर्वतीय प्रदेशों के लिये एक "फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठी थी जिसमें काफी रुपया खर्च हुआ और उसने अपनी बड़ी लम्बी रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सका है। कहा जाता है कि पिछली सदियों से ये आश्वासन आ रहे हैं जो पहाड़ वालों को दिये गये थे कि अगर जंगलों में कभी आग लगे तो वे उस आग को बुझायेंगे और उसके एवज में सरकार उनको ये सुविधायें देगी—जैसे घास काटना, जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी। लेकिन वहां की ग्रामीण जनता को जो हक हकूक पहले थे, वे भी नहीं मिले और उससे लोगों को काफी तकलीफ है। पर्वतीय प्रदेशों में रहना कितनी मुसीबत की जिन्दगी है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किस तकलीफ में वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जो साधारण सुख सुविधायें उनको मिलनी चाहिये, जैसे घास, लकड़ी वगैरह, उनको न दें और उनसे वे वंचित रह जायं तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता के साथ घोर अन्याय होगा। जिस तरह से समुद्र के किनारे रहने वालों को नमक मुफ्त मिलता है उसी तरह से पर्वतीय प्रदेश में रहने वालों को भी घास की सहूलियत दें, लकड़ी की सहूलियत दें, औजार बनाने के लिये लकड़ी की सहूलियत दें, पचासों वर्ष में कहीं एक मकान किसी का बन पाता है, उसके लिये थोड़ी लकड़ी की सहूलियत दें। तो इस तरह से उनके साथ उदारता बरतनी चाहिये और ग्रामीण जनता को सुख सुविधा देनी चाहिये।

डेवलपमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, पर्वतीय प्रदशों में आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जिला बोर्ड्स की आमदनी भी नामिनल है मैदान के मुकाबले में, इसलिये वहां के जो जिला बोर्डस हैं

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

उनको आखिर सरकार की तरफ से ही सहायता मिलती है । जैसे—नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून के लिये ४९ लाख ५ हजार रुपया दिया गया और टेहरी के लिये १ लाख १३ हजार तथा उत्तरकाशी को ३८ हजार दिया गया । इनके लिये जो धनराशि दी गयी, एक तो कम है, इसके साथ ही चमोली व पिथ रागढ़ ये जो जिले ऐसे हैं जिनका कहीं नाम भी नहीं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब सारे पहाड़ी जिलों को यह सहायता दी गयी है तो इन दोनों जिलों को इससे वंचित क्यों रखा गया ? इन जिलों को भी यह अनुदान मिलना चाहिये ।

तराई भाबर के इलाके में पहाड़ी लोगों की जैसी हालत है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । ६ हजार फुट की ऊंचाई पर जो इलाका है, वहां सरकार भाड़ा देकर अनाज पहुंचाने के लिये लोगों को सबसिडाइज्ड ग्रेन देती है । तो मैं कहना चाहता हूं कि उस इलाके में सरकार भाड़े पर जितना खर्च करती है उसको देखते हुये गरदई, मुन्स्यारी आदि इलाकों में उसे एक तरह से मुफ्त गेहूं देना पड़ता है । एक तरफ तो सरकार उनको मुफ्त गल्ला दे और दूसरी तरफ तराई भाबर के इलाके में जो पहाड़ी लोग बसना चाहते हैं और वहां अन्न पैदा करना चाहते हैं उनको न बसने दे, न विकास करने दे, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इससे समस्या का हल कैसे निकल सकेगा ? सरकार पंजाबी और बंगाली रिफ्यूजीज को वहां बसने में प्रिफरेंस दे रही है, मैं समझता हूं कि यह भी ठीक नहीं है । तराई भाबर में पहाड़ियों की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां पर ऐसे जो भूमिहीन व खेतिहर मजदूर हैं, हरिजन हैं, न बसा कर बंगालियों व पंजाबियों को प्रिफरेंस देना ठीक नहीं है ।

चीन के हमले के बाद पहाड़ी क्षेत्र बहुत से फौजी क्वार्टर्स व मकान बन रहे हैं तथा बने हैं जिसमें वहां पर रहने वालों की ऐसी सारी जमीनें निकल गयीं जिनमें वे खेती कर सकते थे । सरकार उन्हें जमीन तो देती नहीं, जबकि उन्हें ही सबसे पहली प्रायरिटी देनी चाहिये । वहां के बहुत से लोग मिलिटरी व फौज में हैं । ऐसे बहादुर लोग जो देश की रक्षा करते हैं, उनके मां बा भूखों मरें, यह कहां तक ठीक है । इसके लिये इस किस्म की सहायता इन लोगों को अवश्य देनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि टनकपुर से लेकर हरद्वार तक जितनी खेती लायक जमीन है उसमें इन लोगों को फर्स्ट प्रिफ्रेन्स मिलना चाहिये । माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैदानों में सड़कों के दोनों किनारों पर वन विभाग के द्वारा जंगल लगाने की व्यवस्था करने वे जा रहे हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं पर्वतीय इलाकों की सड़कों के दोनों तरफ भी वन विभाग के द्वारा व्यवस्था करनी चाहिये ।

वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन के बारे में यह है कि इस बजट में यह जिक्र किया गया है कि भरल और कस्तूरा आदि जानवरों की किस्म को बढ़ाया जायेगा । इसको सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है । इनकी जातियां खत्म हो रही हैं । इनकी ओर हमारी सरकार का ध्यान गया है इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । इसके लिये अनुदान भी बढ़ाया गया है । अमेरिका तथा इंगलैन्ड वगैरह से बड़े बड़े पूंजीपति लोग इन जानवरों का शिकार करने काश्मीर आते हैं । इसलिये इन जानवरों के शिकार का प्रबन्ध हमारे यहां भी किया जाय । इससे हमारे प्रदेश को काफी आमदनी हो सकती है । अमेरिका, इंगलैंड वगैरा में बड़े बड़े लोग एक प्रकार की ट्राउट मछली होती है उसका शिकार करने आते हैं । इसके लिये हमारे यहां नालों को टेम किया जाय और इनमें इस मछली को पाला जाय । हमारे यहां हैचरीज बनाई जाय और फिशिंग का इंतजाम किया जाय । इससे हमारे यहां टूरिस्ट काफी बढ़ सकते हैं ।

मुझे बड़ा हर्ष था कि हमारे मंत्री जी माननीय विकल जी एक ग्रामीण आदमी हैं और बड़े सीधे और सरल स्वभाव के हैं । हमें आशा थी कि वे काफी तरक्की इस विभाग में करेंगे, लेकिन उनका ध्यान भी शहरों की तरफ ही जा रहा है । मैंने देखा वन महोत्सव के समय पर चीनी बाजार में ही वृक्षों का रोपण हो रहा है । मैं आशा करता हूं कि वे इन जगहों में जाना छोड़

कर उत्तराखंड जायं जहां के पहाड़ नंगे हैं उधर की तरफ जायं। इससे वनों की हमारे यहां उन्नति होगी और देश का भला होगा। इन चीजों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

*श्री जवाहरलाल जाटव (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिये कोई लम्बा भाषण नहीं करना है। केवल वन मंत्री जी की मांग का मुझे समर्थन करना है और एक निवेदन करना है कि कानपुर के नागरिक १० वर्षों से लगातार प्रयत्न करते रहे हैं कि कानपुर में एक जन्तुशाला बनाई जायं, लेकिन नहीं बन सकी। किदवई नगर में जो जमीन पड़ी है उसको जन्तुशाला के लिये सुरक्षित कर दें और वन विभाग इसमें जो योगदान कर सकता है, वह करे।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे मंत्री जी जो यूपी के रहने वाले हैं, वन विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं क्योंकि ग्रामीणों और जंगलों का पुराना सम्बन्ध है। बिना जंगल के खेतीबारी हो नहीं सकती। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री वनों की रक्षा और उनके विकास के प्रति अधिक ध्यान देने की कृपा करेंगे। जंगलों का सम्बन्ध हमारी जिन्दगी से गहरा है। पुराने जमाने मे से ये जंगल बरसात को अपनी ओर खींच कर पानी के स्रोत मुल्क में बहाते हैं। इन्हीं जंगलों में हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके संसार में ज्ञान के स्रोत बहाये हैं। एक अंग्रेजी कवि के शब्दों में जंगलों का महत्व बताना चाहता हूं —

Away Away from men and town to the wild woods and the down to the silent wilderness where soul should not repress its music lest it should not find its echo in another's mind.

जो अनन्त शान्ति चाहता है वह जंगलों की तरफ भागना चाहता है। इसलिये जंगल बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहाड़ के जंगलों की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पहाड़ जो नंगे हो चुके हैं इससे हमारा सारा प्रान्त पीड़ित है। बरसात में जो बाढ़ आती है उसको कंट्रोल करने के लिये, स्वायत्त इरोजन को रोकने के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि जो पहाड़ नंगे हो चुके हैं उन पर वन लगाये जायं, वहां पर फिर वृक्षारोपण होना चाहिये। सरकार हाफ हार्टेड एफर्ट करती है जिससे सरकार जो रुपया खर्च करती है उससे पूरा फायदा नहीं पहुंचता क्योंकि दृढ़ता से कदम नहीं उठाया जाता है। उससे बहुत हानि रुपये की होती है। केवल एक ही विभाग था जिसमें प्लानिंग जरमनी से ली गयी थी। बहुत कुछ प्लान की बात फारेस्ट डिपार्टमेंट समझता था और आज भी वह प्लान्ड तरीके से चलते हैं, लेकिन सरकार उपयुक्त मात्रा में उनको रुपया नहीं देती जिससे काम ठीक से नहीं हो पाता। जंगलों की जो सम्पत्ति बड़ी मात्रा में खत्म हो रही है उसका एक कारण लैक आफ मीन्स आफ ट्रांसपोर्ट है। जो लकड़ी मकानों में काम आ सकती है उसके ट्रांसपोर्ट की सुविधायें नहीं हैं। मैं चाहता हू कि फारेस्ट आफिसर्स और सरकार इस ओर ध्यान दे जिससे करोड़ों की जंगलों की सम्पदा जो खत्म हो रही है उसको बचाया जा सके। उस सम्पत्ति का एक्सप्लायमेंट न किया जाय। उससे हमारे एक्सचेकर में रेवेन्यु आनी चाहिये। जो कि हमारी हानि होती है उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर और सरकार के अधिकारियों पर है जो कि दूरदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जरूर वन लगाइयें, क्योंकि वह इंसानों के लिये बड़े उपयोगी होते हैं, लेकिन आप वनों के लिये आदमियों को सेक्रीफाइज नहीं कर सकते हैं। जंगलों क लगाने के लिये नये नये जंगलों को घेरने के लिये आप आदमियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

को बेघरबार नहीं कर सकते हैं, बेरोजगार नहीं कर सकते हैं, उनकी जीविका नहीं छीन सकते हैं, किन्तु आप ऐसा करते हैं जो कि इस तरह का अत्याचार जंगल विभाग के अधिकारियों की ओर से होता है। मैं समझता हूं कि यह कोई उचित और बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उत्तरकाशी में जब हम डाकबंगले से नीचे की ओर आते हैं तो मैंने देखा है कि वहां पर फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पिलर्स विस्तार से खड़े कर दिये हैं और जमीन पर कब्जा करने के लिये हर तरह के उपाय किये हैं जिससे वहां के निवासियों का बहुत सा नुकसान होता है। मंत्री महोदय ने सारे वनों का निरीक्षण किया होगा तो उनको पता चला होगा कि जंगल विभाग के पास बड़ी-बड़ी भूमियां हैं, जो बिना किसी उपयोग के पड़ी हैं, कुछपर विभाग काम करना नहीं चाहता है और कुछ को उपयोगी बनाया नहीं जा सकता है किन्तु उसे फिर भी फारेस्ट विभाग वर्षों से तथा सदियों से अपने अधिकार में दबाये चला आ रहा है। वन विभाग जैसा कहता है— हम सदियों के बाद उसमें जंगल लगायेंगे यह कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हमारी सरकार चूंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है और अपने को जनता की सरकार कहती है, तो उसका कम से कम फर्ज है कि जो भूमि जंगल विभाग को काम नहीं आ सकती और जो अन्न पैदा कर सकती है, उसको देश में अनाज की कमी को देखते हुये उस खेती करने वालों में बांट दिया जाय जिससे अन्नोत्पादन हो सके और जो अन्न की कमी सरकार चिल्लाती है वह बन्द हो सके। सरकार ने जो पालिसी बना रखी है उससे न तो सरकार का कोई फायदा है न जनता का और और न कृषि का। मैं समझता हूं कि उनको जनता के हित के लिये काम करना चाहिये और रूढ़िवाद से काम नहीं लेना चाहिये। नाम जरूर कंजरवेटिव रखा है। नाम जरूर कंजरवेटिव हो, लेकिन वह काम में प्रोग्रेशिव और प्रगतिशील हों। इसलिये जरा अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हम लोगों में अगर कुछ पागलपन नहीं तो हमें अवश्य बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिये। जंगल विभाग के अफसरों को सरकार के साथ कोआप्ट करना चाहिये।

मैं जमीन के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। ऐसी जमीनें जिन पर खती हो सकती है वह उन लोगों को दी जानी चाहिये जो उन पर अन्न पैदा कर सकते हैं। पहाड़ों पर कुछ बाहरी शराणार्थियों को बसाया जा रहा है, उन्हें जरूर बसाया जाय, किन्तु जो लोग पहले से बसे हैं उन्हें उजाड़ कर बसाना ठीक नहीं है। किन्तु वहां पर बड़ी तादाद में बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है इसलिये जो टनकपुर से रामनगर तक जंगल काटे गये हैं यह चाहिये कि रामनगर से चिल्हागोरी तक जंगल में बसा दिया जाय पहाड़ के लोगों को और पहाड़ का जो स्थायल एरोजन है वहां जंगल लगाये जायं। मैं यह उचित समझता हूं कि वह पहाड़ों की भूमि लेकर सरकार जंगल लगाये और वहां की ऐक्सेज पापुलेशन को वह तराई भावर में बसाने की कोशिश करे। इस प्रकार की हमारी मांग सरकार के सामने वर्षों से रही है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि सरकार समझती है कि पहाड़ी कमजोर हैं। वह ऐसा समझती है कि पहाड़ पर के केवल १७ ही एम०एल०ए० और एम०एल०सी० हैं, वे चाहे इधर हों या उधर हों और उनके विरोध से कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहाड़वाले कमजोर जरूर होते हैं लेकिन अगर एक बार खड़े हो जाते हैं तो खुदा भी उनको नहीं बैठा सकता। मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर पहाड़ों में जलजला आ जाय तो आपका ठहरना मुश्किल हो जायगा। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम पहाड़ के एम० एल० एज० ने उन लोगों को रोक रखा है। वरना अभी जो नारा लगा है हिल स्टेट का और जो सरकार मनीपुर को, नागालैंड को हिल स्टेट बना सकती है, जो हरियाणा को सेपरेट स्टेट बना सकती है वह उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को भी एक सेपरेट हिल स्टेट बना सकते हैं। पहाड़ों के अन्दर ज्वालामुखी हुआ करता है और अगर उसका विस्फोट हो जाय तो फिर कोई बच नहीं सकता। इसलिए उसका खयाल रखना जरूरी है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि वहां के लोगों की आवाज को सुनकर उनके हित के बारे में जल्द से जल्द कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

*श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा विपक्ष को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जैसा देश होता है उसके अनुसार वहां की जलवायु और उसी जलवायु के मुताबिक वहां पर चीजें उत्पन्न होती हैं और जो चीजें कुदरत उत्पन्न करती है अगर उनमें कटौती होती है तो बीमारियां आती है । जैसे इंसान का शरीर पांच तत्वों से बना है और एक तत्व में भी कटौती होगी तो शरीर बीमार पड़ेगा और अतएवगत्वा वह मर जायगा । इसी तरह से हिन्दुस्तान का एक शरीर है, उसका एक अंग है उत्तर प्रदेश और उस प्रदेश में जो चीजें पैदा होंगी उनमें अगर कटौती या बढ़ोत्तरी होगी तो हमारा प्रदेश बीमार हो जायगा । मैं जब सन ५७ से ६२ तक यहां था तब दूसरी पंचवर्षीय योजना में मैंने सुझाव दिया था, लेकिन जमींदारी खात्मे में देर लगाई गई और नतीजा यह हुआ कि जमींदारों ने तमाम जंगल काट डाले । पहाड़ी इलाकों में भी वही हुआ । वहां भी जमींदारी खात्मे में देर लगाई गई । पन्त जी के जमाने से यह बात उठायी गयी, लेकिन देर लगाई गयी नतीजा यह हुआ कि वहां के सारे जंगलों को वहां पटेलों और जमींदारों ने काट डाले । वह भी शमशान बन गया । पहाड़ों पर जंगल कट जाने से जो मानसूनी हवायें उठती हैं वह सब पहाड़ के उस ओर चली जाती हैं और पानी नहीं बरसता, सिंचाई की समस्या आ गयी है । यह सब कांग्रेस के २० साल के कुशासन का पाप है । जो हवा आदमी फेंकता है वह पेड़ खाते हैं और जो पेड़ फेंकते हैं वह हम लेते हैं । अतः जलवायु पर बड़ा असर पड़ा । आंधियां आयेंगी, और तमाम तरह के खुराफात पैदा होंगे । जंगल न रहने से पानी की कमी हुई, धरती फट गई, ऊसर बढ़ गये, बीमारियां फैलीं । बरसात अगर आती भी तो देर से, यहां से जो मानसून उठा वह उत्तराखण्ड में पहाड़ों से टकराया नहीं, बल्कि पहाड़ों पर पेड़ कटने से सारा मानसून उस पार निकल गया । यह उनकी देन है । अगर मेरी वह बात मान ली जाती तो प्रदेश में यह नतीजा न होता । मैं संयुक्त विधायक दल की सरकार से कहना चाहता हूं कि जब इस संबंध में वह नीति बनाने चले थे तो उनकी नीति सामने थी । इसी वजह से इसमें कठिनाई आई । मेरा उनसे यह आग्रह है कि हम लोगों ने २० सालों में जो सुझाव दिए हैं उनको देखकर और सामने रखकर नीति को अपनाया जाता तो अधिक अच्छा था क्योंकि वही नीति आज सामने आ रही है जिसको पहले बताया जा चुका है । विदेशों से पेड़ मंगाये जा रहे हैं यह क्या नीति है ? क्या इससे प्रदेश के किसानों का या जनता का लाभ होगा ? पुरानी नीति पर चलना उसमें अधिक लाभदायक है । पहले पेड़ ऐसे लगाए जाते थे जिनसे जनता को फल और लकड़ी दोनों मिलते थे । २० साल में कांग्रेस सरकार ने ऐसे पेड़ लगाए जो बाहर से मंगा कर लगाए । हमारे देश में पेड़ों की प्रथा दूसरी थी । पुराने जमाने में ऐसे पेड़ उगाए जाते थे जिससे फल और लकड़ी मिलती थी और जनता उनसे लाभ उठाती थी । वह फल खाते थे उससे उन लोगों की भूख मिटती थी, लेकिन आज वस्तुस्थिति दूसरी है । जो पुरानी योजना है वही योजना सामने रख दी गई है । पेड़ उस तरह के लगाये जायं जो देश की जलवायु के अनुकूल पड़ते हों और वहां जलवायु के अनुकूल वह पैदा हो सकें और वे और बढ़ सकें वह जल्दी भी बढ़ेंगे और लाभ भी अधिक होगा ।

दूसरी चीज जंगल है । जंगलों में जो चिड़ियां होती हैं या जंगली जानवर होते हैं ये हमारे देश के लिए बड़ी लाभदायक चीजें है । चिड़ियाओं में कुछ ऐसी भी चिड़ियां होती हैं जो खेती के लिए बहुत लाभदायक होती है । खेती में ऐसा कीड़ा पैदा हो जाता है जो खेती को बहुत हानि पहुंचाता है । वह चिड़ियां उन कीड़ों को खा जाती है । एक ऐसी चिड़िया होती है जिसके पंख की हवा से बीमारी का नाश हो जाता है । इसलिए चिड़ियां हमारे जंगलों की शोभा है । वह जंगल की रक्षा करती है ।

इसी तरह से मैं आपको बतलाऊं कि आज जंगलों में शिकार करने के लिए हमारी सरकार के अफसर ज्यादातर जाते हैं । उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए । हमने अपने जिले के अन्दर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जंगबहादुर]

देखा है कि अफसर लोग जाते हैं और आराम से शिकार करते हैं। जो रखवाला होता है या पुलिस होती है वह कप्तान के मातहत होती है वह भी उनको रोक नहीं पाता है।

दूसरी बात मैं आपको यह बताऊं कि जो जंगल लगाए जाते हैं वह भी पुरानी सभ्यता को सामने रखकर लगाए जाते हैं। किनारे पर पेड़ लगाए जाते हैं। किनारे पर बाढ़ भी लगाते हैं, लेकिन वह बाढ़ टूट जाती और गिर जाती है जिससे जंगल को भी नुकसान पहुंचता है। पुरानी नसीहत और पुराने जमाने में आसपास के लोग जंगल की रखवाली करते थे। गांव के लोगों को भी उसमें से कुछ हिस्सा दिया जाता था। अगर नौकर न रखकर गांव के प्रधान को या गांव पंचायत को कुछ हिस्सा उस रखवाली का दे दिया जाय तो इससे जंगल की अच्छी तरह से सुरक्षा हो सकती है। मंत्री जी ने कहा कि ३३, फीसदी जंगल हैं, पर मैं कहूंगा कि कुछ हिस्से में बागात भी हैं और कुछ पेड़ हैं, जिनकी जरूरत भी है पर उससे जंगल ज्यादा कमी नहीं पड़ती है। हर जगह वह चीज होनी चाहिए। एक जगह के अपनाने से ज्यादा लाभ नहीं होगा। आज लखनऊ में बागों के पेड़ काट-काट कर आ रहे हैं, लेकिन सरकार उसे रोक नहीं पा रही है। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार उसे रोकेगी। कांस्टेबिल का ५ रुपया बन्धा हुआ है, कानूनगो का रुपया बंधा है और तहसीलदार अपना रुपया लेकर ४, ६ पेड़ों के लिए परमिट दे देता है और उसकी आड़ में कितने ही पेड़ काट डाले जाते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसी जमीन जिस में खेती नहीं हो सकती, उसे हरिजनों को दे देना चाहिए। बिजनौर और कालागढ़ में हरिजनों के नाम पर जमीन का पट्टा किया गया लेकिन हमारे एक भूतपूर्व मंत्री जी ने उसे अपने नाम से लिखा लिया है। मैं इसे साबित कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। इस मद पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और मेरे लिए यह बड़ा कठिन हो जाता है कि मैं सब को समय दे सकूं। समय कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बजाय दस मिनट के ५ या ७ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें तो अच्छा होगा जिससे काफी लोगों को बोलने का अवसर मिल जायगा। ५ मिनट कम तो होंगे? (किसी के आपत्ति न करने पर) तो ठीक है। अब से ५ मिनट समय रहेगा। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप लोग समय का ध्यान रखें।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जंगलों की बात वनों की बाबत यहां आया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे वन मंत्री जी ने अन्य जिलों में १७, १७ बार दौरे किए लेकिन जिस वन विभाग के वह मंत्री हैं, पहाड़ों पर जहां कि वन अधिक होते हैं वहां वह एक बार भी नहीं गये। इसके अलावा वन की समस्या आज पहाड़ के आदमी की समस्या है, पहाड़ी जन जीवन की समस्या है, वह ३० लाख आदिमयों की समस्या है और अगर इस समस्या को आप ध्यान से न देखेंगे तो इस प्रांत को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वनों की सुरक्षा का सवाल है। मैं समझता हूं कि वनों की सुरक्षा तब तक अच्छी तरह नहीं हो सकती जब तक कि वहां के रहने वाले लोगों में यह भावना न पैदा कर दी जाय कि वे वन उन लोगों के हैं। मैं आपको बतलाऊं कि आज होता क्या है। उन वनों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। यदि आप वहां के लोगों में यह भावना भर दें तो वहां के रहने वाले वनों में आग लग जाने पर सारे औरतें, मर्द और बच्चे मिलकर उसे बुझाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज देहरादून के वनों की लकड़ी आती है हरिद्वार और उसकी अलमारी बन कर बलाक में आ जाती है। हमारे मंत्री महोदय ने बनाया कि पहाड़ में लीसा का उद्योग चालू करेंगे लेकिन उसकी फैक्ट्री बरेली में। अतः मैं वन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको अगर वनों की सुरक्षा करनी है तो आप वहां के लोगों के अन्दर वह भावना पैदा करें कि ये जंगल उनके ही हैं।

मैं आपको बतलाऊं कि राष्ट्रीय नीति जो सन् ५२ की है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जंगलों की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती है जब तक उन पर वहां के लोगों का पूर्ण अधिकार न हो। इसके अलावा वर्तमान सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह सरकार स्वयं जानती है कि पर्वतीय जिलों में वन होना चाहिए, बिना वनों के भूमि कटाव होता है लेकिन फिर भी प्लाटेंशन के लिए बिलकुल कम पैसा रखा गया है, इस चीज से काफी परेशानी प्रांत को होगी। क्योंकि इससे जंगल कटेंगे और मैदानों में बाढ़ आयेगी।

एक और समस्या है कि पहाड़ों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अतः वहां के भूमिहीनों को मैदानों में जगह देनी चाहिए। टेहरी गढ़वाल में एक तो वन पंचायत नहीं है अल्मोड़ा और नैनीताल की तरह वहां भी बनें। दूसरे, गूजरों की समस्या है। पहाड़ों में पशुओं के लिए चरागाह नहीं है तो गूजरों को आप कहीं अन्य स्थान पर बसा दें ताकि वहां न जायं। इन शब्दों के साथ यह जरूर कह देना चाहता हूं कि यह सरकार १८ साल के नारे को लेकर कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त।

महन्त घनश्याम गिरि (जिला देहरादून)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि मुझे कुछ सुझाव रखनेका समय आपने दिया। मैं भूत व वर्तमान सरकार की बुराई व प्रशंसा में माननीय सदन का समय नष्ट न करूंगा। माननीय गेंदासिंह जी व माननीय विकल जी ने आज सदन के सामने जो एक नयी समझौते की परिपाटी रखी है, मैं उसकी प्रशंसा अवश्य करूंगा। यह स्वस्थ परंपरा है, इससे पहली सरकार को आत्मशुद्धि का अवसर मिला है और नयी सरकार को सुलझा हुआ विरोध। दोनों बधाई के पात्र हैं वन विकास के अच्छे सुझाव बिष्ट जी और रावत जी ने रखे हैं, उनमें बहुत से सुझाव सराहनीय है और उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

मैं केवल सुझाव वनों के निकट रहने वाले ग्रामीणों की सुविधा के लिए माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। ऋषिकेश व कोटद्वारा व अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में काष्ठ-कला उद्योग के रूप में सहकारी लघु उद्योग संस्थाएं स्थापित की जावें जिसमें फर्नीचर, खिलौने व खेल के सामान बनाये जायं। उसमें मिडिल व हाई स्कूल पास छात्रों को शिक्षण दिया जाय। उनक लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की जाय। ग्रामीण बालकों को उसमें प्राथमिकता दी जाय जिससे लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिले व वनों के महत्व की ओर ग्रामीणों का ध्यान जाय। वन अनुसंधान संस्था, देहरादून के तत्वावधान में यह स्कूल चलें। वन विभाग के बीच या पास में रहने वाले ग्रामीणों को चुगाने के लिए घास व जलाने की लकड़ी के उपयोग का निःशुल्क अधिकार, जमींदारी समाप्ति के पूर्ववत् ही रखा जाय। जब विभाग के बीच या पास में रहने वाले ग्रामीणों को अपने प्रयोग की कृषि औजार के काम की लकड़ी के लिए तथा छप्परों के लिए फूस व बल्ली रियायती उचित मूल्य व उचित मात्रा में बिना परेशानी के मिले। बन विभाग टोंगिया पद्धति से कुछ क्षेत्रों में वन लगा रहा है। उसके साथ ही खेती भी ठेकेदारी पद्धति से होती है। यह बड़े लोगों को दी जाती है। अच्छा होगा यदि वह भूमि भूमिहीनों को दी जाया करे। वन विभाग का जनता के बीच सद्भावना व सुविधाओं को बनाये रखने के लिए जिलास्तर की परामर्शदात्री समिति की स्थापना की जाय। जो जंगलों की रक्षा व ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा पर समय-समय पर विचार करती रहे। जंगलों के बीच व पास के ग्रामीणों के छप्पर जल जाने पर वन विभाग से रेंज अधिकारी की रिपोर्ट पर रियायती मूल्य पर लकड़ी व फूस मिल जाया करे। वन के मार्ग से यदि कहीं सिंचाई का पानी आ सकता हो तो उसमें बाधा न डाली जावे। जंगल से होकर जाने वाले मार्ग से बीमारी में, विवाह में, मौत में

[महन्त घनश्याम गिरि]

तथा खेती का सामान आदि ले जाने के अवसर पर ट्रैक्टर ट्राली बस, बैलगाड़ी आदि को निःशुल्क आवागमन की आज्ञा दी जावे। इन सुझावों के साथ मैं वन विभाग के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री करनसिंह (जिला खीरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, खीरी जिले में बराबर वनों का रकबा बढ़ता चला जा रहा है। उसके कारण वन के आस पास के गांवों में घुटन सी पैदा हो गयी है। जो भूमि पूज्य विनोबा भावे को भूदान में मिली थी उसमें से भी वन विभाग के अन्तर्गत ले ली गई है। सीलिंग से जो भूमि गरीब किसानों और भूमिहीनों में बाटने के लिए ली गयी थी उसमें भी वन विभाग के अन्तर्गत आती जा रही है। आज हम यह नहीं कह सकते कि आखिर उसका अन्त कहां होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि करीब सवा लाख एकड़ जमीन खीरी जिले की जमींदारी खत्म होने के बाद से अब तक इस विभाग में जा चुकी है। जब वह भूमि वन विभाग में ली गयी थी तो इस बात की गारन्टी दी गयी थी कि वहां के किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जायगा। लेकिन मैं आपसे निवदन करना चाहता हूं कि बावजूद शिकायतों के, लगातार वन विभाग ने अपने वायदों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने आज से डेढ़ वर्ष पूर्व भी वन विभाग के मंत्री श्री चरण सिंह को यह सब लिखकर भेजा था और उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलायी थी, वे खुद मौके पर भी गए थे, उन्होंने कुछ घोषणायें भी की थीं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई अमल नहीं हुआ। आज भी इन्दर नगर में २-४ हजार पेड़ कटे हुए पड़े मिलेंगे, और जिन्होंने उनको काटा है उनमें से एक का भी आज तक चालान नहीं हुआ है। दूसरे प्रदेशों में भी यह खबर फैल गयी कि तहसील निघासन और खीरी में बहुत जमीन पड़ी हुई है और वे यहां आकर अधिकारियों को कुछ रिश्वत वगैरह देकर जहां चाहें वहां कब्जा जमा सकते हैं। बाहर से इस प्रकार कई लोग आये और जंगल की जमीन पर कब्जा जमा कर बैठ गए। वे लोग २-२ सौ एकड़ की जमीन घेरे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां कोई देखने वाला नहीं है। डिप्टी चीफ श्री सिमनैन साहब मेरे साथ वहां गये थे, मैंने उनको यह सब दिखाया भी था। उन्होंने देखा था कि किस तरह से हरे भरे चरागाहों को लोगों ने जोत रखा है और स्थानीय लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे। गांव के भूमि हीन किसानों व हरिजनों के लिए तो एक विसवां भी जमीन बाकी नहीं रह रही है। और ये वन के कर्मचारी जानबूझ कर वन की सीमा में ली गई जमीन का एक एक इन्च बेचते हैं, ट्रैक्टर वाले बाहर के किसानों को बुलाकर देते हैं और जोतवाते हैं। मेरे निवेदन करने पर इन्क्वायरी हुई थी, उसकी जांच तहसीलदार के पास थी। जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लोगों को जो जंगल की जमीन में बैठे हैं बयान हलफी दिया है कि जिन्होंने रुपया देकर जमीन ली है वन अधिकारियों ने उनसे वायदा किय था कि उनके नाम पट्टे कर दिये जायेंगे लेकिन अभी तक उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। जिन्होंने बयाना हलफी दिया था उनके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की गई। इन लोगों के सामने और जो लोग बाहर से आये हैं, उनके सामने भी परेशानी है। अगर स्थानीय आदमी भूमि जोतता है तो डंडे, जूता और तलवार के साथ उनसे वे बात करते हैं। यदि वह भूमि खेती के लिए देना ही है तो स्थानीय भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जी ने जो वन विभाग का अनुदान रक्खा है मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। समय की तो कमी है और मैं तो हिंदुस्तान

के एक छोर पर नेपाल से मिले हुए क्षेत्र से चुनकर आया हूं। वन के संबंध में यद्यपि मैं अपने विचार पूर्णतया व्यक्त करना चाहता था, परन्तु समय के अभाव में मैं जो आवश्यक बातें हैं वे ही माननीय मंत्री जी के समक्ष रक्खूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन का तो वैसे हमारे जीवन में, हमारे प्रदेश में, और हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है किंतु विशेष कर ये भूमि के संरक्षण में सहायक हैं और उपजाऊपन में सहायक होते हैं। भूमि के कटाव और बहाव को रोकते हैं और इसके ल व वन से हमारे बहुत से कार्य, फर्नीचर और उद्योग-धंधे चलते हैं। इस के अतिरिक्त हम वन से और भी बहुत से लाभ उठाते हैं जिसको कि हमारी कांग्रेस सरकार, जो बीस साल तक थी, ने वनों को उजाड़ दिया, खोखला बना दिया। वन को काट करके और वन ही नहीं सारे गांव के बागों, सड़कों के किनारे के बाग और पेड़ कटवाकर उजाड़ खण्ड कर दिए गए हैं जिसके नाते से आज पानी की वर्षा संभव नहीं हो रही है।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष सुनः पीठासीन हुए।)

सूखा और अकाल है और हमारी नई सरकार ने जो यह बजट पेश किया है उससे मुझे लगता है कि अब अवश्य वनों का विकास होगा। उसकी तरफ सरकार का विशेष ध्यान है जिससे कि हमारे देश में पानी की वर्षा होगी औ हमारे वहां अन्न अधिक पैदा होगा। मैं दो तीन बातें आपके सामने रखूंगा। वैसे वन के जो कर्मचारी हैं उनकी वन उत्तराखण्ड यूनियन है और उसकी मान्यता होते हुए भी उनको जितना वेतन भत्ता मिल ा चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो फारेस्ट गार्ड हैं उनका जो एरिया निर्धारित था पहले, जब कि लकड़ी की कीमत बहुत कम थी, आज उसी लकड़ी की कीमत बढ़ती जा रही है। उनका एरिया कम होना चाहिए ताकि उनकी देखभाल कर सकें। हमारे उत्तराखण्ड, गोंडा के अन्दर लाखों लाखों रुपये के कीमत के पेड़ों को काटकर बिकवा लेते हैं। उसके लिये बहुत कुछ लोगों ने प्रयत्न करके जंगल विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया और माननीय मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया है। उसकी कोई मदद नहीं हुई। बल्कि गांव के चौधरी के यहां चोरी करवा दी गई और उसे बंदूक से मार डालने की कोशिश की गई। सईपुर में भी पेड़ों को काटा गया था। उसका केस भी दायर हो गया है। वहां के कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं। उसका मैं एक नमूना बताना चाहता हूं। बी० डी० सिंह एक फारेस्ट आफीसर हैं जिनके पास रात दिन शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं है। १५ सौ कारतूस गोंडा नगर से आकर जबरदस्ती ले गये उन्होंने कहा कि अगर कारतूस नहीं दोगे तो मैं केस में फांस दूंगा। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया था। उसके बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान मैंने आकर्षित किया है। वे कृपया उस पर उचित कार्यवाही करें।

इसके अतिरिक्त जो टांगिया पर जमीन दी जाती है। मेरे पास फारेस्ट आफीसर की एक चिट्ठी आयी कि ७० आदमियों को जमीन के लिये भेज दो। मैंने रेंज आफीसर साहब के पास २०–२५ भूमिहीनों को भेज दिया, लेकिन उनको लौटा दिया गया और जिन्होंने उनको कुछ दे दिया मालूम होता है उसको जमीन दे दी। कृपया इसकी जांच करायी जाय कि इस प्रकार से क्या पीछे क्यों ऐसा काय किया जाता है।

उत्तरी वनखंड का वह भाग जो नपाल से मिलता है उसकी सरहद पर तमाम जमीन ऊबड़ खाबड़ पड़ी है। लोगों ने उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उनको सट्टे दे दिये जायं तो वन विभाग को बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त वहां की सड़कों पर जो कर्मचारी काम कराते हैं वे वही १० साल पहले की मजदूरी पर कराते हैं। जब मैं अभी बद्रीनाथ गया तो मैंने उन सड़कों को देखा जो कांग्रेस सरकार के जमाने में बनी हैं। वे मंत्रियों के दौरे के समय तो ठीक कर दी जाती हैं। लेकिन बाद में ज्यों की त्यों ही पड़ी रहती हैं। उनको देख कर मुझे हैरत हुई। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तर काशी)—

मान्यवर, चूंकि समय कम है मैं डिटेल में तो कुछ कह नहीं सकता, केवल मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वन मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वन की रक्षा तभी हो सकती है जब वहां के निवासी आपको सहयोग देंगे और उनका सहयोग तभी मिलेगा जब आप उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान देंगे। मेरे गांव के चारों ओर आग लगी हुयी थी। मैंने लोगों को बहुत कुछ आग बुझाने के लिये कहा लेकिन पहले कोई तैयार नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने पर लोग गये। मैंने उनके हृदय को टटोला तो उनका कष्ट मालूम हुआ। इसलिये मैं जो सुझाव आपके सामने रख रहा हूं आप उन पर विचार करें। वे ऐसे सुझाव हैं जो तुरन्त अमल में लाये जा सकते हैं।

टेहरी गढ़वाल उत्तरकाशी में सबसे घने जंगल हैं। वहां पर लोगों को ७ घनफीट और १० घनफीट फी मवासा के हिसाब से रवन्ना मिलता है और वह १९५१ की जनसंख्या के आधार पर मिलता है। अब आबादी बहुत बढ़ गई है, रवन्ना १९६१ की जनगणना के आधार पर मिलना चाहिये।

वहां पर मुनारों को हटाने के लिये भी कई बार कहा गया है। भूतपूर्व वनमंत्री जो अब मुख्य मंत्री हैं उनसे भी हमने कहा था और उन्होंने इंडियन फोरेस्ट ऐक्ट के संशोधन के समय ऐसा करने का आश्वासन दिया था। ३–४ गांव वालों की तरफ से उनके पास प्रस्ताव भी भेजे गये, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इन्हीं मुनारों के कारण रवाई (Rawain) कांड भी हुआ और इन्हीं की वजह से टेहरी स्टेट का विलीनीकरण भी हुआ। मेरी प्रार्थना है कि उनको शीघ्र हटा दिया जाय।

एक सुझाव मेरा यह भी है। विभाग की ओर से पहले एक जी० ओ० हुआ था जिसमें कहा गया था कि गांवों की आबादी के पास जितने मुनारें हैं वे १५० फुट पीछे हटाये जायं और उस क्षेत्र में फलदार पेड़ या काश्तकारों के काम के पेड़ लगाये जायं। लेकिन इन दोनों कामों में से एक भी नहीं हुआ। न मुनारें पीछे हटाये गये और न ऐसे पेड़ ही लगाये गये हैं। मेरा सुझाव है कि मुनारे जल्द पीछे हटाये जायं और उसमें फलदार या काश्तकारों के काम के पेड़ लगाये जायं ताकि लोगों को जलाने की लकड़ी, चारा या फल आदि मिल सकें।

वहां के लोगों को रियायती कीमत पर जो लकड़ी दी जाती थी उनको दी जाती तो है, लेकिन उसकी कीमत अब विभाग ने मौजूदा मारकेट रेट के आधार पर ज्यादा कर दी है। पहले महाराजा के शासन के समय एक रेट फिक्स होता था और देवदार और चीड़ की लकड़ी इन लोगों को उस फिक्स्ड रेट के आधार पर रियायती कीमत पर मिलती थी। उन लोगों से जिस तरह से पहले रियायती रेट पर कीमत ली जाती थी उसी तरह से अब भी ली जानी चाहिये।

वहां जंगलों के बीच में बहुत से खाली टुकड़े हैं, वहां पर फलदार पेड़ लगाये जायं तो अच्छा होगा। दूसरे पेड़ वर्किंग प्लेन के मुताबिक तो वहां सौ साल में भी नहीं लग सकेंगे। इसलिये वहां पर फलदार पेड़ लगाये जायं। मुख्य मंत्री जी जब वनमंत्री थे तो उन्होंने जिला उत्तरकाशी के राड़ी के डांडे में फलदार पेड़ों को लगाने के लिये प्लाट्स देखने व निकालने को कहा। वहां प्लाट्स निकले और फल के पेड़ लगाने की योजना भी बनी। जो प्लाट्स फल के पेड़ों को लगाने के लिए निकाले गये थे उनमें कोई योजना कार्यान्वित नहीं हुयी, वे प्लाटस अभी तक लोगों को उस योजना के अन्तर्गत नहीं दिये गये। देहरादून में वन मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर वनों में खाली जमीन में फलों के पेड़ लगाने की योजना है। वन विभाग फल के पेड़ों के बारे में ज्यादा नहीं जाता। एक स्कीम वन विभाग में पहले चली थी और उस पर रुपया भी व्यय हुआ था और वह खर्च सब बरबाद हो गया। एक पेड़ भी वहां सफल नहीं हुआ। जो प्लाट्स बीच में खाली हैं उनमें फल के पेड़ लगाने का प्रबन्ध शीघ्र

किया जाय। उन प्लाट्स में कुछ पेड़ ऐसे कुकाट के हो सकते हैं जिनको काटना पड़ेगा। उनकी जगह अगर फलदार पेड़ लग जायेंगे तो इरोजन भी रुकेगा और फल भी मिलेंगे।

कुछ लोगों की जमीन टेहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में प्रदेशीय सरकार के वन विभाग ने ले ली है और कुछ महाराजा के जमाने में भी ली गई थी, लेकिन उसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है और उन बेचारे गरीबों को जिनकी वह जमीन थी सिविल कोर्ट में दावा करना पड़ रहा है। उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे हाईकोर्ट तक केस लड़ते फिरें। वे बिलकुल नंगे और बुरी हालत में टूटी झोपड़ियों में अपना जीवन बिता रहे हैं। वन विभाग जो पेड़ों को नीलाम करता है उनको बड़े ठेकेदार लेते हैं। मैं चाहता हूं कि इन पेड़ों को लेकर को-आपरेटिव को दिये जायं ताकि श्रमिक को उसका लाभ मिले। यह तरीका महाराष्ट्र में सफल हुआ है और वहां बड़ी सफलता से यह काम चल रहा है। जिस तरीके से ठेकेदार लोग पेड़ काटते हैं उससे बहुत लकड़ी बेकार जाती है।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत बड़ा प्रश्न बहुत दिनों से सरकार के सामने विचार के लिये रखा जा रहा था कि वनों के बीच जो जमीन थी और उसको किसान जोतते चले आ रहे और उन किसानों के साथ जो रवैया पहले से चला आ रहा है वही इस सरकार के जमाने में भी जारी है। उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अभी परसों एक सवाल के उत्तर में माननीय विकल जी ने फरमाया कि खेती के लिये वे जमीन नहीं दे सकते हैं। हमने हमेशा मांग की थी कि यदि आप वहां पर वन लगाना चाहते हैं तो लगाइये, लेकिन जब तक वहां पर नहीं लगा सकते हैं तब तक वहां पर जमीन पट्टे पर दे दीजिये जैसे कि गांव सभाओं में और सिंचाई विभाग में बंधे की जमीनें दे दी जाती हैं, लेकिन इस ओर हमारे सरकार का ध्यान नहीं गया है। चकिया और नौगढ़ में और मिर्जापुर में हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी हुयी है कि जिस जमीन पर खेती हो सकती है, लेकिन वन के नाम पर वहां पर किसानों की बेदखली की जा रही है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी जमीनों का एक सर्वे किया जाय।

चकिया और नौगढ़ में एक भोंका बांध है। वहां पर भोंका बांध में डूब की जमीन है, जिसमें प्लान्टेशन किया जा रहा है। वहां पर तार भी लगा दिये गये हैं, और बल्लियां भी गाड़ दी गयी हैं, लेकिन वहां पर एक भी पेड़ नहीं हैं क्योंकि वह जमीन पानी में डूब जाती है। प्लान्टेशन के नाम पर लाखों रुपये खर्च हो रहा है जो केवल फरजी है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये। परसों ही एक सवाल के जवाब में बताया गया कि करोड़ों रुपये के जंगल सिविल में आ गये हैं। परसों यह भी बताया गया था कि किस तरह से बड़े बड़े अफसर मिल कर ठेकेदारों को ठेके देते हैं जिससे सरकार का करोड़ों रुपये का नुकसान हर साल होता है। इस सदन की प्रोसिडिंग में भी आ चुका है कि नक्वी साहब एक कन्जरवेटर ह। उन्होंने खुद बड़े बड़े ठेकेदारों को ठेके दिये हैं और इससे करोड़ों रुपये का सरकार का नुकसान हुआ है। ठेकों के देने में पहले विज्ञापन कराना चाहिये और अधिक से अधिक लोगों को इसकी सूचना होनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा बोली लगे और सरकार को करोड़ों रुपये की अधिक आमदनी हो सके।

स्टार पेपर मिल को लकड़ी देने के संबंध में एक बार एक सवाल आया था। उस वक्त उनको २ पैसे मन में लकड़ी दी जाती थी और बाद में २ आने मन कर दी गयी थी। अब क्या है यह पता नहीं, लेकिन लकड़ी बहुत कीमती है, इसके बारे में भी विचार होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

लीसा उद्योग के बारे में सरकार का ध्यान नहीं जाता। लीसा का उद्योग वनों के अन्तर्गत ही चल सकता है। हमेशा से हम इस तरह का सझाव देते रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है।

जो सुविधायें किसानों को पहले मिलती थीं, उन्हें वे सुविधायें अब भी मिलनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि इसके लिये एक कमेटी बनाई जाय जो वहां की समस्यायें हैं उनको देखे और जो भ्रष्ट अधिकारी वन विभाग में हैं, उनके विरुद्ध जांच करें और किसानों को जमीनें दिलवाये।

कांग्रेस के शासन काल में इस विभाग में लाखों रुपये का गबन हुआ है। उधर बैठकर ये लोग हेकड़ी किया करते थे और अब ये बुद्धि वाले हो गये हैं। इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रलाल—

अध्यक्ष महोदय, अधिकांश सदस्य सभी डिमांड पर बोलते हैं। जिसमें दिलचस्पी होती है उसी पर बोलते हैं। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि कटौती का जिनका प्रस्ताव होता है उनको समय नहीं मिल पाता है और बीच में समय इधर उधर हो रहा है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यों में कुछ असंतोष है। इसमें जो दोनों पक्षों के सचेतक लोग हैं, क्योंकि दो ही दल हैं उसमें कोई कठिनाई भी नहीं होगी, तय कर लिया करें और एक लिस्ट बना कर मुझे दे दिया करें। इसमें दोनों तरफ के बोलने वालों को भी सुविधा होगी, जो उठते बैठते हैं उनको भी सुविधा होगी और मुझे भी सुविधा होगी। जो लिस्ट दोनों तरफ से मेरे पास आयेगी उसी के हिसाब से यदि लोग खड़े होंगे और अन्य सदस्य खड़े नहीं होंगे, तब तो वह लिस्ट मुझे ग्राह्य होगी, लेकिन लिस्ट आने पर भी अगर दूसरे लोग खड़े होते हैं तो उस लिस्ट से मैं फायदा तो उठाऊंगा लेकिन वह मेरे पर बाध्य नहीं होगी।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जो जंगल काटने के ठेके दिये जाते हैं वे बड़े बड़े ठेकेदारों को दिये जाते हैं। बड़े-बड़े ठेकेदारों ने मुकामी अफसरान से संबंध स्थापित कर रखा है और इस तरह से मानोपोलाइज कर रखा है। इसका नतीजा यह होता है कि जंगल का नीलाम कम रुपयों में होता है। अगर छोटे-छोटे प्लाट कर दिये जायं और वे छोटे ठेकेदारों को दिये जायं तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी दूर हो सकेगा।

जमींदारी एबालीशन के बाद जो जमींदारों के जंगलात थे वे आपके कब्जे में आये। उनका डिमारकेशन ठीक से नहीं हुआ और जंगलात की जमीनें गांव समाज के पास चली गयी हैं। ग्राम समाज ने परगनाधीश से मिल कर उनका पट्टा कर लिया है। बहुतों पर तो मुकदमें भी चल रहे हैं। जो मुकामी कर्मचारी हैं वे पैसा ले लेते हैं और उसे सब लट कर देते हैं। एक कमेटी आप इसकी देख-रेख के लिये बनाइये तो जंगलात विभाग की आमदनी बढ़ जायगी। पुवायां तहसील, शाहजहांपुर में नया जंगल लगाया गया है। उसमें बड़ी धाँधली चल रही है। ब्लाकों के लोगों को सीरदारी राइट दे दिये गये हैं। गांव सभा में यह प्रश्न उठाया गया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। मुकामी रेंजरों ने नाजायज तौर पर पैसा लेकर पट्टे दे रखे हैं। सरकार को चाहिये कि इस तरह के जंगलात का सर्वे कराया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तमाम जंगल की पूरी तरह से सर्वे करावें, उसकी हदबन्दी करावे और जो लोग अनधिकृत रूप से वन विभाग की जमीन पर कब्जा किये हुय हैं, उनके लिये अपने लीगल एडवाइजर से सलाह करें और कोई कानूनी कार्यवाही हो सकती हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें।

यहां पर जंगली जानवरों के संबंध में बहुत कम चर्चा की गयी है। इस विभाग में प्रगति संबंधी जो पुस्तिका बंटी है उसमें भी जंगली जानवरों की चर्च बहुत कम है। जंगली जानवरों की तरफ विदेशी जनता बहुत आकर्षित होती है और उन्हें देखने आती है। आपने जो नेशनल पार्क बना रखा है उसको देखने के लिये बहुत से लोग आते हैं। रामगंगा के एरिया में होने की वजह से वहां पानी आ सकता है, तो उसकी रोक के लिये भी कोई प्रबन्ध करना चाहिये, क्योंकि वह बड़ा ही आकर्षण केंद्र है जहां विदेशी लोग आते हैं और उनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिये।

इसके अलावा अनधिकृत रूप से भी बहुत शिकार होता है। उसको रोकने का तरीका यह है कि आप आनरेरी लाइफ वार्डन मुकर्रर करें। १९ फरवरी को जब मैं एलेक्शन के सिलसिले में उधर से जा रहा था तो मैंने वहां कई चित्तल मरे पड़े हुए देखे और उनसे मैंने अन्दाज किया कि ये अनधिकृत रूप से शिकार किय हुये हैं। तो शिकार के सिलसिले में जो इस तरह की गड़बड़ी है उसको दूर करना चाहिये।

*श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण सुने और काफी सुझाव इस संबंध में दिये गये हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार इनके संबंध में ध्यान देगी। समय न होने से सारांश में ही दो-चार बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पर्वतीय प्रदेश में खासकर स्वायल इरोजन यानी जमीन के कटान की एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वायल इरोजन का जो कुछ नतीजा होता है वह स्वयं आपको मालूम है। तमाम पहाड़ी जमीन का कटते जाना, यह एक बहुत गम्भीर चीज है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि पर्वतीय प्रदेश में स्वायल इरोजन को रोकने के लिये पिथौरागढ़ में जितनी जल्दी हो सके एक स्वायल कंजरवेशन डिवीजन खोला जाय।

दूसरी बात यह है कि पिथौरागढ़ के तराई भावर क्षेत्र में काफी पहाड़ी लोग तीन-चार जेनरेशन से बने हुए हैं जो खेती करते हैं। कुछ टांगिया हैं, कुछ पट्टे पर जमीन लिये हुये हैं, सरकार उनको बेदखल कर रही है। वे भूमिहीन लोग हैं, अगर उनको वहां से बेदखल कर दिया गया तो उनके साथ बड़ा अन्याय होगा।

इसी तरह से हमारे पर्वतीय प्रदेश में भोटिया बन्धु हैं जिनका व्यापार भेड़ों के ऊन पर चलता था। तिब्बत के साथ अब उनका व्यापार नहीं हो सकता। इसलिये भेड़ों का उत्थान करना जनता के हित में, सरकार के हित में और राष्ट्र के भी हित में है, इसलिये उनकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। उनकी भेड़ों को चुगाने के लिये चरागाह की व्यवस्था कीजिये। यह व्यवस्था न होने से जब कि जाड़े में बर्फ पड़ जाती है, तब भेड़ें वहां न रख कर तराई में लाते हैं, मैदान में लाते हैं और फिर गरमी में ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आयी कि एक तरफ तो सरकार भेड़ों के उत्थान के लिये स्कीम चलाती है और उन पर रुपया खर्च करती है और दूसरी ओर उनके लिये चरागाह का कोई प्रबन्ध नहीं करती। इसलिये सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिये कि भेड़ें बढ़ रही हैं तो उनके लिये चरागाह का भी इन्तजाम किया जाना चाहिये। इस संबंध में काफी गम्भीरता से सोचा जाय और इसकी व्यवस्था की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट]

पर्वतीय प्रदेश की सारी म्युनिसिपैलिटियों व टाउन एरियाज में जाने का मुझे मौका मिला । एस्टीमेट कमेटी के जरिये और और मौकों पर भी मुझे जाने का मौका हुआ और मैंने देखा कि सब जगह लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी आदि की बहुत असुविधा है। बहुत ज्यादा कीमत पर लकड़ी मिलती है। अगर जलाने की लकड़ी खरीदी जाय तो सात रुपये मन मिलती है। ऐसे गरीब इलाके में बहुत बड़ी कीमत पर लकड़ी लोग नहीं ले सकते हैं। इन पर्वतीय इलाकों में आग सेंकने के लिये लकड़ी की बहुत जरूरत है। इन लोगों के लिये लकड़ी उतनी ही जरूरी है जितना कि भोजन। इसलिये इसको एसेंशियल कमोडिटी मानकर जैसे नैनीताल में सब्सीडाइज्ड रेट पर लकड़ी दी जाती उसी तरह से अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, रानीखेत वगैरह में लकड़ी दी जाय। लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा तकलीफ है ।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान यहां की फारेस्ट कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं। यह कमेटी उत्तराखंड और कुमायूं की अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। इसको पर्वतीय प्रदेश की पार्लिययमेंट कहा जाता था। आजकल इस कमेटी का महत्व मैं देख रहा हूं कि बराबर घटना चला जा रहा है। इसकी सिफारिश की आज कोई सुनवाई नहीं होती और उसको कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। पर्वतीय प्रदेश में यह एक बहुत जरूरी कमेटी है और इसका महत्व घटना नहीं चाहिये। मुझे आशा है कि डेवलपमेंट बोर्ड जो यहां के लिये बन रहा है उसमें वन विभाग को खास महत्व दिया जायेगा। वहां की इकोनामी के ढाँचे का वन से गहरा संबंध है। यहां की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्या इसी से जुड़ी हुई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इधर विशेष ध्यान दिया जाय।

यहां पर लोकल इंडस्ट्रीज की स्थापना की जानी चाहिये। यदि यहां का केवल रामैटीरियल बाहर भेजा जाता रहेगा तो यह हिस्सा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर पर्वतीय प्रदेश की माननीय मंत्री जी उन्नति चाहते हैं तो सरकार को छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज यहां पर खोलनी चाहिये ताकि वहां से रामैटीरियल जाने के बजाय फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मैदान में जायं। यहां खास तौर से रोजिन का काम खुल सकता है, स्पोर्ट्स गुडस का काम खुल सकता है और फर्नीचर वगैरह के काम खुल सकते हैं। इससे प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, आमदनी का जरिया हो सकता है और इससे यहां की आर्थिक समस्या भी हल होगी और लोगों को रोजी भी मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस इलाके के गरीब और तकलीफ जदा लोगों की ओर सरकार ध्यान देगी। प्रदेश में हमारा इलाका सब से पिछड़ा हुआ है और गरीब इलाका है। इसके बावजूद हम लोगों को इस बात का गर्व है कि जब पाकिस्तान और चीन की लड़ाई हुई तो सब से ज्यादा मृत्यु पिथौरागढ़ जिले के लोगों की ही हुई हैं। चीन की लड़ाई में पिथौरागढ़ ने "कैजुयेलटीज' में टाप किया है। सुविधा देने का मौका आता है तो कोई बात नहीं है और जब हथेली में जान लेकर लड़ने का सवाल आता है तो हमी लोग देश की रक्षा करते हैं। जिस तरह से इस इलाके की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा सुधरे उस तरफ ध्यान दिया जाय। जब उत्तराखंड के लिये स्पेशल बजट मिल रहा है तो ऐसी दशा में भी सरकार ध्यान न दे तो इसकी कभी तरक्की नहीं हो सकती है। एक तरफ तो यहां चीन का कम्यूनिज्म चल रहा है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट अपने तरीके चला रहे हैं और इस समय भी हम उदासीन बैठे रहे और यहां की जनता का आर्थिक स्तर गिरता रहा तो कब तक ये लोग चल सकते हैं? महंगाई के मारे मैदान के लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट रही है तो फिर पर्वतीय प्रदेश की बात का क्या कहना है। यहां बड़ी मुसीबत में लोग जीवन बिता रहे हैं। हर चीज जैसे नमक, गुड़, चीनी और अनाज वगैरह यहीं से जाती है। उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चार्जेज अलग से लगते हैं वहां तो और भी ज्यादा मंहगी चीज हो जाती है। यहां के लोगों के पास खाना नहीं

है, पहनना नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, रोजी भी नहीं है और पैसे कमाने का कोई साधन भी नहीं है तो कैसे ये लोग आगे चल सकते हैं ? इसलिये मैं पर्वतीय प्रदेश के गरीब लोगों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री रामचन्द विकल--

अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अनुदान पर इधर उधर दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने काफी अमूल्य सुझाव दिये। हमारे बिष्ट साहब ने, जिन्हें पहाड़ों का निजी अनुभव भी है, अपने अमूल्य सुझाव दिये। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और जहां तक सम्भव होगा, उन सुझावों पर हम अमल करने के लिये प्रयत्नशील हैं ।

अभी कुछ ग्रामीण लोगों की सुविधा के बारे में कहा गया । पुराने समय से जो सुविधाएं ग्रामीणों को वन द्वारा दी जा रही थीं उनमें कोई कमी नहीं हुई है। यह जरूर है कि कुछ आबादी बढ़ रही है और लोग ज्यादा मांगें कर रहे हैं। लेकिन पुरानी जो सुविधाएं हैं उन सब पर बराबर अमल हो रहा है। (व्यवधान) अगर ऐसा न हो तो लिख कर दें । मैं जानने के बाद कह रहा हूं कि अमल हो रहा है ।

जमीन का सवाल हुआ पर प्रदेश के सामने एक बड़ा गम्भीर सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की जमीन पर जबरदस्ती वन विभाग का कब्जा है तो हम हटा लेंगे। लेकिन जहां किसानों ने वन विभाग की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हो वहां तमाम माननीय सदस्य सरकार से सहयोग करें क्योंकि वनों का महत्व उन्होंने खुद माना है।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

उन्होंने यह कहा था कि जो जमींनें खाली पड़ी हुई है जिन पर वन नहीं लगाये जा रहे हैं, उनका जिक्र था ।

श्री राम चन्द्र विकल--

समय जरूर थोड़ा है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय सदस्यों को अहसास है, जमीन का खाली रहना, उससे कम मुझे अहसास नहीं है; लेकिन एक कठिनाई का हल और उसमें सहयोग चाहता हूं। हमारी नीति जंगल लगाने की हर साल है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमने केन्द्रीय सरकार से भी धन की मांग की है। अपने यहां बजट में भी प्राविधान है। बराबर जंगल लगा रहे हैं। लेकिन एक साथ सारी जमीन पर जंगल लग जाय यह असम्भव कार्य है। इसे पहली सरकार भी नहीं कर सकीं जो अपने को बहुत प्रगतिशील कहती हैं। जमीन खाली हो वह किसानों को दे दी जाय, फिर किसानों से मुकदमबाजी कौन करे। यह बहुत बड़ा सवाल है। लखीमपुर के माननीय सदस्य ने अपने यहां का उदाहरण दिया। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सही रूप में माना कि जंगल पर नाजायज कब्जा हो रहा है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि वन विभाग के किसी कर्मचारी का हाथ यदि उसमें होगा तो उसको हम जरूर दंडित करेंगे। हम आप को बधाई देना चाहते हैं कि आपने सही बात कही । (व्यवधान) मैं आपके साथ सारी जांच करवा दूंगा । प्रदेश में उद्योग धंधों में वृद्धि न होने के कारण जमीन पर ज्यादा बोझ हैं। दुनिया के आंकड़ों से साबित है कि जो देश जमीन से हटते चले जाते हैं वे मालदार होते चले जाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश पहले से पिछड़ा है। जमीन पर अधिक बल दें और दूसरे काम धंधे न दें तो जमीन पर बोझ बढ़ेगा। इससे हमारी आर्थिक नीति कमजोर होगी और लोग दूसरे काम धन्धों में नहीं लग सकेंगे। जो शरणार्थी और पंजाबी हमारे यहां आये उन्होंने जमीन के अलावा दूसरे काम अपनाये। उनकी आर्थिक हालत आज अच्छी है। अमेरिका में आज ७ फी सदी लोग खेती करते हैं और बाकी ९३ फीसदी लोग उद्योग धंधों में लगे हुये हैं। यहां ७४ फीसदी लोग किसान हैं। मैं किसानों द्वारा वन भूमि को लेकर जमीन पर खेती कराने के पक्ष में नहीं हूं, उनके ऊपर जंगल लगान से ही उन्नति होगी ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

जंगली उद्योग धंधों के बारे में विष्ट जी ने शिकायत की। जो लकड़ी कोई भी व्यक्ति पहाड़ का या मैदान का लेना चाहे उसे हम सहारनपुर मिल के रेट पर देंगे। यह मैंने पहाड़ों पर घूमकर देख लिया है और तय कर दिया है, लेकिन लोग लेने के लिये तैयार नहीं होते। पहाड़ों पर जो लकड़ी मिलती है उसका किस तरह से उपयोग होता है यह भी मेरी जानकारी में है। पहाड़ों पर उद्योग धंधे लगाये जांय इससे मेरी सहानुभूति है। व्यक्तिगत या सहकारी तौर पर जो लोग पहाड़ों पर उद्योग धंधे लगाने के लिये तैयार हों उन्हें जो भी कच्चा माल होगा उसमें हम मिल-मालिकों से उनको प्राथमिकता देंगे। बरेली में जो सरकारी फैक्टरी है उसके उजाड़ने की बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि लगी हुई फैक्ट्री को उजाड़ना इस प्रदेश के हक में नहीं है। आज सरकार जिन आर्थिक परिस्थितियों में चल रही है उनमें हम दूसरी फैक्टरी लगाने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अगर कभी हम इस स्थिति में आये तो हम जरूर चाहेंगे कि हलद्वानी, जहां तक हमारी रेल जाती है वहां हम उद्योग धंधों का विकास करें, लेकिन अभी स स्थिति में हम नहीं हैं। अभी तो जो फैक्टरी बरेली में लगी हुई है उनमें आपस म कम्पेटीशन नहीं है, जब दो-चार फैक्टरी हो जायेंगी तो हम मुकाबले के आधार पर चीजों को आगे बढ़ा सकेंगे। हम चाहते हैं कि पहाड़ों के कच्चे माल को लेकर और दूसरी चीजें जो हैं उनमें कम्पेटीशन करें और जो अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है उसको उठाने की कोशिश करें।

जहां तक लकड़ी काटने की बात है, पहले की बात तो नहीं, लेकिन ३ महीने की मैं कहता हूं कि हमने ज्यादा से ज्यादा बोली बुलवाकर और सबसे ज्यादा बोली बोलने वालों को दत हैं, हम उसी पर छोड़ रहे हैं। यह शिकायत कि जिन लोगों की पहुंच हो जाती है उनको देते हैं यह बात सही नहीं है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचे ऐसा कार्य इस मामले में करेंगे।

माननीय विष्ट जी ने सुझाव दिये हैं उन पर हम अमल करेंगे और आगे बढ़ायेंगे, उससे पहाड़ों की जमीन कटने से बचेगी और जो रिजरवायर हम कालागढ़ में बना रहे हैं उसमें आसानी होगी और उसमें अधिक से अधिक लाभ कि ानों और सरकार को मिल सकेगा क्योंकि इसकी योजना किसानों से संबंधित ह। इसके अतिरिक्त बलदेव सिंह आर्य कमेटी की रिपोर्ट है उनके व्यवहारिक सुझावों पर सरकार अमल करने जा रही है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुमायूं के लिये जो कमेटी पहले से थी उसको जल्दी बुलाकर जो नये सुझाव होंगे और जिन पर अमल किया जा सकता है उसको हम अधिक से अधिक करने के लिये प्रयत्नशील रहेंगे।

निजी तौर पर मैं एक बात पहले भी कहता रहा हूं, मेरी यह राय रही है कि पहाड़ों पर सरकार को जाना चाहिये। यह पहाड़ों के विकास के हक में है कि सरकार वहां जाय। जब मैं सदस्य था उस हैसियत से भी कहता आया हूं और आज भी मेरी राय है कि पहाड़ पर जाना, सरकार का, पहाड़ के विकास के हित में है।

विष्ट जी ने काश्मीर का उदाहरण दिया है और वहां काश्मीर के लोगों का आर्थिक विकास हुआ ह, लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। वहां हमारे तमाम पहाड़ों में यह महसूस हो रहा है, मैंने घूम-घूम कर वहां पर लोगों की यह भावना जानी है कि लोगों का यह विचार है कि अगर सरकार पहाड़ों पर नहीं जाती है तो वह लोग समझते हैं कि सरकार हमारे साथ सौतेली मां का सा व्यवहार कर रही है। मैं इस राय का हूं और जब कांग्रेस में था तब भी मैं इस राय का था कि सरकार पहाड़ों पर जाए, और कमेटियां और सरकारी अफसर पहाड़ों पर जाएं, यह विचार पहाड़ वालों में यह भावना पैदा करता है कि हम भी इस प्रदेश के अंग हैं। पहाड़ों पर बर्फ के दिनों में जाना नहीं होता, बरसात में नहीं होता, केवल गर्मी का मौसम है जिसमें भी हमारी सरकार, सरकारी अफसर, मेम्बर और कमेटी के लोग यदि वहां न जाएं

तो वहां के लोगों की कठिनाइयां सुनने का कोई मौका नहीं है। पहाड़ पर न जाने से उनका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, यह वहां के निवासियों का विचार ठीक ही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पहाड़ों पर जाना आरम्भ कीजिये और उनके बीच में जाकर हम उनकी कठिनाई को समझें और उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करें.....

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

जिस सरकार में आप हैं, जिस मंत्रिमंडल में आप हैं उसके सदस्य श्री झारखंडे राय आदि के विचार आपके विरोध में हैं, तो यह कैसे सम्भव होगा ?

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं तो जब आपकी सरकार में था तब भी यही विचार प्रकट करता था और आज भी यही मेरे विचार हैं कि पहाड़ पर सरकार को जाना चाहिये, लेकिन उस समय आपका ही मत इसके पक्ष में नहीं था। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि वहां की समस्याओं से, और पहाड़ के लोगों से मुझे बड़ी हमदर्दी है।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)--

सिर्फ नैनीताल जाने से ही काम नहीं चलेगा, उसके आगे उत्तरकाशी, चमोली, आदि तक भी आपको जाना होगा।

श्री रामचन्द्र विकल--

ठीक है, उसके आगे और चोटियों तक जाना चाहिये। तो मैं कह रहा था....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

ये तो परमानेन्ट डिसीडेंट हैं, कांग्रेस में थे तब भी और अब कैबिनेट के डिसिडेन्ट हैं, तो क्या बात है।

श्री रामचन्द्र विकल--

तो मैं कह रहा था कि पहाड़ों के विकास के लिये जो, जिस तरह का जितना सम्भव प्रयास हो सकता है वह यह सरकार करेगी और पहाड़ के रहने वाले लोगों के जो भी सुझाव होंगे उस पर हम संजीदगी से विचार करेंगे। बलदेवसिंह आर्य कमेटी के जो सुझाव हैं उन पर व्यक्तिगत रूप से मैं और सरकार पूरी तरह से विचार करेगी। समय कम है, किन्तु इतना मैं और कहना चाहता हूं कि इस वन विभाग के जरिये केवल वन लगाना ही काम नहीं है बल्कि इलाहाबाद और वाराणसी के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी इस विभाग ने अनेक प्रकार के काम किये हैं, जैसे टेस्ट वर्क, घास और लकड़ी आदि देकर उनकी मदद की गई है। भविष्य में ऐसा ईश्वर न करे कि कोई दैवी आपदा आवे, लेकिन दैवी आपदा में भी जैसी सहायता हमने दी है वैसी सहायता विभाग देता रहेगा। आबादी से लगी हुई जो जंगलात मोहकमे की भूमि है जिससे गांव वालों को परेशानी थी, उसके विषय में हमने आदेश दे दिये हैं कि उस भूमि को विभाग छोड़ दे, उसमें चाहे गांव वाले खेती करें या मवेशी पालें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

आबादी से कितनी दूर तक ?

श्री रामचन्द्र विकल--

जितनी बड़ी आबादी होगी और जितनी उसकी आवश्यकता होगी, उतनी की मैंने आदेश दिये हैं। जो भी जनता के सुझाव आये हैं, मैंने उन पर अमल किया है और करेंगे। आग लगने के मौके पर सहायता के बारे में कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया। सारे प्रदेश में जहां भी मैं गया

[श्री रामचन्द्र विकल]

गांव वालों ने कहा और मैंने महसूस किया कि आग लगने के वक्त जो लकड़ी और घास की सहायता मिलती है वह जिलाधीश के मार्फत मिलती है जिससे उनको मदद मिलने में देर होती है। इसलिये उनका सुझाव है कि इस चीज को व्यवस्था जंगलात विभाग के डी० एफ० ओ० के अधीन कर दी जाए। यों तो यह विषय राजस्व विभाग से संबंध रखता है, लेकिन लोगों की व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुये डी० एफ० ओ० के जरिये हम इसे दे सकें, इसका हमने प्रयत्न किया है। गांवों के लोगों ने जो सुझाव दिये हैं उनको अमली रूप देने का मैंने प्रयास किया है। विष्ट साहब से मैं कहना चाहता हूं कि जो कमेटी बनेगी उसमें भी वह रहेंगे, आर्य कमेटी में भी वह रहे हैं। उनके जो भी सुझाव पहले से आए हैं वे माने गये हैं। उन्होंने तो भाषण में मांग की है कि इसका अनुदान बढ़ा दिया जाए किन्तु उन्होंने तो उस कटौती का समर्थन किया है जिसमें मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर देने की बात है, तो यह कैसे चलेगा? अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेन्द्र सिंह जी विष्ट एक रुपये की कटौती वाला प्रस्ताव मेरी प्रार्थना पर वापस लेंगे और इस मदद को, जिसको उन्होंने चाहा है पहाड़ों के विकास के लिये कि अधिक धन मिलना चाहिये जिसमें सारे पहाड़ों का विकास छिपा हुआ है उसके लिये कटौती का प्रस्ताव नहीं रखेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—

माननीय विकल जी ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के बाद मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदस्य की अनुमति से, कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२—वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३२,४१,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

किसानों से लेवी वसूली के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास आइटम नम्बर १२ के नियम के अन्तर्गत कुछ सूचनायें आई हैं। उनमें मैंने दो सूचनाओं को स्वीकार किया है वक्तव्य के लिये। एक तो माननीय रघुनाथ सिंह, विधायक कानपुर की है और दूसरी माननीय इन्द्रलाल, लखनऊ की है जो इसी विषय में है। विषय पहली का इस प्रकार है कि सरकार का किसानों से गल्ला वसूली का आदेश ३० जून, १९६७ तक लागू था जो समाप्त हो चुका है। परन्तु अब भी समस्त प्रदेश में जोर जुल्म और अत्याचारों के साथ किसानों से लेवी वसूल की जा रही है। घरों में छापेमारे जा रहे हैं तथा गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस प्रदेश की जनता में घोर असन्तोष, क्षोभ और पुलिस का आतंक छाया हुआ है। किसानों का बुआई का समय है परन्तु सरकारी अधिकारियों तथा पुलिस के अत्याचारों के कारण वे अपनी बोआई भी इच्छानुसार नहीं कर पा रहे हैं। अभी सूचना मिली है कि कानपुर जिले की अकबरपुर तहसील में बाबू खां व मैकूलाल को जबरन गल्ला लेने के लिये पुलिस द्वारा अपमानित किया गया।

इस संबंध में यह भी ज्ञातव्य है कि माननीय हाई कोर्ट ने गल्ला वसूली के खिलाफ रिट स्वीकार कर ली है जिससे समस्या ने एक नया रूप और नया महत्व ग्रहण कर लिया है। ऐसी दशा में उक्त विषय पर सदन में चर्चा होना लोकहित में आवश्यक है।

दूसरा माननीय इन्द्रलाल का भी इस प्रकार है कि तराई भाबर क्षेत्र में लगातार एक सप्ताह से माल अधिकारी एवं कर्मचारियों ने लेवी के क्रय पर बड़ी भयावह स्थिति बना दी है जिससे गरीब काश्तकारों में त्राहि त्राहि मची हुई है...

खाद्य उपमंत्री (श्री शमीम आलम)--

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, सरकार १३ तारीख को या उसके बाद वक्तव्य दे सकेगी क्योंकि दो दिन की कल से छुट्टी है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

छुट्टी कल नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

विधान सभा की छुट्टी नहीं है। सेक्रेटेरियट की छुट्टी है। माननीय मंत्री जी, अगर इस पर जल्दी वक्तव्य हो जाय तो अच्छा है।

श्री शमीम आलम--

अच्छा तो १२ तारीख को वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष जी, यह जो आपके पास कई जगह से सूचना आयी है, इस तरह के रोज ऐडजर्नमेंट मोशंस और दूसरी तरह की चीजें आयेंगी, क्योंकि प्रदेश भर में सरकार के दमन की शिकायत है। मेरे पास इलाहाबाद से टेलीग्राम आया है कि पी० ए० सी० के जरिये से गांव-गांव में परेशानियां डाली जा रही हैं। ऐसी अवस्था में हम चाहते हैं कि जब हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी है.....

श्री अध्यक्ष--

रूलिंग नहीं, केस ऐडमिट हुआ है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

ऐडमिट हो गया है तो ३० जून पूरी हो चुकी जो कि आखिरी तारीख थी और सरकार का जो टार्गेट था १,९३,००० क्विन्टल, वह सब उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो सूचना तो आती रहेंगी, कम से कम मंत्री जी यह जोर-जुल्म जो सारे सूबे में चल रहा है उसको खत्म करने के लिए तत्काल आर्डर कर दें। पुलिस को आदेश दे दें कि किसानों को दूसरे काम में न उलझायें, बुवाई का समय है। इतनी महंगाई है कि डेढ़ रुपये का एक किलो गेहूं मिल रहा है और दो रुपया किलो की दाल मिल रही है, खाने को नहीं है....

श्री अध्यक्ष--

मैंने जो सूचना अभी स्वीकार की है वह नियम ५१ के अन्तर्गत नहीं की, लेकिन विषय के महत्व को देखते हुये मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया। यह ऐसा प्रश्न है जिससे सारे प्रदेश के लोगों पर असर पड़ता है। सरकार के लिये भी यह अच्छा होगा कि उसकी नीति के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानें, तो बारह के बाद.....

श्री शमीम आलम--

१३ के बाद ही रख दें तो ज्यादा बेहतर है।

श्री अध्यक्ष—

अब उन्हें भी १३–१४ में एतराज नहीं है तो १४ रही, फिर तय हुआ कि १४ तारीख का रखता हूं और आप कोशिश करें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सूचनायें आपको मिल जायं वह दें दे विभिन्न विभागों की। (व्यवधान) आप जैसे विरोधी दल को शोभा नहीं देता कि १० आदमी एक साथ खड़े हों।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य के लिये आपने दिन नियत कर दिया, लेकिन पुलिस जो छापे मार रही है जैसे किसान डकैत बन गये हों, जो हैरासमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए आदेश दे दें और तब सूचना बाद में मंगा लें। लोगों के घरों पर धौंस गई है सरकारी आदेश देकर उनको बाध्य किया जा रहा है ...

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, वैसे तो हर सरकार का यह कर्त्तव्य है और सरकार से आशा की जाती है कि जो जन–प्रतिनिधियों की भावनाएं हैं उनका आदर करें, लेकिन एक बात मैं स्मरण कराना चाहता हूं। अभी प्रश्नों के उत्तर में कल कहा गया था कि ३० जून तक उनका समय था लेवी का। जो लोग नहीं देंगे उसके बाद तो सख्त कार्यवाही तो शुरू होगी–यह उनकी खुली नीति थी कि ३० जून के बाद "ला विल हैव इट्स कोर्स, कानून अपना स्थान लेगा, तो मैं कैसे बाध्य कर सकता हूं कि कानून के चक्कर को दूसरी तरफ को चला दें। लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं को सुन कर, आपने जो सलाह दी है वह सरकार ने सुनी, जो हो सकता है वह करेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

कदाचित् जहां तक मुझे स्मरण है हाई कोर्ट में इस संबंध में एक रिट पिटीशन दायर हुई है और कदाचित् स्टे भी मिला है। तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार अपनी कार्यवाही को रोक दे।

श्री अध्यक्ष—

हाई कोर्ट का जो आदेश होगा वह तो स्वतः सरकार को मान्य होगा, अब कल्पना के आधार पर कि स्टे कदाचित् हो गया है, यहां मैं बहस नहीं करा सकता।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

श्रीमन्, ६ रिट दायर की गयी हैं और उनमें स्टे हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

अगर स्टे मिल गया है तो आप उस स्टे आर्डर को लेकर मेरे पास भेजें, फिर उस पर देखा जायेगा, अभी कोई बहस तो नहीं हो सकती।

श्री नेकराम शर्मा—

सरकार, श्रीमन्, कह चुकी है कि ३० जून के बाद सख्ती होगी। माननीय सदस्यों के क्षेत्रों म जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। अब इस जुल्म और अत्याचार को हम यदि आवाज भी नहीं उठायें तो सरकार और जुल्म बढ़ायेगी। अतः यह जरूरी है कि यहां पर बहस हो।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ा रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा—

वक्तव्य मंत्री जी १४ तारीख को देंगे। तब तक कल १०—११ बजे तक या शाम को ५—६ बजे तक आप यहां बहस करा दें ताकि हम लोग अपनी अपनी कहानी कह सकें, जो जुल्म हो रहे हैं उनको बता सकें।

श्री शब्बीर हसन (जिला फतेहपुर)—

मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इनके लोग गालियां दत ह, मार-मार कर गल्ला वसूल करते हैं, जिनके पास एक भी दाना न खाने को है न बोने के लिये है उनसे वसूल हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

लोग खुशी से गल्ला दे रहे हैं। अगर सरकार कोई कार्यवाही करेगी तो वह गरीब किसानों पर नहीं, बड़े बड़े किसानों पर जिन्होंने कि गल्ला नहीं दिया है। अभी इनके (कांग्रेस) परिवार वालों से वसूल करेगी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर कोई बात कहने का समय नहीं दे रहा हूं। इस तरह से सारे माननीय सदस्य अपने हाथ में कानून को लेकर खड़े हो जायं और दूसरे माननीय सदस्य भी खड़े हों और अपने आप व्यवस्था कर देते हैं तो आपत्ति होती है। समय समाप्त हो गया है जो मैंने बढ़ाया था। मैंने पांच मिनट समय बढ़ाया था। यह पांचवां मिनट है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो आपने बातें बताई हैं जब १२ तारीख को इस पर वक्तव्य होगा तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जितने विस्तार से सूचना देना चाहें दे दें। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रह हों और दूसर माननीय सदस्य बीच में ही कहें कि जुल्म हो रहा है, यह ठीक नहीं है। माननीय नेकराम शर्मा ने भी बताया कि जुल्म होता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं उठा सकेंगे। सदन को अधिकार है कि जब नियम का उल्लंघन हो रहा हो तो बात करें। किसी विशिष्ट बात को बताते हुए यदि आप सदन में कहें तो मैं उसे देखूंगा। अब हमारा समय समाप्त हो गया।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ जुलाई, १९६७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

विलीनीकरण से पूर्व टेहरी राज्य ने तत्कालीन प्रजा मंडल नामक संस्था को, जो इस समय जिला कांग्रेस कमेटी है, बिना किराये पर कथित भवन दिया हुआ था। टेहरी राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के पश्चात् जब उक्त भवन शासन के अधिकार में आया तो उसका किराया १९ रु० प्रति माह तथा उसके फर्नीचर का किराया २ रु० प्रतिमाह निर्धारित किया गया और जिला कांग्रेस कमेटी से कहा गया कि वह भवन एवं फर्नीचर का किराया उक्त दर पर १-१२-४९ से दें। जिला कांग्रेस कमेटी ने उक्त भवन को उन्हें बिना किराये दे दिये जाने की प्रार्थना की जो अक्टूबर, १९५१ को अस्वीकृत कर दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी ने कहा कि यदि शासन स्वीकार करे तो कमेटी, भवन का किराया दिसम्बर, १९५२ से देने को तैयार है परन्तु पिछला किराया छोड़ दिया जाय। चूंकि बिना किराये भवन को दिये जाने से सबधित कांग्रेस कमेटी की प्रार्थना को अक्टूबर १९५१ को अस्वीकार किया गया था, उनसे अक्टूबर १९५१ तक का भवन का किराया छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस कमेटी ने ११४ रु० २५ पैसे भवन की मरम्मत में खर्च किये थे जिसे उनसे प्राप्त होने वाले किराये में से छोड़ दिये गये। सितम्बर, १९६६ तक जिला कांग्रेस कमेटी पर ११३१ रु० ७५ पैसे भवन तथा फर्नीचर के किराये के बाकी हैं। इस संबंध में अद्यावधिक सूचना उपलब्ध की जा रही थी। बकाया किराये की वसूली के संबंध में प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसके लिये कई अनुस्मारक भेजे गये हैं।

इस समय यह कहना सम्भव न होगा कि उक्त भवन कितने रुपये माहवार में अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति को दिये जाने पर उठ सकेगा।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३७७ पर।)

अनुदान संख्या २३—पशुपालन तथा मत्स्य-पालन

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
२	श्री प्रभु दयाल	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—गांवों में बढ़ते हुये पशु रोगों की तरफ ध्यान खींचना और मत्स्य विभाग में सुधार हेतु सुझाव देना।
३	श्री इन्द्र मणी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—यह चर्चा करना कि पर्वतीय जिलों में भेड़ पालन के लिये कोई भी सुनियोजित कार्यक्रम नहीं रखा गया और जो भेड़ केन्द्र खोले गये हैं उनका प्रबन्ध सुचारु रूप से नहीं है।
४	श्री बीर बहादुर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
५	श्री गौरीराम गुप्त	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सामान्य चर्चा एवं सुझाव।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३९८ पर।)

अनुदान संख्या ४२ वन

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री इन्द्रमणी	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करना: (१) पर्वतीय जिलों में वनों की सुरक्षितता खत्म होती जा रही है, सरकार ने एक भी जगह जंगल लगाने का प्रयत्न नहीं किया, (२) टेहरी-गढ़वाल में स्वयं जंगलों को खत्म किया जा रहा है, (३) टेहरी-गढ़वाल में वन पंचायत बननी परमावश्यक है।
२	श्री कृष्णसिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---वन विभाग से सम्बन्धित समस्त सरकारी नीतियों की आलोचना।
३	श्री चन्द्रबली सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा एक कर रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति की आलोचना करना और सुझाव देना।
४	श्री गोपालदत्त ओझा	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना।
५	श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य---जंगल की भूमि जिस पर गांव वालों ने अधिकार कर लिया है, उस पर सरकार द्वारा कोई प्रभावकारी कदम न उठाने की आलोचना करना तथा जंगली जानवरों के संरक्षण का सुझाव देना।
६	श्री वीर बहादुर	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
७	श्री सुरेन्द्र विक्रम	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य---सामान्य आलोचना एवं सुझाव।

८—श्री करनसिंह — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

९—श्री चन्द्रबली सिंह — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।

कमी करने का उद्देश्य—बस्ती जिला में वन विभाग द्वारा वनों के आसपास के गांवों के किसानों से जबरदस्ती गल्ला वसूलने तथा उनकी ज्यादतियों पर चर्चा उठाना।

१०—श्री चन्द्रसिंह रावत, श्री गोपालराम दास तथा श्री इन्द्र लाल। — सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय।

कमी करने का उद्देश्य—वन विभाग के कार्य कलापों की आलोचना।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ५६ एल० ए०—१९६७—८४६।